खण्ड-214, अंक-4
गुरूवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1882
(28 जुलाई, 1960 ई0)

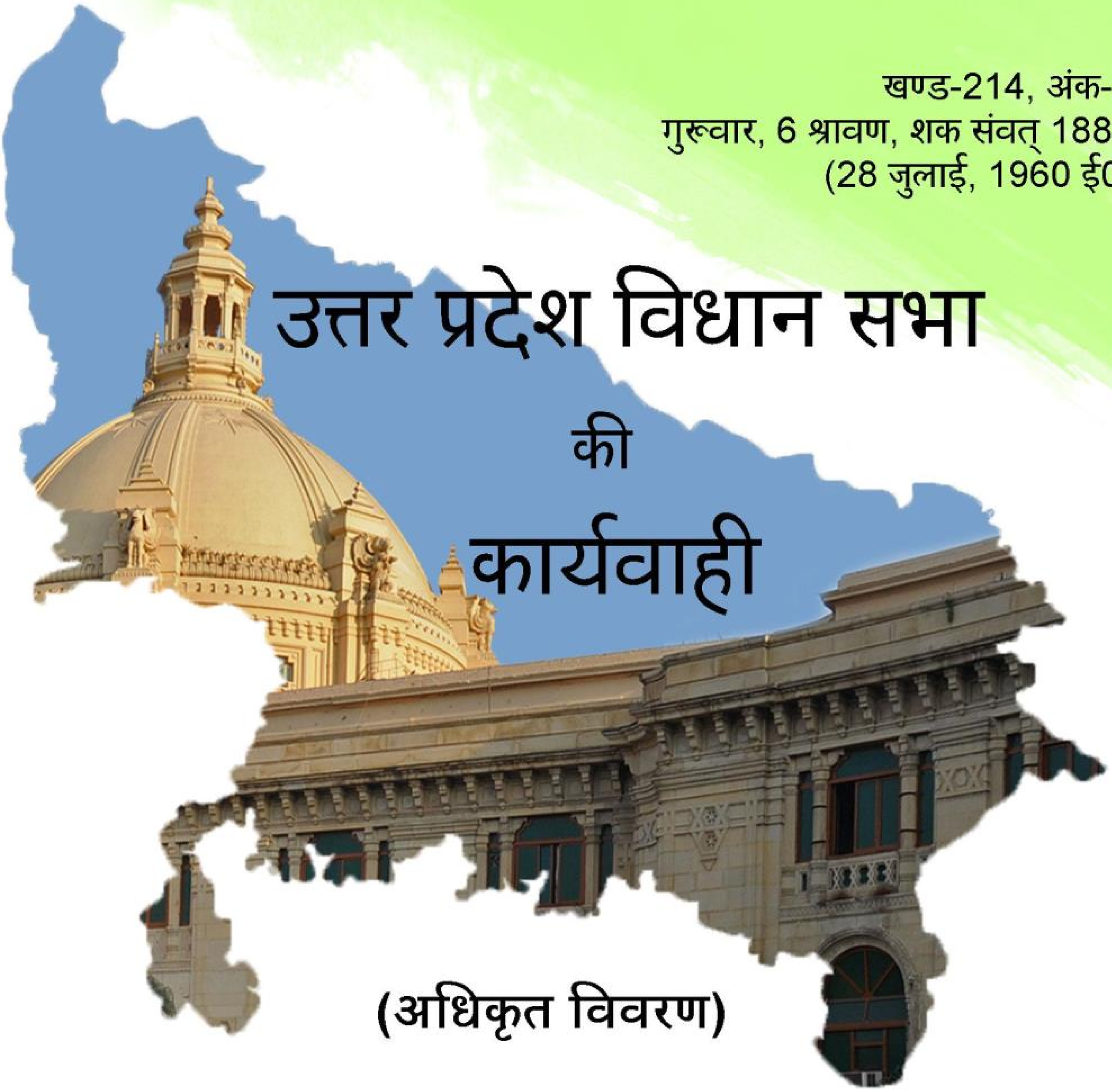

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ जुलाई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३६२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुर रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

कैलाश सत्यार्थी प्रदेश सभा

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ जुलाई, १९६०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आंधी के कारण अग्निकांडों से हानि

*१--**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ५ अप्रैल की शाम को ५ बजे उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में घनघोर वर्षा, आंधी, तूफान तथा उपल-वृष्टि से पुनः हानि हुई है?

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--उक्त तिथि को वर्षा अथवा उपलवृष्टि से कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई। कहीं-कहीं तेज आंधी के कारण अग्निकांड की दुर्घटनाओं से हानि अवश्य हुई।

*२--**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार इसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उपरोक्त हानि का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८० पर)

नोट--तारांकित प्रश्न १-२ श्री चन्द्रजीत यादव ने पूछे।

[२८ जुलाई, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[वापस लिया गया।]

उकरौली ग्राम के किसानों का शिकायती पत्र

*२--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उकरौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों का प्रार्थना-पत्र ८-१०-५९ का भेजा हुआ उनको तथा जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें सड़क में पड़ी भूमि की मालगुजारी की वसूली तथा कच्ची सड़क की भूमि न देने की शिकायत की गई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था।

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों के साथ कोई समझौता हुआ था? यदि हां, तो उसका पालन अब तक क्यों नहीं हुआ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां। समझौते की कुछ शर्तें तो कार्यान्वित हो चुकी हैं। शेष के पूर्ण होने में कुछ आवश्यक आलेख आदि के न मिलने से विलम्ब हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि १९५१ में यह समझौता हुआ था और अब तक कौन-कौन शर्तें ऐसी हैं जो पूरी नहीं की जा सकी हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, यह सत्य है कि २० जुलाई, १९५१ को समझौता हुआ था। इसकी पहली और दूसरी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और तीसरी के पूरी होने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि जिन खेतों पर सड़क बनी है उनकी मालगुजारी भी ९ वर्ष से किसान ही अदा कर रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, इसकी यथेष्ठ सूचना तो नहीं है, लेकिन सम्भव है कि वह मालगुजारी उनसे वसूल की जा रही हो, क्योंकि अभी आलेखों में कोई शुद्धीकरण नहीं हुआ है और मुआवजा उनको दिया जा चुका है, पी० डब्ल्यू० डी० का उस पर कब्जा है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५१ के एग्रीमेंट में कौन-कौन सी शर्तें थीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--एक शर्त यह थी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट केवल ६० फिट चौड़ी सड़क के लिये जमीन लेगा। पहले १०० फिट लेने की तजवीज थी, बीच में ६० फिट की सड़क और इधर-उधर २०-२० फिट किनारे के लिये। दूसरे यह कि जहां पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क को दूसरी सड़क क्रास करती है वहां कोई पेड़ नहीं लगाये जायंगे। तो यह जमीन जो दोनों तरफ छूट गयी वह किसानों को वापस कर दी जायगी और मुआवजा जो लिया जा चुका है वह वापस कर देंगे और साथ ही एक कच्ची सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की गांव की थी वह हर एक को अनुपात से दे दी जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तीसरी शर्त जिसमें किसानों की जमीन वापस होने की बात थी इसे अबतक क्यों नहीं पूरा किया गया और क्या दिक्कतें हैं पूरा करने में ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, इससे सम्बन्धित जो आलेख थे वह पी० डब्ल्यू० डी० से माल विभाग के पास वापस नहीं आये।

इसके लिये बार-बार प्रयास किया गया था, लेकिन उसके आलेख के न आने से और दूसरे किसानों को जो मुआवजा दिया गया उसको वापस न लेने के कारण तीसरी शर्त में अभी कठिनाई हो रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने बताया कि हो सकता है किसानों से लगान लिया जाता हो तो जमीन जो किसानों से ली गई वह १९५०-५१ में ली गई और उसी वक्त समझौता हुआ और आजतक उनसे लगान लिया जा रहा है, इसका क्या कारण है कि अभी तक लगान माफ नहीं हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---यह तथ्य तो स्वीकार नहीं किया गया कि लगान जरूर लिया जा रहा है, यदि लिया जा रहा होगा तो मुजरा कर दिया जायगा भविष्य में जबकि शुद्धि हो जायेगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---जो इकरारनामे की शर्तें मंत्री जी ने पढ़कर सुनाई उन शर्तों का पालन सरकार की ओर से नहीं हुआ या किसानों की ओर से नहीं हुआ या किन-किन शर्तों का पालन हुआ और किन-किन शर्तों का पालन नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने काफी स्पष्ट जवाब दे दिया है, अब आप उसी जवाब के हिसाब से प्रश्न पूछें।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी, जिन शर्तों का पालन किसानों की ओर से नहीं हुआ उन्हें बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसका पालन किसानों की ओर से नहीं हुआ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-सी शर्तें हैं जिनका पालन सरकार की ओर से नहीं हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जैसा कि मैंने पहले बताया, तीसरी शर्त का पालन अभी नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि किसानों ने उस जमीन का मुआवजा भी नहीं प्राप्त किया है और यह भी सही है कि सन् १९५१ से उन्होंने सरकार के पास और जिला के अधिकारियों के पास बीसों बार प्रार्थना-पत्र भेजे और क्या यह भी सही है कि उन्होंने गजट की कापी और डी० एम० के साथ जो समझौता हुआ है वह सब कागज नत्थी करके सरकार के पास और जिलाधीश के पास भेजी हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---डिटेल के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गोरखपुर जिले में नायब तहसीलदारों के दौरे

*४---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसील में अलग-अलग कामों पर कितने नायब तहसीलदार रक्खे गये हैं और इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक नायब तहसीलदार ने कुल कितने ग्रामों का दौरा प्रत्येक मास में किया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--नायब तहसीलदारों की संख्या सम्बन्धी सूचना इस प्रकार है :--

तहसील का नाम	प्रत्येक श्रेणी के नायब तहसीलदारों की संख्या				
	रेगुलर	कलेक्शन	जेड० ए० सी०	सी० एल० आर० डी०	तकावी
सदर ..	३	२	१	..	१
बांसगांव ..	२	३	१	१	१
महराजगंज ..	१	२	१	..	१
फरेन्दा ..	१	२	१	..	१

जेड० ए० सी०, सी० एल० आर० डी० तथा तकावी नायब तहसीलदारों के दौरे की विशेष अपेक्षा नहीं होती। रेगुलर तथा कलेक्शन नायब तहसीलदारों के दौरों के विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८१ पर)

श्री अमरनाथ--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि कोई ऐसे नियम हैं कि एक महीने में एक नायब तहसीलदार इतने गांवों का दौरा करे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा नियम है कि विन्टर सीजन में ४५ से ६० दिन का दौरा करें।

श्री अमरनाथ--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दौरा करने के सिलसिले में एक कलेक्शन नायब तहसीलदार या रेगुलर नायब तहसीलदार को कौन-कौन से मुख्य-मुख्य कार्य करने होते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस सम्बन्ध में नियम बने हुये हैं उनकी तरफ मैं माननीय प्रश्नकर्ता महोदय का ध्यान दिलाता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर--अभी बताया गया कि विन्टर सीजन में ४५ से ६० दिन का वह दौरा कर सकते हैं तो रेन्स में और समर में कितने दिनों का दौरा किया जाय, इसके भी कोई नियम हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई मुकर्रर दिन नहीं हैं, जरूरत पड़ने पर जाना पड़ता है।

झांसी जिले में समाज-कल्याण केन्द्रों पर व्यय

*५--**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में झांसी जिले में समाज कल्याण योजना पर किस मद में कितना खर्च किया गया है तथा जिले में कितने समाज कल्याण केन्द्र कहां-कहां पर खोले गये हैं?

*६--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में झांसी जिले में महिला मंगल योजना पर किस मद में कितना रुपया खर्च किया गया और उक्त केन्द्र कहां-कहां पर खोले गये हैं?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--वांछित सूचना संलग्न तालिका में देखी जाय।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८२-२८३ पर)

स्पेशल मैरेज ऐक्ट के अन्तर्गत तलाक के मुकदमें

*७—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित) तथा श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल मैरिजेज़ ऐक्ट के अन्तर्गत समस्त उत्तर प्रदेश में जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९५९ तक तलाक के कितने मुकद्दमात हुये हैं?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९५९ तक समस्त उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कुल १५ मुकदमें दायर हुये थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—इस बात को देखते हुये कि इस ऐक्ट के कारण हिन्दू-समाज में बहुत ज्यादा तलाक बढ़ने लगे हैं और हिन्दू धर्म के खिलाफ है, क्या मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेंगे कि इसको वापस लिया जाय?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—हमें तो बढ़ती हुई तादाद मालूम नहीं होती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी के पास इससे पहले के कोई आंकड़े हैं जिनसे वह कहते हैं कि तादाद बढ़ी नहीं है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी नहीं, पापुलेशन देख कर कहते हैं।

पड़ताल के समय अधिकारियों की उपस्थिति के लिये आदेश

*८—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या माल विभाग का यह आदेश कि प्रत्येक विधायक क्षेत्र में पांच गांव की पड़ताल उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य के साथ तहसीलदार के पद से ऊंचे अफसर करेंगे, अब भी चालू है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अब यह आदेश है कि माल अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों अपने शीतकालीन दौरे के समय की पड़ताल के प्रोग्राम की एक प्रति उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य या सदस्यों को भेजेंगे ताकि यदि वे पड़ताल के समय उपस्थित होना चाहें तो उपस्थित हो सकें। उनको औपचारिक रूप से आमंत्रित करना आवश्यक नहीं।

*९—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष विधान सभा के सदस्यों के पास जिला अधिकारियों ने पड़ताल करने की सूचना क्यों नहीं दी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—कुछ जिलों में शासन का एतत् सम्बन्धी आदेश देर से मिलने या बिल्कुल ही न मिलने के कारण सदस्यों को पड़ताल के समय शीतकालीन दौरे के प्रोग्राम की एक प्रति नहीं भेजी जा सकी। उनको लिखा गया है कि वे भविष्य में एतत् सम्बन्धी आदेशों का सम्यक् रूप से पालन करें।

कलेक्टरी मुहाफिजखाना, खीरी में कुत्ते द्वारा मिसलों का फाड़ा जाना

*१०—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के कलेक्टरी मुहाफिजखाने में दिनांक ९-३-६० ई० को जब सुबह मुहाफिज खाने का दरवाजा खोला गया तो उसके अन्दर कुछ मिसलें फाड़ी हुई पायी गईं? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिसलें किस प्रकार फाड़ी गईं और मिसलें अल्मारी में रखी थीं या कमरे में मेजों पर थीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—९ मार्च, १९६० को सुबह जब कलेक्टरी मुहाफिजखाना का दरवाजा खोला गया तो उसमें से एक कुत्ता मिला और कमरे के अन्दर कुछ मिसलें फटी हुई पाई गईं। जांच से पता चला कि ८ मार्च की शाम को यह कुत्ता, जो तखत के नीचे लटकती हुई दरी की आड़ में छिपा बैठा था, कमरे के अन्दर बन्द हो गया था। रात में बाहर न निकल पाने के कारण सम्भवतः उस कुत्ते ने तखत व रैक पर रखी हुई मिसिलों को जगह-जगह पर फाड़ दिया। मिसलें कमरे में तखत पर रखी थीं।

*११—श्री छेदीलाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मिसलों की संख्या क्या थी, वे किन-किन दफाओं की थीं और उन मिसलों के फटने से कितने मुकदमों के फैसले होने में रुकावट पड़ेगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—५६। इनकी दफाओं की सूची संलग्न है। इनमें कोई मिसिल ऐसी नहीं फटी है जिसकी वजह से किसी मुकदमें के फैसल होने में कोई रुकावट पड़े।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २८४ पर)

श्री छेदीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुहाफिजखानों में मिसलें रखने के लिये कोई अलमारी होती है? यदि हां, तो उनमें मिसलें क्यों नहीं रखी गईं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अलमारी भी होती है। रोजमर्रा की चालू मिसलें तखत पर भी होती हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन फाइलों में कुछ खाने-पीने की चीज लपेट कर रखी गई थीं जिससे कुत्ते ने उनको फाड़ डाला?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या कोई ऐसी भी मिसल थी जिसका उस कुत्ते से सम्बन्ध था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि सोशलिस्ट पार्टी से उसका सम्बन्ध रहा हो। (हंसी)

सेनेटरी गैंग मजदूरों को सुविधायें देने की प्रार्थना

*१२—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सेनेटरी गैंग मजदूरों को कितना वेतन व महंगाई भत्ता दिया जाता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आमतौर पर सेनेटरी गैंग मजदूर जिलाधीश द्वारा निर्धारित स्थानीय मजदूरी की दर पर रखे जाते हैं, परन्तु नौगढ़ तहसील (बस्ती) तथा टेहरी-गढ़वाल के सेनीटरी गैंग को निम्न वेतन व भत्ता मिलता है:

नौगढ़ तहसील

जिला हेडक्वार्टर्स पर वेतन की दर	२७—१/२—३२ रु०
देहाती क्षेत्रों में वेतन की दर	२२—१/२—२७ रु०

महंगाई भत्ता सरकार द्वारा निर्धारित दर पर।

जिला टेहरी-गढ़वाल

जिला हेडक्वार्टर्स पर वेतन	..	..	२५—१/२—३०रु०
देहाती क्षेत्रों में वेतन	..	..	२०—१/२—२५ रु०

महंगाई भत्ता तथा कम्पेन्सेटरी भत्ता निर्धारित दर पर।

*१३—श्री रामसमझावन—क्या यह सही है कि सेनेटरी गैंग मजदूर चौबीसों घंटे सेनेटरी इंस्पेक्टर के साथ रहते हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सेनेटरी गैंग मजदूर सेनेटरी निरीक्षकों के साथ देहाती क्षेत्रों में कार्य करते हैं और अधिकांश उन्हीं के साथ रहते हैं।

*१४—श्री रामसमझावन—क्या यह सत्य है कि बीमारी की हालत में सेनेटरी गैंग मजदूरों का वेतन काट लिया जाता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जो मजदूर स्थानीय मजदूरी की दर पर रखे जाते हैं वे १४ दिन की आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त वेतन सहित छुट्टी पाने के अधिकारी नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां की परिस्थिति से भिज्ञ होने के कारण इस बात को तसलीम करेंगे कि यह वेतन कम है और वहां की परिस्थिति को देखते हुये इसे बढ़ाने की सिफ़ारिश करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो हम यह जरूरी नहीं समझते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन वेतनों में असमानता क्यों है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों जगहों के हालात में फर्क है।

श्री रामसमझावन—जब २४ घंटे मजदूर साथ रहते हैं तो क्या उनको रहने का भत्ता भी मिलता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाहर ही तो उन्हें काम करना पड़ता है, भत्ता किस बात का? तनख्वाह ही इस बात की पाते हैं।

श्री रामसमझावन—जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों को १६ दिन के अवकाश के अतिरिक्त १ महीने की मेडिकल छुट्टी दी जाती है तो इन मजदूरों को भी सरकार यह छुट्टी देने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१४ दिन की कैजुअल लीव होती है, १६ दिन की नहीं। बीमार होने पर मुमकिन है कि छुट्टी दी जाती हो, हम ठीक कह नहीं सकते।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जिस इलाके का जिक्र किया वह बार्डर एरिया में है, वहां सेन्ट-पर सेन्ट एलाउंस देने की सिफ़ारिश करेंगे जैसे और लोगों को मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष—किसकी सिफ़ारिश करेंगे?

श्री प्रतापसिंह—आदेश जारी करेंगे?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न ऐसा नहीं था कि सरकार को कोई अधिकार हो।

श्री शिवप्रसाद नागर—दोनों जगहों के हालात में फर्क बतलाया है, तो क्या कुछ ऊंचाई-नीचाई का फर्क है या खाने-खुराक में भी फर्क है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर हमारे मित्र वहां चले जावें तो फर्क फ़ौरन मालूम हो जायगा।

दीवानी कचेहरी, बस्ती की नई इमारत में खराबी की शिकायत

*१५—श्री उदय शंकर (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बस्ती की दीवानी कचहरी की नई बनी इमारत के सम्बन्ध में जो अभी सन् १९५९ में बन कर तैयार हुई है यह जानकारी रखती है कि पिछली बरसात में ही इसकी छतें टपकती थीं और कमरों में पानी भर गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दीवानी कचहरी की नई इमारत को जनवरी, १९६० में लेने के कई मास पूर्व सन् १९५९ की बरसात के सितम्बर, अक्तूबर के महीनों में इस नई और पुरानी इमारत के जोड़ से पानी टपका था और कमरों में कहीं-कहीं पानी जमा हो गया था।

*१६—श्री उदयशंकर (अनुपस्थित)—क्या इस इमारत के सम्बन्ध में जिला जज ने कोई नोट सरकार को लिखा है और क्या उस आधार पर सरकार कोई जांच करने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला जज ने सरकार को कोई नोट नहीं लिखा था और न ऐसा नोट लिखने का अवसर ही था, परन्तु जज ने इस बात की सूचना एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बस्ती (Executive Engineer, Basti) को दे दी थी, जिसने संबंधित ठेकेदार से, उसी के खर्चे पर, पूरी मरम्मत करा दी।

कपसेंडा ग्राम के किसानों का शिकायती-पत्र

*१७—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि ग्राम सभा कपसेंडा, तहसील सदर, शाहजहांपुर के सदस्यों की ओर से १३-९-५९ को हाकिम परगना सदर तथा ३१-१०-५८ को जिलाधीश के पास कोई शिकायती-पत्र तालाब नं० ७३० व ७३१ और बंजर नं० ८५० लगान पर उठाने के बारे में दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ग्राम सभा कपसेंडा, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर के सदस्यों की ओर से कोई शिकायती पत्र तालाब नम्बर ७३० व ७३१ तथा बंजर नम्बर ८५० लगान पर उठाये जाने के विषय में १३ सितम्बर, १९५९ को हाकिम परगना, सदर, शाहजहांपुर को नहीं मिला।

जिलाधीश महोदय को ३१ अक्तूबर, १९५८ को उपरोक्त आशय का एक शिकायती पत्र मिला था, जिसकी जांच कराई गई। उपर्युक्त तीनों प्लाटों पर कुछ व्यक्तियों का अनधिकृत रूप से कब्जा पाया गया जिनके विरुद्ध जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी की कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने उक्त सभी व्यक्तियों को बेदखल किये जाने और गांव समाज को हरजा दिये जाने का आदेश दिया।

श्री रूमसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस शिकायती पत्र की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह पत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन नाजायज कब्जे की शिकायत उसमें मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें आपको सूचना मिल गई है और जब आप प्रश्न स्वयं पूछते हैं तो आपको तो मालूम ही होना चाहिये। आप इसके ऊपर दूसरे पूरक प्रश्न करें।

श्री रूमसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस तालाब को प्रधान और वहां के लेखपाल दोनों ने मिल कर लगान पर उठा कर वह सब रुपया अपने आप खा लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन नाजायज कब्जे से वे लोग बेदखल कर दिये गये।

श्री देवनारायण भारतीय—जो बेदखली ११५-डी के मातहत उन लोगों की हो गई जिन्होंने नम्बरों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था तो अब उनके कब्जे में है या गांव सभा के कब्जे में है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बेदखल के मानी हैं कि उनके कब्जे में नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि वह अब भी उन्हीं के कब्जे में है और क्या सरकार इसकी जांच करा के उनसे लेकर गांव सभा को देगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—बेदखलबिहानी कराने के आदेश जारी कर दिये हैं, जाब्ते से ही बेदखल किया जा सकता है।

श्री रूमसिंह—वे कब बेदखल किये गये?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बताया कि जाब्ते की कार्यवाही हो रही है। उनको मालूम नहीं है कि वे अभी बेदखल हुये या नहीं।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—उन काश्तकारों का कब्जा उस जमीन पर कितने दिन से था?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—राइट मैच्योर होने की अवधि से कम था, इसलिये वे बेदखल किये गये।

खटीमा तथा सितारगंज तहसीलों में भूमिहीनों को भूमि मिलना

*१८—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—तहसील खटीमा तथा सितारगंज (नैनीताल) में भूमिहीनों को जमीन देने के बारे में प्रश्न संख्या ५, दिनांक १२ फरवरी, १९६० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खटीमा और सितारगंज तहसील में अब तक कितनी-कितनी जमीन, कितने भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील खटीमा में ७९ भूमिहीन परिवारों को १८७ एकड़ जमीन तथा तहसील सितारगंज में ४८२ परिवारों को २,३३२ एकड़ जमीन वितरण की जा चुकी है।

*१९—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस क्षेत्र में कुल कितने भूमिहीनों को बसाने की योजना है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई योजना नहीं बनी है।

लेखपाली स्कूल, इटावा में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के प्रशिक्षार्थी

*२०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेखपाली स्कूल, इटावा में कितने व्यक्तियों ने ५९ व ६० में ट्रेनिंग पायी? उनमें से कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के थे और उनकी योग्यतायें क्या थीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—६० व्यक्तियों ने ट्रेनिंग पायी जिनमें से ६ परिगणित जाति के तथा १५ पिछड़े वर्ग के थे। परिगणित जाति के व्यक्तियों में से २ हाई स्कूल तथा ४ जूनियर हाई स्कूल पास थे और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में से २ इन्टरमीडिएट, ९ हाई स्कूल, तथा ४ जूनियर हाई स्कूल पास थे।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इटावा जिले में १९५९–६० में लेखपाली ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के आये थे?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, सवाल स्पष्ट नहीं है। आप १९५९ का पूछना चाहते हैं या १९६० का; क्योंकि ट्रेनिंग एक-एक साल की अलग-अलग होती है।

श्री भजनलाल—मेरा प्रश्न १९५९–६० का है और उसी आधार पर उत्तर भी दिया गया है। इसलिये मैं दोनों वर्षों का ही पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न इस प्रकार है—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इटावा जिले में १९५९ और ६० में लेखपालों की ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों के आये?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—१९५९ में कितने प्रार्थना-पत्र आये, इसकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है, जितनों को ट्रेनिंग दी गयी उनकी है। १९६० में २६ प्रार्थना-पत्र आये, लेकिन चूंकि पहले से इतने अधिक लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली थी कि ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये उनमें से कोई नहीं लिया गया।

श्री प्रतापसिंह—जो शैडयूल ट्राइब के लोगों को ट्रेनिंग दी गयी इनमें थारू और बोक्सा जाति के कितने उम्मीदवार थे?

श्री अध्यक्ष—यह इटावे का सवाल है और इटावे में वे नहीं रहते हैं?

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन ६० लेखपालों ने ट्रेनिंग प्राप्त की उन सबको स्थान मिल गया है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

बीसलपुर में महिला अस्पताल न स्थापित हो सकना

*२१—श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बीसलपुर, जिला पीलीभीत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक महिला अस्पताल तथा बीसलपुर में डिस्पेंसरी का प्रान्तीयकरण करने का जो इरादा था वह स्थगित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीसलपुर, जिला पीलीभीत में एक महिला अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ, परन्तु धनाभाव के कारण फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया। बीसलपुर में डिसपेंसरी के प्रान्तीयकरण के प्रस्ताव पर भी शासन द्वारा विचार हुआ, परन्तु वहां की अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अस्पताल पर व्यय की जाने वाली धनराशि के बराबर धनराशि जिले की अन्य चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय करने के लिये राजी न होने के कारण शासन को इस प्रस्ताव को भी समाप्त करना पड़ा।

श्री बिहारीलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि महिला अस्पताल जो जिला पीलीभीत में स्थगित कर दिया गया है, उसको आगामी पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में खोलने का विचार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फिलहाल तो स्थगित है। जब तीसरी योजना तैयार हो जायगी तभी कहा जा सकता है कि किस वर्ष में उसको लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस अस्पताल के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि धनाभाव के कारण इसको नहीं लिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमें ५ खोलने का अधिकार था, वह ५ हमने खोल दिये ।

श्री प्रतापसिंह--मैं एस्टिमेट जानना चाहता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--एस्टिमेट अलग-अलग हो सकता है, सब का बराबर नहीं हो सकता इसलिये यह बतलाना नामुमकिन है ।

श्री ऊदल--जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बतलाया कि उस अस्पताल को लेना अभी स्थगित कर दिया गया है, तो क्या वे उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--देखा जायगा, अगर सम्भव होगा । अगर धन काफी मिल गया तो कुछ किया जा सकता है ।

मूक, वधिर तथा अन्ध विद्यालय

*२२--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने विद्यालय अंधे व मूक बालक-बालिकाओं के लिये चलाये जा रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--इस समय प्रदेश में मूक-वधिर विद्यालयों की संख्या १२ तथा अन्धे विद्यालयों की संख्या १३ है ।

*२३--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने विद्यालय सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं और कितने समाज संस्थाओं द्वारा ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--इस समय अन्धे विद्यार्थियों के लिये २ राजकीय तथा ११ विद्यालय समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं । राजकीय तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित मूक, वधिर विद्यालयों की संख्या क्रमशः २ तथा १० हैं ।

*२४--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--इन विद्यालयों में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २८५ पर)

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन विद्यालयों पर सरकार प्रति वर्ष कितना धन व्यय करती है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--यह तो बड़ी लम्बी सूची है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बतला दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--वे टोटल पूछना चाहते हैं कि कुल खर्च कितना होता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--उसका तो टोटल करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं इतना समय नहीं दे सकता, आप उनको किसी वक्त दफ्तर में बुला कर बतला दीजिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्धे, मूक और वधिर विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और क्या सरकार द्वारा उनके लिये कोई छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---विद्यार्थियों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है । सबको इकट्ठा करने में समय लगेगा । अगर आप इजाजत दें तो उसे मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---अगर आप पढ़ ही दें तो अच्छा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---राजकीय---मूक---बधिर विद्यालय, आगरा---५४, मूक बधिर विद्यालय, बरेली---४४, अशासकीय---मूक---बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ---७६, नन्हीं दुनिया मूक बधिर, विद्यालय, देहरादून---१४, हिन्दू अनाथालय का मूक-बधिर स्कूल, कानपुर---४८, मूक बधिर विद्यालय, मेरठ---१४, मूक-बधिर विद्यालय, इलाहाबाद---४३, मूक-बधिर विद्यालय, गोरखपुर---४६, मूक-बधिर विद्यालय, सहारनपुर---४८, मूक बधिर विद्यालय, झांसी---१७, मूक-बधिर विद्यालय, डी० जी० बाजार, पीलीभीत---२५, मूक बधिर विद्यालय, वाराणसी---४२ ।

अन्ध विद्यालय राजकीय---

अन्ध विद्यालय, लखनऊ---५३, अन्ध विद्यालय, गोरखपुर---४१,

अशासकीय---

अन्ध विद्यालय नेहरू नगर, कानपुर---५१, स्कूल ऐंड होम फार ब्लाइंड चिल्डरेन, नैनी, इलाहाबाद---८, शार्प मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल, देहरादून---४८, मदर्सा नाबीना, नगीना, बिजनौर---१२, सीतापुर अस्पताल से सम्बन्धित अन्ध विद्यालय---१४, काशी सेवा समिति अन्ध विद्यालय, वाराणसी---२०, अहमदी स्कूल, अलीगढ़---३१, ट्रेनिंग सेंटर फार एडल्ट ब्लाइंड, देहरादून---२२, अन्ध विद्यालय, हरिहर शास्त्री लेन, खलासी लाइन, कानपुर---३०, कुंवर लालसिंह मानसिंह अन्ध विद्यालय, मैनपुरी---६, अन्ध विद्यालय, भदैनी, वाराणसी---३१ ।

जहां तक छात्रवृत्ति की बात है, निर्धन और योग्य छात्रों के अभिभावक जिनकी आमदनी २०० रुपये प्रति मास से कम है, उनको ३० रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति भी दी जाती है ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मेरठ की जो रिपोर्ट आपने सुनाई कि वहां १४ विद्यार्थी हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि इस मेरठ के स्कूल का क्या कभी किसी सरकारी कर्मचारी ने निरीक्षण भी किया है कि वहां वे मौजूद भी हैं या नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । माननीया सदस्या को स्वयं मालूम होना चाहिये, वही ज्यादा जानती होंगी ।

श्री ऊदल---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि माननीया सदस्या को ज्यादा मालूम होगा क्योंकि वे वहां की रहने वाली हैं, तो क्या वे उनकी बात को मान कर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां वे विद्यार्थी पढ़ते भी हैं या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---आप लिख कर दें तो जांच करा ली जायगी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्यालय सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं उन को सरकार कोई सहायता देती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---देती है, उस के बारे में एक लम्बी सूची है, चाहें तो छांट कर बता दूं ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माननीया प्रकाशवती सूद सरकारी पक्ष की एक माननीया सदस्या हैं और भूतपूर्व मंत्राणी भी रही हैं, उनकी सूचना को सत्य मानकर समाज कल्याण विभाग से जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

ट्रेण्ड कम्पाउन्डर्स

*२५--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में कितने नवयुवकों ने प्रदेश में कम्पाउन्डरी की ट्रेनिंग पास की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पिछले तीन वर्षों में ११५२ नवयुवकों ने एलोपैथिक कम्पाउन्डरी की ट्रेनिंग पास की है । आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के अधीन कम्पाउन्डरों की कोई अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है । परन्तु सहायक वैद्यों तथा सहायक हकीमों को कम्पाउन्डरों के पद पर नियुक्त किया जाता है और पिछले तीन वर्षों में १३१ नवयुवकों ने सहायक वैद्य तथा सहायक हकीम की ट्रेनिंग पास की है ।

*२६--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (अनुपस्थित)--क्या सरकार उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ट्रेनिंग पास किये हुये कम्पाउन्डरों की सूची अधिक लम्बी होने के कारण संलग्न नहीं की गई है परन्तु उसकी एक †प्रति सचिव, विधान सभा के कार्यालय में रख दी गई है जहां उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

विलय टेहरी राज्य के कुछ पटवारियों का हटाया जाना

*२७--**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विलीनीकृत टेहरी राज्य के कुछ पटवारी निर्धारित योग्यता न रखने के कारण सरकारी सेवाओं से मुक्त किये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां ।

*२८--**श्री सूरतचन्द रमोला**--यदि हां, तो क्या यह सही है कि "मर्जर एग्रीमेंट" के अनुसार उन्हें इस प्रकार अलग नहीं किया जा सकता था ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं ।

श्री सूतरचन्द रमोला--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने पटवारियान हैं जो निर्धारित योग्यता न रखने के कारण अलग किये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उनकी संख्या २३ है ।

श्री सूरत चन्द रमोला--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त भी उस जिले में ऐसे पटवारी मौजूद हैं कि जो अलग किये गये पटवारियान से कम क्वालिफिकेशन के हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो अलग किये गये हैं उन से कम योग्यता वाले हैं, लेकिन यह सही है कि जो ४२ पटवारी हैं उन में से ४१ ऐसे हैं जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते और सरकार अभी उनके लिये इस बात पर विचार कर रही है कि उन को निर्धारित योग्यता से छूट दी जा सकती है या नहीं, अगर उन को भी छूट न मिली तो उन के साथ भी वही कार्यवाही होगी ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

ताहपुर तथा खरौली ग्रामों के अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*२९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसी अप्रैल माह में जिला फर्रुखाबाद के छिबरामऊ क्षेत्र में नगरिया पंथरा, खरौली तथा ताहपुर में आग लगी है, ताहपुर गांव में तो इस प्रकार की भीषण आग लगी कि तीन दिन तक आग बुझी नहीं, सारा गांव जल गया, आदमी, जानवरों तथा पेड़ों के जलने की खबर है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, इन ग्रामों में आग लगी थी । ग्राम ताहपुर में आग से काफी नुकसान हुआ है ।

*३०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आग से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सरकार की तरफ से अब तक क्या सहायता पहुंचाई गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ग्राम ताहपुर में पीड़ित व्यक्तियों को १,०००) नकद, आधी बोरी चावल, ४ कम्बल, २४ टिन डिब्बा मिल्क पाउडर और ४८ टीन डिब्बा मक्खन की सहायता दी गई । ग्राम खरौली में ५० रुपये की अहैतुक सहायता दी गई ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ताहपुर गांव के कितने आदमी आग लगने से बेघरबार हुये और उनकी कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मकानों में आग लगी जिन में ४७९ व्यक्ति रहते थे और उन को लगभग २,५९,४१६ रुपये की हानि हुई है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों को ४ कम्बल, आधा बोरा चावल, मक्खन तथा दूध किस प्रकार बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो बहुत गरीब थे उनको दिया गया ।

श्री प्रतापसिंह—जब २ लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ तो १ हजार रुपया किस आधार पर दिया गया और १ हजार रुपये में कितना डिस्ट्रिक्ट कंटिंजेन्सी फण्ड से और कितना विशेष अनुदान सरकार की तरफ से दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो स्केयरसिटी फंड है उसी से दिया जाता है, और कहां दूसरा अनुदान है ?

श्री गौरीशंकर राय—करीब ५०० व्यक्तियों में आधी बोरी चावल बांटा गया तो वह चावल पका कर दिया गया या ऐसे ही बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी इत्तला नहीं है कि कच्चा दिया गया या पक्का ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—जिन लोगों का घर आग से जल गया और जो बेघरबार हो गये उनको घर बनाने के लिये सरकार हाउसिंग स्कीम के मुताबिक कुछ कर्ज देने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास रिकार्ड में कुछ नहीं है, इस वक्त नहीं बता सकता ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मंत्री जी ने कहा कि गरीबी के लिहाज से बांटा गया था, तो गरीबी का मापदंड क्या है, किस मापदंड से नाप कर गरीब समझा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो अकिंचन थे, राजा साहब के हैसियत के गरीब नहीं समझे जाते ।

अलीगढ़ जिले में वर्षा तथा ओला पीड़ितों को सहायता

*३१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में हुई वर्षा और ओलों से अलीगढ़ जिले में तहसीलवार किन-किन नशेब के स्थानों पर खेतों में पानी भर गया और फसल नष्ट हो गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—रबी १३६६ फसली में ओलावृष्टि से जिला अलीगढ़ में तहसील इगलास के ८ ग्रामों में और तहसील सिकन्दराराव के ५ ग्रामों में फसल को क्षति पहुंची है । इन क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम संलग्न अनुसूची में दिये हुये हैं ।

खरीफ १३६७ फसली में खेतों में पानी भर जाने से केवल तहसील कोल के ग्राम सहबाजपुर में फसल को हानि पहुंची है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २८६ पर)

*३२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें तहसीलवार कितनी-कितनी हानि हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—संलग्न अनुसूची में दिये गये तहसील इगलास और तहसील सिकन्दराराव के सभी १३ ग्रामों में रबी १३६६ फसली में क्षति की मात्रा रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक थी ।

खरीफ १३६७ फसली में ग्राम सहबाजपुर में क्षति की मात्रा रुपये में ५० नये पैसे से लेकर ७५ नये पैसे तक थी ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. २८६ पर)

*३३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को राहत देने के लिये किन-किन स्थानों पर लगान स्थगित कर दिया गया है और कितनी तकावी बांटने के आदेश सरकार की ओर से दिये जा चुके हैं या दिये जाने वाले हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—संलग्न अनुसूची में दिये गये ग्रामों में रबी १३६६ फसली की मालगुजारी स्थगित नहीं की गई बल्कि उसमें छूट दी गई है । इन ग्रामों में तकावी बांटने के लिये सरकार से न कोई आदेश जारी किये गये हैं और न किये जाने वाले हैं ।

ग्राम सहबाजपुर, तहसील कोल में खरीफ १३६७ फसली की मालगुजारी की वसूली निलम्बित की गई थी । इस ग्राम में भी तकावी बांटने के लिये न कोई आदेश जारी किये गये हैं और न किये जाने वाले हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २८६ पर)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—तहसील हाथरस के बरमाना, महम और बघरौना क्षेत्र में ओलों तथा वर्षा से फसल को जो हानि हुई थी उसके संबंध में अप्रैल के तृतीय सप्ताह में मैंने एक पत्र लिखा था और उसमें ७५ फीसदी या उससे अधिक फसल के नष्ट हो जाने पर लगान स्थगित करने और तकावी देने की मांग की गई थी उस क्षेत्र में कोई सुविधा देने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह प्रश्न किसी नई तहसील का मालूम पड़ता है, स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—खरीफ १३६७ में ७५ फी सदी से अधिक नुकसान हो जाने पर भी छूट क्यों नहीं दी गई और तकावी की सुविधा क्यों नहीं दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जहां ७५ नये पैसे की क्षति हुई थी वहां लगान की छूट दी गई और तकावी बांटने के सिलसिले में जब जिले के अधिकारी मांगते हैं तब आदेश दिये जाते हैं। जिले से मांग न हो तो मालूम होता है कि लोगों को इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, उत्तर दिया गया कि तकावी बांटने के कोई आदेश नहीं दिये गये, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के खजाने में इस वक्त तकावी देने के लिये रुपया नहीं था या वेलफेयर स्टेट इस वक्त तकावी देने के मूड में नहीं थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मांग नहीं आई थी, रुपया बहुत है।

इटावा जिले में दुरुस्ती कागजात के मुकदमे

*३४—**श्री अभयराम यादव** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में प्रति तहसील कागज दुरुस्ती के कितने मुकदमे इस समय विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील औरैया में १५, इटावा में ३३, भर्थना में १२ और विधूना में ७६।

गोरखपुर कमिश्नरी के अस्थायी नायब तहसीलदार

*३५—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के नायब तहसीलदारों की संख्या क्या है जिनकी सेवा अवधि ५ वर्ष से अधिक की है तथा स्थायीकरण के अभाव में ओवर एज हो रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—३ स्थायी तथा १६ अस्थायी नायब तहसीलदार गोरखपुर में ऐसे हैं जिनकी सेवा अवधि ५ वर्ष से अधिक की है।

तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पद पर स्थायी पदोन्नति के लिये कोई आयु निर्धारित नहीं है, अतएव ओवर एज होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के अस्थायी पद से स्थायी पद प्राप्त करने के कितने दिन निश्चित हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—कोई दिन निश्चित नहीं हैं।

कानपुर में कैन्सर संस्थान की स्थापना का आयोजन

*३६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के अन्तर्गत एक कैन्सर संस्थान स्थापित करने के लिये व्यवस्था की गई है और क्या यह सत्य है कि इसमें स्थान के लिये भवन का निर्माण जे० के० चेरीटेबिल ट्रस्ट, कानपुर के धन से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भवन वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। आशा है कि भवन वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में बनकर तैयार हो जावेगा।

*३७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भवन की आवश्यक सज्जा का प्रबन्ध भी १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में कर दिया जायेगा और क्या इस सज्जा की कुछ चीजें विदेशों से भी मंगानी पड़ेंगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में केवल १,५०,००० रुपये संस्थान के लिए स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से कुछ सामान विदेशों से भी मंगाना पड़ेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में जिस भवन का निर्माण जे० के० चेरिटेबिल ट्रस्ट, कानपुर अपने ढंग से कर रहा है तो सरकार और उक्त ट्रस्ट में कोई इकरार-नामा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। उन्होंने यह वायदा किया है कि वह इमारत बनवा करके दे देंगे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि कैंसर रोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है इसलिये ऐसी संस्थाओं के कार्यों की गति को तेज करने की किसी योजना पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कई जगह हम ऐसे इंस्टीट्यूटस कायम कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जे० के० चेरिटेबिल ट्रस्ट ने कितना रुपया दिया है और सरकार कितना खर्च करने के लिये तैयार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मकान में हम एक पैसा नहीं देंगे इक्विपमेंट और रनिंग खर्चा हम देंगे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--आवश्यक साज-सज्जा हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी और डेढ़ लाख रुपया जो स्वीकृत किया गया इसका सारा सामान विदेशों से मंगाया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो सामान यहां नहीं होगा वह बाहर से मंगाया जायगा और करीब १२ लाख रुपया लगेगा।

बीलों ग्राम के अग्नि पीड़ितों को सहायता

*३८--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के ग्राम बीलों में ६ अप्रैल, १९६० को आग लग जाने से ५० घर जल गये हैं और ५ जानवर जल कर मर गये हैं और ६ आदमी जख्मी हो गये हैं जिनकी हालत चिन्ताजनक है ? ऐसी दशा में अब तक सरकार ने वहां पर क्या-क्या मदद की है और क्या-क्या और मदद करने का विचार है और आग लगने से कुल कितना नुकसान हुआ है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ग्राम बीलों में दिनांक ६ अप्रैल, १९६० को आग नहीं लगी। आग ५ अप्रैल, १९६० को दोपहर बाद लगी जिसके फलस्वरूप ५१ घर जल गये तथा २ जानवर जल कर मर गये, मनुष्य जीवन को हानि कोई नहीं हुई । कुल क्षति अनुमानतः ५१,५४२ रु० की हुई । ६०० रु० की अहेतुक सहायता दी गई ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतायेगी कि जिन ५१ आदमियों के मकान जल कर राख हो गये हैं उनका लगान माफ कर देने के लिये और उनके मकान बनाये जाने के लिये कुछ सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मकान जलने पर लगान माफ करने की कोई व्यवस्था नियमों में नहीं है और जहां तक मकान बनाने के लिये सहायता का प्रश्न है उसके लिये यदि अपेक्षा करेंगे तो जिला अधिकारी जो मुनासिब सहायता हो सकेगी करेंगे ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री इस बात को नियमानुकूल समझते हुए वहां के जंगलात विभाग को आदेश जारी करेंगे कि उनके मकानों में जितनी लकड़ी लगी थी वह फ्री दे दी जाय ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जब कलेक्टर के पास डिमांड पहुंचेगी तो वह मूव करेगा।

राज्य के पश्चिमी भाग में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच खोलने की प्रार्थना

*३९--श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास हाल ही में इस विषय पर जनता ने और वकीलों ने ऐसे सुझाव भेजे हैं कि इलाहबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी जिलों के लिये आगरा में या किसी दूसरी जगह खोल दी जायें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां। इस प्रकार के सुझाव सरकार के पास समय-समय पर कई वर्गों से आते रहे हैं, परन्तु काफी विचार के बाद यह तय किया गया कि इलाहबाद हाई कोर्ट की एक बेंच आगरा, मेरठ या अन्य किसी पश्चिमी जिले में खोलना उचित नहीं होगा। इस विषय में ला कमीशन ने भी काफी विचार के बाद ऐसा ही मत प्रकट किया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच किसी पश्चिमी जिले में भी खोल दी जाय तो इसमें सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं और क्यों नहीं आवश्यक समझा गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ला कमीशन की राय है कि कहीं और उसकी बेंच न खोली जाय।

श्री अध्यक्ष--वे कारण पूछ रहे हैं, राय नहीं पूछ रहे हैं। सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरी राय भी है कि नहीं खोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--कारण बतलाइये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--कारण यह है कि एक जगह पर होगी तो अच्छा कार्य होगा, अच्छी लायब्रेरी होगी, अच्छी लीगल एड मिलेगी। ये सब सुविधायें एक जगह पर होने से होंगी। मुतफर्रिक जगहों पर कर देने से हाईकोर्ट की शान-शौकत जाती रहेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जब इलाहबाद में थी तो फिर उसकी ब्रांच लखनऊ में क्यों खोल दी गयी ? एक ही जगह रहती तो बेहतर रहता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिस वक्त चीफ कोर्ट तथा हाई कोर्ट का अमलगमेशन हो रहा था तो हमारे मित्र इस सदन के सदस्य नहीं थे, उसी वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि लखनऊ बेंच यहां बदस्तूर कायम रहेगी।

श्री प्रतापसिंह--मुल्क की गरीब जनता को सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके इस बात का ध्यान रखते हुए क्या माननीय मंत्री कोशिश करेंगे कि एक बेंच और खोल दी जाय?

श्री अध्यक्ष--यह सुझाव आप भेज दीजियेगा। यह प्रश्न नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--इलाहबाद में हाईकोर्ट खुलने से पहले हाई कोर्ट आगरा में थी और इसलिये अब आगरा में यदि कोई हाईकोर्ट की शाखा खोल दी जाती है तो आगरा या प्रदेश के पश्चिमी जिलों के प्रति न्याय ही होगा, इस पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आगरा से हटाई गयी तो कोई माकूल वजूहात रहे होंगे।

करहल तहसील में भूमिहीनों को नये पट्टे देने के सम्बन्ध में शिकायत

*४०--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की करहल में ग्राम सभा व पंचायत की तरफ से अगस्त, १९५९ में जो गांव समाज की जमीन के पट्टे दिये गये हैं उनमें से कितने पट्टे भूमिहीनों को और कितने दूसरे लोगों को दिये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--१५ पट्टे भूमिहीनों को और २८ पट्टे दूसरे लोगों को दिये गये।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि २८ पट्टे ऐसे शख्सों को दिये गये जो भूमिहीन नहीं हैं तो वे पट्टे ऐसे लोगों को दिलवाये जायेंगे जो भूमिहीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह तो कानून बना है। अगर गांव पंचायत ने ठीक तौर से कानून के अनुसार उनको दिया है तब तो कोई चारा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं वहां के वे लोग जो इंटरेस्टेड हों।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार को ज्ञात है कि पट्टों के मुताल्लिक हाकिम परगना, मैनपुरी को जनता ने लिख कर दिया है कि घोर रिश्वतखोरी हुई है और बेईमानी की गयी है तो क्या उसकी जांच सरकार ने करवाई है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमारे मित्र लिख कर देंगे स्पेसिफिक केसेज तो हम जांच करा सकते हैं।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क

*४१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'टेस्ट वर्क सलाह कारिणी कमेटी' आजमगढ़, ने जिले में कहां-कहां टेस्ट वर्क खोलने का निश्चय वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये किया था ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--न तो टेस्ट वर्क सलाहकारिणी कमेटी ही कोई जिले में है, और न इस प्रकार का कोई निश्चय ही किया गया था। हां, दिनांक ३-१०-५९ को जिलाधीश आजमगढ़ की अध्यक्षता में जिले के विधायकों तथा विभागीय अधिकारियों की एक मीटिंग में, अन्य बातों के अतिरिक्त, ऐसे कार्यों की एक लिस्ट की सिफारिश की गई थी जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर टेस्ट वर्क द्वारा पूरा किया जा सकता था।

*४२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निश्चयानुसार कहां-कहां टेस्ट वर्क खोले गये तथा अलग-अलग कितना-कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--सिफारिश किये गये कार्यों में से जिन-जिन पर १९५९-६० में टेस्ट वर्क चलाया गया उनकी सूची, जिसमें प्रत्येक कार्य पर किया गया व्यय भी दिखा दिया गया है, संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २८७ पर)

*४३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि अधिक तादाद में सरकारी कर्मचारियों के न रहने के कारण ही सभी स्थानों पर टेस्ट वर्क नहीं खोला जा सका है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, यह सवाल है कि कहां-कहां टेस्ट वर्क खोलने का निश्चय किया था लेकिन उत्तर में कोई तालिका या जानकारी ऐसी नहीं दी गयी है जिससे यह मालूम हो कि कहां-कहां टेस्ट वर्क खोलने का निश्चय हुआ था ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, उत्तर तो दिया गया कि कोई सलाहकारिणी समिति नहीं है। इसलिये यह प्रश्न जो सलाहकारिणी समिति द्वारा निश्चय करने का है उसका उत्तर स्पष्ट हो जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--३-१०-५९ को जो सलाह-मश्विरा किया गया और तालिका बनायी गयी, माननीय मंत्री जी उसको बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--मान्यवर, वह पूरी सूची इस समय हमारे पास नहीं है । जहां जहां टेस्ट वर्क खोले गये उसी की तालिका दी गयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि लगभग डेढ़ सौ स्थानों पर टेस्ट वर्क चालू करने का निश्चय किया गया था लेकिन केवल ३६ स्थानों पर ही कर्मचारियों के अभाव में टेस्ट वर्क खोले गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डेढ़ सौ वाली बात भी गलत मालूम होती है और जितनी जरूरत समझी गयी उतने खोले गये क्योंकि फेमिन कोड की रूल से हर जगह कम से कम ५ हजार हाजिरी होनी चाहिये लेकिन कहीं पर भी १ हजार से ज्यादा हाजिरी नहीं हुई और कहीं-कहीं दो सौ और तीन सौ के बीच में रही । लिहाजा यह कहना ठीक नहीं है कि अधिकारियों की कमी की वजह से ज्यादा टेस्ट वर्क नहीं खोले गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि वहां के विधायकों की ओर से जिलाधीश और सरकार के पास इस तरह की मांग आयी थी और माननीय न्याय मंत्री जब स्वयं दौरे पर गये थे तो वहां के विधायकों ने अधिक टेस्ट वर्क खोलने की मांग की थी और इसीलिये यह निर्णय लिया गया था और सरकार की ओर से ४ लाख रुपये की स्वीकृति भी की गयी थी जब कि केवल २ लाख ९५ हजार रुपये ही व्यय किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चूंकि हाजिरी कम थी तो रुपया सड़क पर थोड़े ही फेंक दिया जायगा । जहां-जहां लोग आये वहां-वहां टेस्ट वर्क खोले गये और जहां नहीं आये वहां नहीं खोले गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फेमिन कोड के अनुसार कितने मील की दूरी पर टेस्ट वर्क खोलने की व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर हमारे माननीय मित्र फेमिन कोड देख लें तो उन्हें मालूम हो जायगा ।

गरौठा तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*४६--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गरौठा तहसील (झांसी) में १४ जनवरी, १९६० को किन-किन गांवों में ओले पड़े थे और उनसे फसल को कितनी-कितनी क्षति हुई थी तथा उसके फलस्वरूप उसने वहां के किसानों को किस-किस प्रकार की सहायता दी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--तहसील गरौठा के ८० गांवों में ओले पड़े जिससे फसल को क्षति पहुंची उन गांवों के नाम तथा उनमें अनुमानित क्षति का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

क्षति ग्रस्तों को ५०० रुपये की अहेतुक सहायता और १४,००० रुपये की तकावी बांटी गई । उन गांवों में जहां क्षति की मात्रा रुपये में ४० नये पैसे या उससे अधिक थी उनमें १८,६९४ रुपये ९५ नये पैसे की मालगुजारी में छूट देने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २८८-२८९ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस आशय की शिकायतें आयी हैं कि जिन गांवों में २ आने नुकसान बतलाया गया है उनमें से बहुत से गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो उन शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—शिकायतों की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन इसका इत्मीनान कर लिया गया है कि जहां साढ़े ६ आने या इससे अधिक क्षति थी वहां छूट दे दी गयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—मालगुजारी में छूट देने के आदेश कब दिये गये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख बतलाने के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

कानपुर में कैन्सर संस्थान की स्थापना का आयोजन

*४५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार राज्य में कैन्सर के इलाज की अभी तक कोई व्यवस्था न होने के कारण लखनऊ या कानपुर में उसकी व्यवस्था करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह कहना ठीक न होगा कि राज्य में अभी तक कैन्सर रोग के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके उपचार के लिये डीप ऐक्सरे थेरेपी तथा रेडियम थेरेपी की सुविधायें सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा, गांधी स्मारक चिकित्सालय, लखनऊ कमला नेहरू अस्पताल, इलाहबाद, लावेट अस्पताल, रामनगर, जिला वाराणसी तथा गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में एक रेडियोलाजी तथा कैन्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जा रहा है, जिसकी इमारत अभी बन रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जो इमारत बन रही है, वह कब तक मुकम्मल हो जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९६०-६१ तक।

*४६-४७—श्री अमरनाथ—[११ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४८-४९—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—[११ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

चकबन्दी का खर्च किस्तों में लेने का आदेश

*५०—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चकबन्दी का खर्चा किसानों से किस्तों में लिया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चकबन्दी का खर्चा किसानों से दो किस्तों में लेने के आदेश जारी हो चुके हैं।

मैनपुरी जिले के दो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की न्यायाधीश सर्व श्री जेम्स तथा तकरू द्वारा कड़ी आलोचना

*५१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ११ मई, १९६० को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्व श्री जेम्स तथा तकरू ने मैनपुरी जिले के दो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के बारे में श्री पुत्तू लाल की अपील के संबंध में जो यह कहा है कि इन लोगों ने अयोग्यता तथा लापरवाही का परिचय दिया है और उन्हें अभियोग-पत्र भी तैयार करना नहीं आता तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट पद के लिये इनकी योग्यता में हमें संदेह है, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और क्या इसको न्यायाधीशों ने उचित कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेजा है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी तक सरकार को इस विषय में कहीं से भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में लेक्चरर्स का चुनाव

*५२--श्री भीखालाल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिये सम्पूर्ण समय के लिये लेक्चरर्स का चुनाव गत वर्ष किया गया था और कुछ होम्योपैथ व एलोपैथ लेक्चरर चुने गये थे ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन की नियुक्ति अब तक की गई है और किन की नहीं और नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--(१) जी हां।

(२) अब तक कालेज बोर्ड द्वारा चुने गये निम्नलिखित उम्मीदवारों का चुनाव सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया--

(१) डा० मुहम्मद इस्तीयाक हुसैन कुरैसी (होम्योपैथ)
(२) डा० जे० पी० मुकर्जी, (होम्योपैथ)
(३) डा० एम० एम० पालित (एलोपैथ)
(४) डा० डी० एन० खन्ना, (एलोपैथ)
(५) डा० एल० रस्तोगी (एलोपैथ)

(३) निम्नलिखित उम्मीदवारों का चुनाव सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है और इनके स्थान पर कालेज बोर्ड से फिर से प्रस्ताव मांगे गये हैं--

(१) डा० ए० सी० सक्सेना,
(२) डा० जी० एस० चौधरी ।

(४) उपरोक्त दो उम्मीदवारों के चुनाव को अस्वीकृत करने का कारण यह है कि सरकार यह समझती है कि कुछ उम्मीदवार इनसे भी योग्यता में अच्छे हैं ।

श्री भीखालाल--अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न में पूछा था कि जिन का चुनाव स्वीकृत हुआ है उनकी नियुक्ति भी हो गई है या नहीं लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पांच आदमी जो चुने गये हैं उनकी नियुक्ति हो गयी है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यहां से मंजूर कर दिये गये हैं, बोर्ड करता होगा ।

अतारांकित प्रश्न

भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण तथा बटवारे के दावे

१--श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ), श्री अमरनाथ तथा श्री अब्दुल रऊफ तारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, १९५९ से लेकर २० अगस्त, १९५९ तक प्रदेश में कितनी भूमि का हस्तांतरण (transfer) हुआ व कितनी भूमि के बटवारे के दावे अदालत में दायर हुये ? इसमें से कितनी भूमि ऐसे खातेदारों की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१५ से २० अगस्त, १९५९ तक प्रदेश भर में ८,१२० एकड़ भूमि का हस्तांतरण हुआ और ४,४८२ एकड़ भूमि के बटवारे के दावे अदालतों में दायर हुए । प्रश्न के दूसरे भाग में पूछी गई सूचना भी एकत्रित की जा रही है ।

राजा वीरेन्द्र विक्रमसिंह तथा श्री धर्मदास के निधन पर शोकोद्गार

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--श्रीमन्, आज दो घटनायें ऐसी सुनने में आयी हैं जो बड़ी दुखद हैं । एक तो राजा वीरेन्द्रविक्रमसिंह जो बहराइच जिले के रहने वाले थे और

हमारे इस सदन के भी अरसे से मेम्बर रहे हैं तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले जब यहां इस सूबे में कौंसिल थी, उस वक्त वह कौंसिल के भी सदस्य थे, उनके निधन की है। राजा साहब बड़े सरल स्वभाव के थे और बड़े शिष्ट थे। हमारे जिले के प्रीमियर ताल्लुकेदारों में से थे और हमारे जिले के ही नहीं बल्कि अवध के ताल्लुकेदारों में एक खास जगह रखते थ। राजा साहब हरदिल-अजीज थे और अपने इलाके की जनता में बड़े पापुलर थे। हर किसान उनके पास आसानी के साथ अपना दुखदर्द कहने के लिए पहुंच सकता था और भरसक उसकी वह मदद भी किया करते थे। हमारे जिले के तमाम सार्वजनिक कामों में भी वह भाग लेते थे। कई ऐसी संस्थाओं में वह पदाधिकारी भी रहे हैं। मेरा भी उनके साथ सम्पर्क करीब ४० वर्षों का था। उनका ऐसा स्वभाव था कि दुश्मन के साथ भी उनका वही व्यवहार रहता था जो अपने मित्र के साथ और जो उनसे मिल कर के आता था नाखुश नहीं रहता था। अरसे से वह बीमार थे। अभी हमारा ऐसा खयाल है कि ५० वर्ष से ज्यादा अवस्था उनकी न रही होगी। उनके निधन से हमारे सूबे में और खास कर हमारे जिले में बहुत बड़ा गैप हो गया है और इससे बड़ी क्षति पहुंची है।

धर्मदास जी भी हमारी इस असेम्बली के सदस्य रहे। क्रिश्चियन कम्युनिटी को वह रिप्रिजेंट करते थे। बड़े सौम्य थे। जनसेवा में उनकी लगन रहती थी और इस समय वह संसद-सदस्य थे। वहां से जनता की सेवा करते थे। उनका भी निधन कल अचानक हुआ थ्रम्बोसिस की बीमारी से। उनके मरने से भी हमारे देश को बड़ी क्षति पहुंची और लोगों क लिए बड़े दुख का बायस है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों सज्जनों की आत्मा को शान्ति प्रदान करे और आपसे निवेदन है कि इन दोनों सज्जनों के दुखी कुटुम्बों के पास आप इस सदन की समवेदना का प्रस्ताव भेजने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों से यह मालूम हुआ कि श्री धर्मदास की मृत्यु हो गई। सभी को मालूम है कि वह इस सदन के एक सदस्य रह चुके हैं और इस सदन की तरफ से राज्य-सभा में भी चुन कर भेजे गए थे। बड़े ही सज्जन आदमी थे। बहुत समय तक उनका निवास-स्थान भी इसी लखनऊ शहर में था। वैसे तो वह ईसाई कौम के लिए जो सुरक्षित स्थान था उस पर चुन कर गए थे, लेकिन उनका मेल-जोल सभी लोगों से था और मुझे ऐसे भी कई अवसर याद हैं कि जब कभी भी साम्प्रदायिकता की बात हमारे दुर्भाग्य स इस शहर में उठी धर्मदास जी सदा उसमें उसको रोकने के लिये, उसको दबाने के लिये और उसको समाप्त करने के लिये अग्रसर रहे।

राजा वीरेन्द्रविक्रमसिंह की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है। वह बहुत ही भले आदमी थे। इस सदन के वह दो बार सदस्य चुने गये। १९५७ के चुनाव में वह पुनः चुनकर आये थे। जैसा माननीय उपनेता सदन ने कहा वह सन् १९३७ के पहले उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य थे। वह बहराइच जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जिन लोगों से उनका सम्पर्क था उनको उनकी भलमनसाहत का सही अन्दाजा हो सकता है। उनके पिता जितने ज्यादा आन-बान और शान-शौकत के आदमी थे यह उतने ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। हर एक की वह मदद करते थे और मीठे बोल बोलना उनका स्वभाव था। यह हमारी बदकिस्मती है कि वह नहीं रहे। वह अरसे से क्षय रोग से पीड़ित थे, लेकिन इतनी एहतियात के आदमी थे कि इस रोग के होते हुये भी, मेरे खयाल में, वह लगभग १५ वर्ष जिये। जहां तक मेरा अनुमान है उनकी अवस्था ५५ वर्ष की थी। जो भी उनके पास जाता था वह उसकी सहायता करने में हिचकते नहीं थे। बहराइच या पयागपुर के ही नहीं बल्कि लखनऊ नगर के भी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस से उनका सम्पर्क था, खासी दिलचस्पी थी। काल्विन कालेज की मैनेजिंग कमेटी में या लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्ट में उनकी खासी दिलचस्पी रहती थी। उनके न रहने से मान्यवर, एक अच्छा-भला आदमी, एक समाजसेवी हमारे बीच से उठ गया। मैं श्रीमान् से प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरफ के बैठने वालों की ओर से राजा वीरेन्द्रविक्रमसिंह के परिवार वालों को और धर्मदास जी

[श्री त्रिलोकसिंह--]

के परिवार वालों को--जो विचार यहां पर माननीय उपनेता सदन ने प्रकट किये हैं और जिनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं—वे उन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, यों तो इस संसार में जो आया है उसको जाना अवश्य है, मगर दुख तब होता है जब यह देखते हैं कि हमारे बीच से ऐसा सज्जन, जिनकी जोड़ का ढूंढ़ना आसान नहीं है, वह अब नहीं रह गया है। वह ताल्लुकदार समुदाय के थे। सौभाग्य से हम भी जमींदार, ताल्लुकदार समुदाय में से हैं। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में उनका इतना सरल, उनके इतना सज्जन और उनके इतना नेक कोई जमींदार, कोई पुरुष नहीं था। हमारा उनका सम्बन्ध यों तो पड़ोस के जिले के होने के नाते था ही, किन्तु पुश्तैनी सम्बन्ध भी था। ६ वर्ष की उम्र से निरन्तर उनका और हमारा सम्पर्क बराबर आज तक रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि मुझको वह अपना छोटा भाई मानते थे। उनकी सज्जनता का यह चिन्ह है कि सन् १९३६ से लेकर आज तक बराबर उनको स्वयं उम्मीदवार बनाकर वहां की जनता ने चुनकर भेजा है। उनके न रहने से मैं तो यह कहूंगा कि हमारे जमींदार समुदाय को काफी हानि पहुंची मगर हमारे इस सदन से भी एक सज्जन, एक नेक पुरुष हमारे बीच से उठ गया है। माननीय उपनेता सदन ने तथा नेता विरोधीदल ने जो भाव प्रकट किये हैं मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि पेश करता हूं और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की समवेदना आप उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। धर्मदास जी भी, हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में हम उनके साथ रह चुके हैं और वह भी एक सज्जन पुरुष थे। उनके साथ थोड़ा बहुत जिनका सम्पर्क रहा है, वे जानते हैं कि वे सादगी और नेकी के प्रतीक थे और उनके निधन से क्रिश्चियन कम्युनिटी को और जो नेशनलिस्ट विचारों के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा है। मैं उनके प्रति भी अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप हम लोगों की समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उप-नेता सदन तथा विरोधी दल के नेता ने श्री वीरेन्द्रविक्रमसिंह तथा श्री धर्मदास जी के संबंध में जो समवेदना के विचार प्रकट किये हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से अपने आपको और अपनी पार्टी को उनसे संबद्ध करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजा वीरेन्द्रविक्रमसिंह सन् १९३७ में स्वतंत्र उम्मीदवार हो कर आये थे और मैं उस समय कांग्रेस की ओर से इस विधान सभा में निर्वाचित होकर आया था। तबसे मेरा उनका संबंध रहा। मैं बहुत दिनों तक यह नहीं जान पाया कि वे राजा हैं। वह ऐसे सरल थे और उनका व्यवहार इतना सर्व साधारण से मिलता-जुलता था कि उनका राजापन कहीं भी प्रकट नहीं होता था। यही उनकी महानता थी। इस समय भी वह हमारे इस सदन के सदस्य थे। उनके न रहने से हमारे सदन को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

श्री धर्मदास जी से भी मेरा व्यक्तिगत परिचय और संबंध रहा है। वह भी सन् १९४६ में कांग्रेस पार्टी की ओर से इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आये थे और यद्यपि वे थे ईसाई परन्तु उनके अन्दर धार्मिक कट्टरपन, जातीयता, साम्प्रदायिकता छू तक नहीं गयी थी। जब कभी भी ऐसा कोई प्रसंग आया और उनसे वार्तालाप हुआ या सदन में जब उन्होंने अपने विचार प्रकट किये, उनमें सदैव वे जातीयता और साम्प्रदायिकता से दूर रहे। वे इस सदन की ओर से राज्य सभा के सदस्य थे। उनके निधन से हमारे देश को जो हानि हुई है वह कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आप से यह प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार के पास हमारी समवेदना एवं सहानुभूति के विचार भेजने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, राजा साहब पयागपुर के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था और उनके लिये केवल तीन शब्दों में यदि कहूं तो वे सज्जनता, सौम्यता और सहृदयता की साकार प्रतिमा थे। ऐसा व्यक्ति जब समाज से उठ जाता है और जब उसका रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिये कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता तो हृदय को कष्ट होता है। माननीय राजा साहब पयागपुर के लिये माननीय नेता सदन ने तथा अन्य अन्य नेताओं ने जो बातें कही हैं उनसे मैं अपने को और जनसंघ को संबद्ध करता हूं।

श्री धर्मदास जी के बारे में जो बातें नेता सदन तथा अन्यान्य नेताओं ने कही हैं उनसे भी मैं अपने को और जनसंघ को संबद्ध करता हूं और श्रीमन् से प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक हम सब की समवेदना पहुंचाने का आप कष्ट करें।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा वीरेन्द्र विक्रमसिंह इस सदन में अपने घरेलू कामों और स्वास्थ्य के कारण बहुत कम उपस्थित रहा करते थे, लेकिन एक बात निश्चित है कि जब कभी भी वे आये और जो व्यक्ति भी उनसे मिला, उन्होंने अपने सरल स्वभाव के कारण उस व्यक्ति को अत्यन्त प्रभावित किया। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी जो बहुत कम लोगों में पायी जाती है और ऐसे व्यक्ति का जब समाज से निधन होता है तो निश्चित रूप से उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि समाज के बहुत से लोगों को कष्ट होता है। श्री धर्मदास जी हमारे प्रदेश के एक अल्पमत के प्रतिनिधियों में से थे। नेता विरोधी दल ने जिन बातों का उनके संबंध में उल्लेख किया है कि हमारे प्रदेश में जब कभी भी साम्प्रदायिकता की आग भड़की, उन्होंने उसका विरोध किया। निस्संदेह ऐसे व्यक्ति न केवल उस नगर या उस प्रदेश के, वरन् पूरे देश के एक कल्याणकारी व्यक्ति होते हैं। जब ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से उठ जाते हैं तो हमें अत्यन्त दुख होता है। मैं इस अवसर पर अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि हमारे विचार उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज राजा वीरेन्द्रविक्रम सिंह के निधन के कारण एक महान् क्षति हुई है और मैं यह कह सकता हूं कि हम ताल्लुकेदारों के लिये ऐसा दूसरा आदमी मिलना असम्भव बात है। उनकी वजादारी, उनकी सरलता और सौजन्यता आदि ऐसे गुण उनमें थे जिसकी वजह से वे मानवता के प्रतीक थे। मैं एक ताल्लुकेदार होने के नाते उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। आज मुझे बहुत दुख है कि उन जैसे व्यक्ति के उठ जाने से समाज में इसकी पूर्ति न हो सकेगी।

माननीय धर्मदास जी के बारे में भी जो माननीय उप-नेता सदन ने और माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचार प्रकट किये उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि उन दोनों दुखी परिवारों तक आप मेरी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मदास जी तथा श्री वीरेन्द्रविक्रमसिंह, इन दोनों के दुखद निधन के ऊपर माननीय उप-नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक श्री धर्मदास जी का सम्बन्ध है वे अपने देश के इने-गिने व्यक्तियों में से एक थे जिनकी साम्प्रदायिकता छूकर भी नहीं निकली थी। सन् १९४६—५२ तक वे हमारे सदन के सदस्य भी रहे। वे क्रिश्चियन समुदाय के सदस्यों की ओर से चुने गये थे। इसके पश्चात जो उनके उदार विचार, उनकी असाम्प्रदायिकता तथा और अनेक गुण हमने देखे उसके कारण हमने उनको राज्य सभा का सदस्य भी चुना और वहां भी उनकी ऐसी ही ऊंची ख्याति रही जो कि यहां पर प्रदेश में रही। ऐसे शुद्ध आचरण के असाम्प्रदायिक देश-भक्त व्यक्ति के चले जाने से जो हमारे बीच खाई हो गयी है उसका पटना सम्भव प्रतीत नहीं होता। हम केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

यही कर सकते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले। जैसी कि आपने इच्छा प्रकट की, मैं उनके कुटुम्बियों के पास इस सदन की समवेदना और दुख पहुंचा दूंगा।

जहां तक श्री वीरेन्द्रविक्रमसिंह जी का सम्बन्ध है, यह बात बिलकुल सही है कि वह उस पीढ़ी के एक महान पुरुष थे जो पीढ़ी अब खत्म हो रही है। आजकल की भाषा, आजकल की सभ्यता का स्तर, परस्पर व्यवहार का जो तरीका है वह बहुत कुछ बदलता चला जा रहा है। हमें उस जमाने की याद आती है जिस वक्त कि कड़ा राजनीतिक विरोध होते हुए भी लोगों ने सज्जनता नहीं छोड़ी, उन्हीं सज्जन व्यक्तियों में वह थे। ताल्लुकेदारी तथा जमींदारी प्रथा हमने यहां पर कानून के जरिये से मिटायी, लेकिन कभी भी मैंने यह नहीं सुना राजा साहब की तरफ से शिकायत करते हुए कि कोई बड़ा भारी अत्याचार समाज के ऊपर हो रहा है। अन्य ताल्लुकेदार हर तरह से विरोध करते रहे और सदन में अपने विरोधों को व्यक्त करते रहे, लेकिन राजा साहब की तरफ से वही उदारता बरती गयी जो कि अपने किसानों के लिए अपने इलाके में वह बरतते थे और शायद वह हमारे साथ अपने अंतरंग में कि जमींदारी विनाश से उन किसानों का सब प्रकार से लाभ होगा।

यहां पर सब के साथ उनका सम्बन्ध भ्रातृ भाव और प्रेम का रहता था और मैंने भी प्रारम्भ में कभी पहिचाना नहीं कि ये ताल्लुकेदारों में से हैं। जब मुझे बताया गया कि आप पयागपुर के ताल्लुकेदार साहब हैं तब मैंने समझा कि ताल्लुकेदार हैं। वैसे उनसे कई दफा मुझे मिलने का मौका मिला, बात-चीत भी करने का मौका मिला और मैं यह समझता हूं कि वह एक बड़े सौहार्द्रपूर्ण सज्जन पुरुष थे। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि उनके जाने से समाज का बड़ा भारी नुकसान हुआ है जिसकी पूर्ति होनी कठिन है। उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति हम परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे परमात्मा शान्ति दें और उनके दुखी कुटुम्बियों के प्रति आपकी और अपनी समवेदना मैं पहुंचा दूंगा।

अब हम दोनों दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए परमात्मा से दो मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का सप्तम, प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों का समावेश है जो विधान सभा में २८ जुलाई, १९५९ से ३० दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में दिये गये थे। इन आश्वासनों की कुल संख्या १३४ है। जिनमें से ७७ आश्वासन ऐसे हैं जिनकी या तो पूर्ति हो चुकी है या सम्बद्ध विभागों द्वारा किये गये उत्तर समिति के मत से सन्तोषजनक हैं। ५१ आश्वासन ऐसे हैं जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है अथवा जिनकी प्रगति से समिति सन्तुष्ट नहीं है। ६ आश्वासन ऐसे हैं जिनके बारे में सम्बन्धित विभागों से कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त हुये हैं। ऐसे विभागों द्वारा इस प्रकार की उदासीनता अवांछनीय है। कुछ आश्वासनों की पूर्ति के सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। ऐसे मुख्य-मुख्य आश्वासनों का उल्लेख प्रतिवेदन के प्रमुख भाग में कर दिया गया है। आशा है भविष्य में सरकारी सम्बंधित विभाग आश्वासनों की पूर्ति करने में विलम्ब नहीं करेंगे, और जिस उद्देश्य से आश्वासन सदन में दिये जाते हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी।

---

† छापा नहीं गया।

श्रीमन, मैं एक शब्द फिर कहना चाहता हूँ और मुझे दुख है कि बार-बार कहना पड़ता है। आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इन आश्वासनों के बारे में बार-बार यह अनुभव में आया कि बहुत से विभाग इनके प्रति उदासीन रहे और जितनी तत्परता से कार्य होना चाहिये था वह कार्य नहीं हुआ और कई विभागों ने तो, जैसा कि मैंने ६ आश्वासनों की संख्या बताई, उत्तर देने का कष्ट तक नहीं किया। मैं श्रीमन, से और आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि यह स्थिति जो देखने को आती है वह भविष्य में देखने को न आये। इसके लिये सरकार विचार करके कदम उठाये, यह प्रार्थना मैं सरकार से करूंगा।

अन्त में मैं पुनः एक बार आश्वासन समिति के जो कार्याधिकारी लोग हैं जिनके परिश्रम और जिनके सहयोग के कारण थोड़े समय में मैं तीन रिपोर्टें सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सका उनका आभार प्रकट करता हूं और अपनी तथा समिति की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष (श्री हुकुम सिंह विसेन से)--क्या आप कुछ कहेंगे, इस सम्बन्ध में एक दिन माननीय नेता सदन ने आश्वासन दिया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। नेता सदन ने जो कहा था उस पर कार्यवाही हो रही है।

रिहन्ड डैम का फाटक बन्द करने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार सम्बन्धित मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करने के बारे में श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने जो लिखा है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ, इसको मैंने स्वीकर कर लिया है कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया जाय :

"अध्यक्ष महोदय,

विनम्र निवेदन है कि नीचे लिखे महत्व के अत्यावश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने की कृपा की जाय :

६ मई, १९६० को रिहन्ड डैम का फाटक बन्द करने से १०८ गांव, १८० वर्गमील भूमि और ४५ हजार किसानों की जान व माल खतरे में पड़ गई है। पिछले १० वर्षों से सरकार की ओर से कोई उचित व्यवस्था इन बेघर होने वाले किसाने के लिये नहीं की गई है। आज १० रुपया व २० रुपया फी एकड़ व ३० रुपया फी व्यक्ति पुनर्वास का धन देकर इन लोगों को डन्डे के बल से वहां से भगाया जा रहा है जिससे हजारों लोग पता नहीं कहां चले गये हैं। अधिकांश गांव पानी से घिर गये हैं। जिससे वहां के बसने वाले लोगों की जिन्दगी एकदम खतरे में पड़ गई है। थोड़े लोगों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की गई है वह एक स्वांग मात्र है, उनके निवास, जल-भोजन, दवादारू व सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे भयंकर बीमारी फैल रही है। डाकेजनी में भी लोग मारे गये हैं, साथ ही बुरी तरह लूट गय व बालिकाओं का अपहरण हुआ। बार-बार निवेदन के बावजूद सरकार सोई हुई है। इस लोक महत्व के अत्यावश्यक तात्कालिक विषय पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया जाय।"

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री क्या इसके बारे में कोई वक्तव्य देंगे?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--मुझे इसके लिये कुछ समय दिया जाय ताकि खुलासा तौर पर उसके बारे में बता सकूं। मेरे ख्याल से २-३ दिन का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--सोमवार, १ अगस्त को आप सूचना प्राप्त करके दे दें।

१९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न १२६ के उत्तर का शोधन

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—अध्यक्ष महोदय, १९ फरवरी, १९६० की बैठक में श्री देवी प्रसाद मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था—

प्रश्न	उत्तर
क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१-१२-५९ तक जमींदारी विनाश प्रतिकर विभाग के अधीन राज्य में नायब तहसीलदार से नीचे के पद पर कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?	२५०६

उपरोक्त प्रश्न में पूछी गयी कर्मचारियों की ठीक संख्या २२९९ है जो भूल से प्रश्न के उत्तर में २५०६ बतायी गयी थी। अतः प्रश्न का शुद्ध उत्तर देने के हेतु मैं खड़ा हुआ हूं और आपकी स्वीकृति से निवेदन करता हूँ कि विधान सभा की १९ फरवरी, १९६० की कार्यवाही के विवरण में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय।

९ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न ६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

संसदीय विषयक उप मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—अध्यक्ष महोदय, ९ मार्च, १९६० को श्रीमती राजेन्द्र किशोरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रदेश की पांच महानगरियों में से केवल लखनऊ महानगरी में अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम को कार्यान्वित किया जा रहा था और शेष चार महानगरियों में से इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परन्तु वास्तव में उस समय प्रदेश की दो महानागरियों (लखनऊ तथा वाराणसी) में इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जा रहा था।

मुझे खेद है कि ९ मार्च, १९६० को दिया गया उत्तर अभी तक शुद्ध न किया जा सका।

श्री अध्यक्ष—सदन को मैं एक सूचना देना चाहता हूं। ये जो शुद्ध उत्तर दिये गये हैं वे नयी कार्यवाही में शामिल होंगे लेकिन पुरानी जो कार्यवाही है उसमें शुद्ध नहीं किये जायेंगे क्योंकि उसको तो दुरुस्त ही किया गया है। इसलिये यह आज की कार्यवाही में दे दिया जायगा। माननीय न्याय मंत्री ने कहा था कि पुरानी कार्यवाही को शुद्ध कर दिया जाय। ऐसा नहीं होता क्योंकि वह कार्यवाही तो छप गयी है। यह आज की कार्यवाही में होगा कि वह उत्तर इस प्रकार शुद्ध कर दिया गया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद का जो प्रस्ताव था और उसके ऊपर जो संशोधन आये थे, उस पर वाद-विवाद जारी रहेगा। श्री ब्रजनारायण तिवारी का भाषण दे रहे थे, आठ मिनट वे बोल चुके थे, उनके ७ मिनट बाकी हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जब मैं सरकार को यह कहता हूं कि सरकार की भूमि के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं है तब हमारा ध्यान सरकार की उन योजनाओं की ओर जाता है जो दो पंचवर्षीय योजनाओं में समाप्त हो चुकी है। इन दो योजनाओं के समाप्त हो जाने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक १६ अरब का गल्ला बाहर से मंगाया जा चुका है और ६ अरब रुपये का गल्ला मंगाया जाना बाकी है। इसको देखकर मुझे यह कहना पड़ता है कि सरकार की कोई भूमि के बारे में नीति साफ नहीं है।

---

* २७ जुलाई, १९६० की कार्यवाही से।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर सरकार इस प्रदेश के लोगों को अन्न देना चाहती है तो उत्पादन के तरीकों में और भूमि की नीति में उसको आमूल परिवर्तन करना होगा।

इसी सिलसिले में इतना और कह देना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार १९३७ में पदासीन हुई थी और सरकार की ओर से कुछ कानून में गलतियां की गई थीं तब स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई साहब उस वक्त मौजूद थे। उनसे कहा गया कि रेहन करने वाले किसान बेदखल हो रहे हैं इसलिये कानून में सुधार कर दिया जाय। और उन्होंने किया भी। लेकिन हमारे भूतपूर्व माल मंत्री और आज के वर्तमान माल मंत्री भी इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं कि भूमि के कानून में जो गलतियां हैं उनको शुद्ध करें। मैं सूचना के तौर पर बतला रहा हूं कि मैं देवरिया जिले का निवासी हूं जहां प्रत्येक व्यक्ति पीछे १० कट्ठा खेत जोत में है। यह सोचने की बात है कि १० कट्ठा खेत जोतने वाला व्यक्ति साल भर तक अपने भोजनादि का प्रबन्ध कैसे कर सकता है।

श्री अध्यक्ष---आप ऐसी भाषा में बोलें जिसको सभी समझ सकें। कट्ठा के बजाय आप एकड़ में बतलावें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---बहुत अच्छा, मैं गलती कर गया क्योंकि बीघे का पैमाना प्रदेश में विभिन्न प्रकार का है। इसलिये एकड़ में कहना ही ठीक है। १० कट्ठा का मतलब ४० डिसमिल से है। कटकुइयां रेलवे स्टेशन के उत्तर २५ वर्ष से आबादी है लेकिन वह कागज में भूमिधरी दर्ज है और लेखपाल के कागज में भी फसल पड़ताल हुई होंगी। इसी तरह हमारे यहां रामकोला एक नगर है जहां एक बाजार बसा हुआ है। वह बाजार एक आदमी की व्यक्तिगत मिल्कियत है तथा वह भी आबादी दर्ज नहीं है।

इसी तरह से सरकार हरिजनों की हालत सुधारने की बहुत बात करती है लेकिन हरिजनों के बसने के लिये कोई निश्चित स्थान नहीं है। जब कोई चाहता है उनकी आबादी को उजाड़ देता है वे वहां से दूसरे स्थान की खोज में लग जाते हैं। आज जहां वे बसे हुए हैं वह आबादी में दर्ज नहीं है, वह इन्दराज में बाग या फसल लिखी जाती है इस प्रकार के गलत अभिलेखों के आधार पर उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। इस तरह से भूमि कानून में बहुत-सी गलतियां रह गयी हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना खेत पट्टे पर देता है या उसे जोतने के लिये किसी दूसरे को बटाई पर उठा देता है तो फिर उसके कब्जे में वह खेत नहीं आने पाता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार कानून में यह संशोधन करे कि जिसके पास खेत हैं उसकी मर्जी के खिलाफ सरकारी अभिलेख के द्वारा वह उससे बेदखल न किया जाय। यह मैं इसलिये कहता हूं कि मैं एक प्रश्न और आपके सामने उपस्थित कर दूं कि अगर कोई भूमि का मालिक अपनी जमीन पर मकान बना ले तो वह उस मकान को पट्टे पर उठा सकता है, वह उसे दूसरे को किराये पर दे सकता है लेकिन अगर कोई किसान अपनी बुरी हालत में कर्जा लेकर सूद के एवज में अपना खेत रेहन करे तो उस जमीन को बेचा माना जाय, यह तरीका मैं समझता हूं कि गलत है। मैं निवेदन करूं कि सरकार ९० वर्ष के लिये अपना जमीन को पट्टे पर उठा सकती है, ४० वर्ष के लिये किसानों के साथ लगान की व्यवस्था कर सकती है, सरकारें तो बनती रहेंगी बिगड़ती रहेंगी लेकिन किसान बराबर बना ही रहेगा, इसलिये यदि किसान अपनी जमीन रेहन करना चाहता है कि जब अच्छी हालत मेरी हो जायगी तो कर्ज का रुपया वापस करके मैं अपने खेत ले लूंगा तो उसे इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। मेरी निश्चित राय है कि रेहन करने के कानून में आज संशोधन करने की जरूरत है ताकि किसानों को मजबूर होकर अपने खेत बैनामे न करने पड़े और उनमें एक स्थायित्व पैदा हो जाय ताकि वे जी लगा कर खेती में मेहनत करें जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।

दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने सड़कों के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। इस बात को कहा गया है, कि सड़कों का हमारे यहां निर्माण हो रहा है। एक सड़क की चर्चा मैं आपके सामने

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

करना चाहता हूं और वह यह है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पावर अल्कोहल का ट्रांसलेशन शराब की भट्ठी करते हैं, उनकी अक्ल कैसे ठीक हो । एक नेशनल हाई वे नं० २८ गोरखपुर से कसया और कसया से आगे बिहार को जाने को है । कसया से आगे की इस सड़क का मार्ग निश्चित करने के लिये एक पुरानी सड़क जो कंकड़ की है उसको ही निश्चय कर रहे हैं । यह सड़क एक फर्लांग भी सीधी नहीं है । मैंने इस पर एतराज किया कि उसको छोड़कर दूसरी सड़क निश्चित की जाय और आज चाहे किसी पार्टी का कोई एम० एल० ए० हो, एम० एल० सी० हो या एम० पी० हो सभी इस राय के हैं कि दूसरी सड़क जो उससे ज्यादा सीधी और बेहतर है वह ज्यादा उपयोगी हो सकेगी अगर उसे ले लिया जाय और उसे ही नेशनल हाई वे बना दिया जाय । लेकिन ये सरकारी अधिकारी उस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ तीसरी बात मैं यह प्रस्तुत करूंगा कि देवरिया के रहने वाले लगान में ४० लाख रुपया सालाना देते हैं और उसका दस गुना गन्ने के टैक्स के रूप में देते हैं, क्योंकि साढ़े ३ या पौने ४ करोड़ मन गन्ना प्रति वर्ष सप्लाई किया जाता है । दूसरी तरफ सरकार की गन्ने के दाम के सम्बन्ध में नीति यह है कि मिल मालिक १ रुपया १२ आना मन के दाम देते हैं और यह सरकार १ रुपया दस आना मन निश्चित करती है। सरकार मिल मालिकों का तो खयाल करती है लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसानों के लिये कोई योजना सरकार के पास नहीं है जिससे उनको सहायता मिले और पैदावार बढ़ायें ।

एक और समस्या है देवरिया जिले में और वह यह है कि खड्डा फैक्टरी को पहले अथ-राइज्ड कंट्रोलर चलाते थे लेकिन इस समय उसका कोई अथराइज्ड कंट्रोलर नहीं है । सीजन आरम्भ होने के २ मास बाकी हैं और कोई मशीनों की सफाई वगैरह का काम नहीं हो रहा है । अगर शीघ्र इंतजाम न हुआ तो फिर गन्ने के किसानों के सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो जायगी । इस तरफ अभी से सरकार ध्यान दे ।

अन्त में एक बात और निवेदन करूंगा कि देवरिया जिले की अन्न की हालत यह है कि वहां बाहर से मंगाकर अन्न लोग खाते हैं और बराबर बाहर से अनाज आता था । चम्पारन, से बिहार से और नेपाल से गल्ला आता था और लोग भोजन करते थे लेकिन अब कोरीडर एरिया में गल्ला नहीं आ सकता । जो लोग बिहार के करीब बसते हैं उनको गल्ले की दिक्कत होती है ।

साथ ही देवरिया को आगे बढ़ाने के लिये वहां जूट का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है । पडरौना में या तरैया सुजान में या और कहीं भी, एक जूट का कारखाना खोल दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां काफी जूट पैदा होता है ।

इसके अलावा पहले बैतालपुर में एक अल्कोहल फैक्टरी खोलने की स्कीम बनी थी लेकिन अब वह चीज रोक दी गई और शायद वह अब उसको और कहीं ले जाना चाहते हैं । इसलिये सरकार इस पर विचार करे और उस फैक्टरी को बैतालपुर में ही लगाने का शीघ्र प्रबन्ध करे ।

एक बात सिंचाई के विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि अगर एक बार साल भर के भीतर सरकार सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहां कर दे तो वहां अन्न की व्यवस्था ठीक हो जाय । हमारे यहां दो तीन तालाब हैं लवकुश, बिलवा बुजुर्ग, बिलवा बाबूराम, महासुन आदि जिनके कारण वाटर लागिंग होता है, उनकी अगर नाली काट दी जायं तो बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है लेकिन हमारी सन् ५६ की दरख्वास्त है आजतक कुछ न हुआ । जहां तक नलकूपों का प्रबन्ध है वहां ऐसा हुआ है कि निचली भूमि में नलकूप लगा दिये गये और नालियां ऊंची बना दी गई है उसका नतीजा यह है कि पानी आगे नहीं चलता । नालियों के बारे में एक बात मैं यह भी कहूंगा कि सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट्स या इंजीनियर्स का यह कहना कि नालियों का ऊपर का भाग चौड़ा होगा तो पानी आसानी से निकल जायगा । उनकी राय को मैं क्या कहूं कि जो निर्माण का काम जारी ही रखते हैं, टूटें, फिर बनें और मरम्मत होती रहे, इस तरह से सरकार का नुकसान होता है । मेरा सुझाव है कि नलकूपों की नालियां सीधी बनाई जायं ताकि पानी आसानी से जाय । परन्तु हमारे सुझाव को कौन मानता है, वहां जो उनके वैज्ञानिक हैं उन्हीं की चलती है ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मदन मोहन जी द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल जी के अभिभाषण का जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल माननीय पालीवाल जी ने यह शिक्षा दी कि इस सदन के माननीय सदस्यों को संतुलित भाषण देना चाहिए। उनकी यह नेक सलाह मेरे विचार से सभी को शिरोधार्य है। परन्तु मैं यह समझता था कि संतुलित भाषण का तात्पर्य उनका यह है कि जो कोई भाषण दे वह तथ्य को सामने रख कर कहे, जो सत्य बात हो उसको सत्य कहे और जो गलत बात हो उसको गलत बात कहे। मगर जब उन्होंने आगे व्याख्या की और यह कहा कि उधर के दल वाले इस सरकार की प्रशंसा करने के लिये काफी हैं तो उसका संतुलन करने के लिये विरोधी दल बुराई ही बुराई करे। मेरी समझ में तो संतुलित भाषण का यह अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए। चाहे उधर के हों या इधर के हों, जो सही बात हो वह सही कहें और जो गलत बात हो उसको गलत कहें। अगर यह उनकी सलाह है तो हमें वह स्वीकार है। मगर उन्होंने तुरन्त ही यह बात कही कि उधर बैठने वाले अतिशयोक्ति करते हैं प्रशंसा करने की और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि विभव जी ने, फलां आदमी ने, प्रधान मंत्री जी ने, कांग्रेस की यह आलोचना की है, सरकार की यह आलोचना की है। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे दल वाले असंतुलित भाषण करके सरकार की तथ्यहीन प्रशंसा करते चले जाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि उधर के ही लोग कोसते हैं।

अगर हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि गलत हैं। अगर कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी पार्टी वाले ऐसा कहते हैं, और जब मौका आता है तो आंकड़े लेकर बैठ जाते हैं। अपने पक्ष के जो आंकड़े हों उन्हें तो कहते हैं और हम जो आंकड़े देते हैं उन पर उन्हें एतबार नहीं होता। बड़ी कठिन समस्या इस बात की है कि आखिर क्या हो। मुझे तो चिन्ता इस बात की हो रही है कि अगर अपने देश में पार्टियों का आगे बढ़ने का केवल एकमात्र तरीका यही है और यही रहेगा कि दूसरी पार्टी की टांग पकड़ कर पीछे खींचो चाहे भला करे या बुरा करें, तब तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र राज्य प्रणाली का पनपना इस देश में बड़ा कठिन होगा और ऐसी चीज होगी जिससे देश को बड़ा खतरा हो सकता है।

मैं इन संशोधनों को देख रहा था। पालीवाल जी की कसौटी से जब मैंने उनको देखा और विशेष तौर पर भारतीय जी का जो संशोधन प्रस्तुत है उसको देखा तो राज्यपाल जी का जो ९० मिनट का अभिभाषण हुआ उसमें अगर यह संशोधन भी लाये जाते तो मैं समझता हूं कि फिर तो उस कथा का कहीं अन्त ही न होता। हमारी बातें जो रखी हैं उनको न रखा जाता और जो निगेटिव बात हों, जितनी खराबी की बात हों, वही रखी जातीं, राज्यपाल जी केवल त्रुटियों को ही दिखाते चले जाते और जो तथ्य है, जो काम किये हैं, उनको छिपाते चले जाते, तो मैं नहीं समझता कि कैसे संतुलित भाषण होता।

महामान्य राज्यपाल जी ने जो देश पर खतरा है और जितना हमारी स्टेट से संबंध है, उसका भी जिक्र संकेत के रूप में कर दिया। पालीवाल जी कहते हैं कि कोई संकेत नहीं किया कि यहां की रक्षा कैसे होगी। कौन-सा बुद्धिमान आदमी ऐसा होता जो इस अभिभाषण में इस बात की सलाह देता कि हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिये फौजी या पी० ए० सी० की कार्यवाही जो हो रही है उसको स्पष्ट खोलकर सामने रख दे यह मैं नहीं समझ पा रहा था।

दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय पार्टियों का यही रवैया रहा तो आंतरिक व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। आज पार्टीज का रवैया यह है कि किसी की बुराई ही दिखायेंगे उसकी भलाई को नहीं बताते। इसलिये अपना प्रभाव बढ़ने का एक मात्र यही मार्ग रह जाता है कि कोई ऐसी बात करें जिससे जनसमुदाय उनके पीछे चले।

यह भी कहीं का तरीका है कि अगर चीन हमारे देश पर हमला करे तो हम सीमा क्षेत्र के निवासी उसके रोकने में असमर्थ होंगे। जब इस संबंध में मैंने बात कही थी तो उसका मतलब यही था कि मैं अकेला या हम पर्वतीय लोग निहत्थे वहां नहीं खड़े हो जायेंगे। मेरा मतलब यही था कि हमारी जो पी० ए० सी० है लैंसडाउन, रानीखेत और चकराता में फ़ौज है तथा जनता

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

की बलिदान देनेकी भावना है उसके बलपर हम बड़ी से बड़ी ताकतको हरा सकते हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिये कि आजकल कोई भी लड़ाई फ़ौज के बल पर केवल नहीं जीती जा सकती बल्कि जनता के बलिदान की भावना पर जीती जाती है । पर्वतीय प्रदेश के लोगों के अन्दर यह भावना है । अब इससे क्या लाभ हो सकता है वहां की लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की सड़कों पर लड़ी जाय । इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे अन्दर जो कमियां हैं, साधनों को देखते हुए जो हमने कमियां की हैं उनकी आप आलोचना कीजिये हम उसका स्वागत करते हैं । साथ ही जो हमारी अच्छाई के काम हैं उनको भी बताइये ताकि हमारा प्रोत्साहन हो । मैं जानता हूं जो आदमी बोलेंगे उसमें बहुत से सदस्य दिल में मानते हैं और मुझसे अलग से कहा है कि आपने खाद्य समस्या हल कर दी है । लेकिन सदन में यहां विरोध करेंगे । हर समझदार आदमी जब मोबोक्रेसी में पड़ता है तो उसे हुल्लड़ में पता नहीं चलता कि वह क्या कह रहा है । इसलिये सदन में हर सदस्य को समझ-बूझ कर बात कहनी चाहिये ।

कल श्री त्रिलोकीसिंह जी ने फूड के बारे में कुछ कहा । जो मैं आज कह रहा हूं उसको स्वीकार करेंगे और जनता तथा आने वाली संतान इस बात को कहेगी कि हमने १ मिनट के लिये भी अपनी तरफ़ से ऐसी गलती नहीं की जिससे यहां की समस्या उलझे । हमारे आंकड़े तो आप प्रमाणित मानते नहीं, मगर न्याय दर्शन के आधार पर जितने प्रमाण हो सकते हैं उसके अनुसार या तो मंडन मिश्र की तरह शंकराचार्य के चेले बनो या हमें बौद्ध मत में परिवर्तित कर दो । मैं गेहूं के उत्पादन के आंकड़े देता हूं । १९५७-५८ में २७ लाख ६ हजार टन का उत्पादन हुआ । १९५८-५९ में ३० लाख ३६ हजार टन और ५९-६० में ३२ लाख ३९ हजार टन । तो हमारा प्रोडक्शन बराबर बढ़ा है । अब एरिया और चीजों में भी बढ़ रहा है । व्हीट और राइस में भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है । ५७–५८ में राइस २३ लाख १ हजार टन पैदा हुआ और ५८–५९ में २९ लाख ८४ हजार टन पैदा हुआ । तो आप बतलाइये कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं ।

अब मैं कुछ लखनऊ के फीगर्स कोट करता हूं । पिछले साल जुलाई में २६ तारीख को २० रुपये फी मन व्हीट प्राइस थी और इस जुलाई २६ को १८ रुपये ८२ नये पैसे व्हीट प्राइस है । २७ जुलाई को पिछले साल २० रुपये व्हीट प्राइस थी और आज १८ रुपये ८२ नये पैसे है । तो आप देख लें कि हमने प्राइसेस को कंट्रोल किया ।

अब मैं थोड़ा सा अन्य प्रदेशों का भी हवाला दे दूं । बिहार में मई के महीने में पिछले साल गेहूं २२ रुपये मन था और चावल २५ रुपये १० नये पैसे फी मन था । उसके खिलाफ हमारे यहां गेहूं १५ रुपये ८१ नये पैसे फी मन और चावल २० रुपये ३० नये पैसे फी मन था जब कि बिहार चावल पैदा करने वाला प्रदेश है । राजस्थान को देखिये । हमारी रिटेल प्राइस उनकी होलसेल प्राइस के बराबर है जब कि वह गेहूं पैदा करने वाला प्रदेश है । इससे आज यह नतीजा निकाल सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने कितनी कामयाबी हासिल की जब कि ३०, ३१ रुपये मन तक गेहूं की कीमत पहुँच गयी थी ।

पालीवाल जी ने कहा कि 'अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा ।' सब नाज एक भाव बिक रहे हैं । मैं खुद कहता हूं कुछ ऐसी पालिसीज हैं, जैसे कोर्स ग्रेन पर कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है । उसका असर गेहूं पर भी पड़ता है और लामुहाला कोर्स ग्रेन बाहर चले जाने की वजह से जब कम हो जाता है तो वह भी महंगा हो जाता है । तो आदमी गेहूं की तरफ झुकेगा । कोर्स ग्रेन मंहगा है तो गेहूं पर प्रेशर पड़ेगा ही । लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी दिक्कतें हैं । अगर वह व्हीट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है तो कोर्स अनाज दूसरी जगह पहुँच गया ।

पालीवाल जी ने संशोधन दिया कि स्टेट ट्रेडिंग खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है और सरकार कोई कंट्रोल न करे । लेकिन दूसरी ओर चीनी के दाम जरा सी बढ़े तो उन्होंने कहा कि सरकार कहां सो रही थी । सीमेंट डिकंट्रोल हुआ तो कहना शुरू किया कि हम कहां

सो रहे थे। हम मनमानी करें तो कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट मदान्ध हो गयी। यह अपोजीशन का कौन सा रवैया है कि हम किसी भी तरीके से चलें तो मुसीबत है। आपको हमारी दिक्कतों को सुलझाना चाहिये। त्रिलोकी सिंह जी ने सीमेंट के बारे में पत्र लिखा, मैंने फौरन जवाब दिया, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। इतनी उदारता तो वह दिखला देते।

एक आम चर्चा यह है कि साहब गेहूं नहीं दिया जाता, आटा पिसा कर दिया जाता है और इस तरह से हमें मार रहे हैं। कोई समझे तो मैं बतलाऊं कि हमने क्या बुरा किया? गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने यह तय किया कि यू० पी० को व्हीट का कोटा नहीं देंगे। उम्मीद थी कि अपने पैरों पर हम खड़े हो जायंगे, लेकिन पूर्वी जिलों में हाहाकार मच गया। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कहा तो मिल वाले कम्पीटीशन में खड़े हो गये कि हम भी परचेजर हैं। ऐसी हालत में गेहूं कामन मैन को कहां से मिलता? हमने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कहा कि इन मिल वालों को कोटा दीजिये, लेकिन शर्त लगा दी कि प्राइस वह नहीं बढ़ा सकेंगे। वे मान गये और उसके फलस्वरूप मनमाने तौर पर ब्लेक करने का मौका उनको नहीं मिला और कंट्रोल के भाव उन्होंने बेचा। फिर फीगर्स आप उठा कर देख लें। पब्लिक ने आटा गेहूं के मुकाबले ज्यादा पसन्द किया। बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि हम उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं सड़ा-गला आटा खिला कर, उनके ईमान व धर्म को बिगाड़ रहे हैं। यह बात भी निराधार है। रोलिंग मिल्स में आटा डिस्इंफेक्टेड होकर निकलता है। पानी से धोकर, हीट से फिर सुखा कर आटा बनाया जाता है और वह हर तरह से हाइजिनिक होता है। स्टैंडिंग कमेटी में मैंने कहा था कि जहां तक इंसान की ताकत है, जहां तक सुपरवीजन करने की ताकत है हमारी यह कोशिश होती है कि कोई गड़बडी न हो, अगर फिर भी गड़बड़ी हो जाती है तो क्या हो सकता है।

कहा जाता है कि इम्पोर्टेड व्हीट है तो आटा क्यों खिलाया जाता है, आपका गेहूं कहां चला गया। मैंने बुन्देलखण्ड का गेहूं 'रेड कठिया' भेजा तो कहते हैं कि हमसे खाया नहीं जाता, यह खराब है। सारे कवाल टाउन्स में और प्रदेश भर में जितनी दूकानें हैं उन पर हम अपना प्रोक्योर्ड गेहूं भेजते हैं फिर भी लोग कहते हैं कि वह गेहूं कहां गया? खा पीकर कहते हैं कि कहां गया। यह अजीब तमाशा है।

कोयले की बाबत भी पालीवाल जी ने कहा कि हम कहां सोये हुए थे, कुछ किया नहीं। मैं अर्ज कर दूं कि हमने और चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली जितनी लिखा-पढ़ी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से वैगन्स की बाबत की उसकी कोई हद नहीं। यह भी मैं बता दूं कि दो, तीन महीने तक तो हमारे एफर्ट्स कामयाब नहीं हुए। मगर यह खुशी की बात है कि हड़ताल में जो विजय हुई और यू० पी० का जो उसमें श्रेय रहा उसकी वजह से अब वह बहुत कुछ झुक गये हैं और हमारी तरफ हो गये हैं। अभी मुझे एक टेलीग्राम मिला है कि उन्होंने ५० वैगन्स साफ्ट कोक के भेजे थे मगर बिहार सरकार ने बीच में ही उनको रेक्वीजीशन कर लिया। पता नहीं किन सर्कमस्टांसेज में उन्होंने ऐसा किया लेकिन हम प्रोटेस्ट लाज कर रहे हैं। हमें यह भी खबर मिली है कि उन्होंने फिर लखनऊ के लिये ५८, कानपुर के लिये ६८, वाराणसी के लिये ३४, अलीगढ़ के लिये १७ और मेरठ के लिये २६ वैगन्स साफ्ट कोक के रवाना किये हैं।

जहां तक स्टीम कोल का सवाल है, कल पालीवाल जी ने कहा था कि एक दिन का स्टाक फैक्टरीज के पास रह गया है। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि करीब-करीब २० दिन का स्टाक सब के पास है, किसी के पास १५ दिन का है और किसी के पास ११ दिन का है। इसलिये इस बारे में कोई ज्यादा खराब पोजीशन नहीं है।

जहां तक कोल डस्ट का ताल्लुक है, वह कोटे से बहुत कम हमें मिली, ६०० वैगन्स आते थे तो ३०० वैगन्स तक रेडयूस हो गये थे, लेकिन जुलाई में वह १,२०० वैगन्स तक के करीब हो गया है।

इसके अलावा जो उनकी स्कीम है कोल को डम्प करने की वह हम सोच रहे हैं कि स्लैक सीजन में स्टाक जमा कर लिया करें।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने बताया, हमने डिकंट्रोल कर दिया था मगर जब सीमेंट की कमी हुई तो हमने प्राम्प्ट ऐक्शन लिया और ३१ जिलों में परमिट सिस्टम लागू किया इसके अलावा गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से लिखा-पढ़ी कर के चुर्क सीमेंट फैक्टरी, जिसके जोन में हमारे जिले नहीं आते थे, वहां से भी सीमेंट मंगवायी। हमें मालूम हुआ है कि ५-६ वैगन डेली यहां के लिये मूव करेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि सीमेंट की भी कमी हल होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि हमने वक्त पर ऐक्शन लिया।

चीनी को देखिये, आज भरी पड़ी है। पालीवाल जी ने कहा कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन कहां बढ़ रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि डिकंट्रोल कर दो।

आटे का जहां तक सवाल है, पहले उसकी एक शिफ्ट थी लेकिन अब उन्होंने तीन शिफ्ट कर दी है। हम तो चाहते हैं कि हमें गेहूं दें, लेकिन अगर वह आटा ही देते हैं तो हम उसका फुल यूज करेंगे।

एक बात पालीवाल जी से जरूर अर्ज करूंगा। कल उन्होंने कहा था कि मुख्य मंत्री जी ने एम० पीज० की कान्फ्रेन्स में यहां की पिक्चर दूसरी दिखलायी और राज्यपाल द्वारा दूसरी दिखलायी गयी। इस संबंध में मैं जरा-सा ही उद्धरण दूंगा क्योंकि समय नहीं है। आप देखें, इसमें लिखा है---

"While the statistics presented here indicate the average trends of the economy owing to some policy decisions of the last decade there has been ....."

मगर आगे चल कर यह कहा है कि हमने आल-राउन्ड डेवलपमेंट किया है।

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब माननीय नेगी जी ने संतुलित भाषणों की बात कही और मैं स्वयं भी आशा करता था कि उनका भी भाषण संतुलित अवश्य होगा, न केवल फैक्ट्स में बल्कि व्यवहार में और विचार में भी। परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब संतुलित भाषणकर्त्ता यह बोल गये कि स्टेट ट्रेडिंग को हम लोग अपोज करते हैं। लेकिन उन्होंने यह कहने की सामर्थ्य नहीं दिखाई कि हम किस हैसियत से स्टेट ट्रेडिंग को अपोज करते हैं। हम लोग जो स्टेट ट्रेडिंग को अपोज करते हैं वह स्टेट के ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिंग को करते हैं। हमने तो यह कहा है कि राज्य के पास सदैव बफर स्टाक होना चाहिये। जिस समय दामों में बढ़ोत्तरी होने लगे, बाजार में पब्लिक को मिलने में दिक्कत हो उस समय उस बफर स्टाक का उपयोग होना चाहिये। श्रीमन्, सत्य का तकाजा तो यह था कि जब स्टेट ट्रेडिंग की बात कही थी तो पूरी बात कही जाती और समयाभाव के कारण इस चीज को छिपाना उचित नहीं था।

श्रीमन्, उन्होंने जो आशा प्रकट की है कि हम लोग संतुलित भाषण देंगे तो मैं उसके लिये भरसक प्रयास करूंगा कि उनकी यह आशा पूर्ण हो। मैं अपने साथी माननीय वर्मा जी को बधाई अवश्य दूंगा कि उन्होंने एक अनआरगूएबिल केस को बहुत ही ब्रिलियेन्टली आरगू किया है। वह इसके लिये अवश्य बधाई के पात्र हैं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह कहा है कि हमारे देश के ऊपर न्यूकिलअर वार का बड़ा भय है। सत्य है और पूर्णरूपेण सत्य है और मैं भी यह आशा कर रहा था कि इस भय का सामना करने के लिये राज्यपाल महोदय हमें कुछ न कुछ बतलायेंगे। मैं यह मानने के लिये बिलकुल तैयार हूं कि ऐक्टिव मिलिटरी डिफेन्स की बात किसी को बताई नहीं जा सकती है और न हमने कभी यह आशा ही की है कि वह बात हमको बताई जाती। जैसा कि हमारे मंत्री महोदय माननीय नेगी जी ने कहा है कि इसको कोई नहीं बता सकता है कि कहां हमारी पी० ए० सी० है और कहां हमारे आर्म्ड फोरसेज है, लेकिन सिविल डिफेन्स भी युद्ध का एक

महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि खाली सेना का युद्ध नहीं होगा, केवल पी० आर० डी० का युद्ध नहीं होगा, केवल आर्म्ड फोर्सेज का युद्ध नहीं होगा बल्कि सारी सिविल पौपूलेशन का युद्ध होगा। (इस समय १ बजकर १३ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुए।) इस दृष्टि से अपने देश की सिविल पौपुलेशन को तैयार करने के लिये क्या सरकार ने किया इसको बताने की जरूरत थी।

श्रीमन्, सिविल डिफेन्स के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक तो ऐक्टिव सिविल डिफेन्स और दूसरा पैसिव सिविल डिफेन्स। पहले में ऐक्टिव डिफेन्स के संबंध में कहना चाहता हूं कि इसके लिये नेशन इन आर्म्स (nation-in-arms) होना चाहिये। इसके लिये हमारी प्रदेशीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? इसके संबंध में कुछ नहीं कया कहा गया है। हमारे प्रदेश के स्त्री, पुरुष तथा बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिये थी जो गवर्नमेन्ट द्वारा नहीं दी जा रही है। एक सैनिक स्कूल आप खोल दें और उसमें दर्जा दस तक या ग्यारह तक सैनिक शिक्षा दे दें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐक्टिव डिफेन्स के लिये यह बात अत्यंत आवश्यक थी कि हमारे देशवासियों में सामर्थ्य हो, उनमें आत्म-विश्वास हो। इसके लिये क्या प्रयास सरकार द्वारा किया गया है? मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि शस्त्रों से युद्ध नहीं जीता जाता है। राष्ट्र के हृदय के बल से युद्ध जीता जाता है। मान लीजिये एक आदमी दुर्बल है, मानसिक बल से क्षीण है, वह यदि ऐटमबम लेकर आता है उसके सामने जिसके पास आत्म-बल है तो वह उससे एटम बम छीन कर उसी के सिर पर पटक सकता है। इस दृष्टि से देशवासियों में सामर्थ्य तथा आत्म-बल बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किया गया है?

इसके विपरीत श्रीमन्, आज हमारी सरकार आंख मीचे बैठी है। हमारे हृदय के बल को नष्ट करने के लिये, हमारे आत्म-बल को क्षीण करने के लिये प्रचार हो रहा है साहित्य के नाम पर, मैगजीन के नाम पर। 'चायना रिकंस्ट्रक्ट' प्यूपिल्स पब्लिशिंग हाउस से एक मैगजीन निकलती है उसमें एक आर्टिकिल निकला है। उसमें यह दृष्टिकोण है कि जो हमारी भारतीय सीमा परम्परागत है वह हमारी सीमा परम्परागत नहीं है। क्या सरकार का ध्यान इधर गया है। उस लेख लिखने के पीछे दृष्टिकोण यह है कि देशवासियों का जो आत्मबल है वह क्षीण हो। क्या उसको रोकने का कोई प्रयास सरकार की ओर से किया गया? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आज साहित्य के नाम पर, लेख के नाम पर इस प्रकार से हमारे मनोबल को क्षीण करने का प्रयास हो रहा है, डीमारेलाइज करने का प्रयास हो रहा है। उसको रोकने का सरकार ने क्या प्रयास किया है? जो प्रचार हो रहा है वह मैं बताता हूं। कहा यह जाता है कि चीन से हम लड़ नहीं सकते, हमारे सेल्फ कान्फिडेंस को नष्ट करने के लिये यह प्रयास होता है। हम उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि हमसे इंडस्ट्री में वह आगे हैं, बड़ी सेना है, बड़े अस्त्र-शस्त्र हैं। क्या आपने किया इसको रोकने के लिये? क्या आपने एक भी कदम इसके लिये उठाया? मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि चीन आज किसी भी रास्ते हमसे आगे नहीं है। जनबल में, धनबल में, शक्ति बल में सब में हम उससे आगे हैं। चीन के जितने भी शस्त्रास्त्र हैं वह रूस के हैं, चीन के अपने नहीं हैं। भले ही प्रचार की दृष्टि से उन पर मेड इन चाइना का ठप्पा मार दिया जाय लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनका इंडस्ट्रिअल प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर निकलता है कि हमने इतना प्रोडक्शन बढ़ा लिया, लेकिन उसी के बाद यह भी आता है कि जिसने ये आंकड़े दिये हैं वह देश द्रोही है, उसे गोली से मार देना चाहिये। तो इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये सरकार के प्रचार यंत्र की तरफ से कोई कदम उठाया गया? नहीं उठाया गया?

देश में श्रीमन्, शिक्षा के द्वारा 'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का भाव भरने का क्या प्रयास किया गया है? आज मातृभूमि को भोगस्थली बना दिया गया है। हर एक का सारा ध्यान इस पर केन्द्रित किया गया है कि इस देश से हम कितना पा सकते हैं। इस पर केन्द्रित नहीं किया गया है कि यह मातृभूमि हमारी स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अपना सर्वस्व नष्ट करके भी हम इसकी रक्षा करेंगे। क्या प्रचार के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, लेखों के माध्यम से सरकार ने इस भावना को भरने का प्रयास

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

किया है ? नहीं किया है । इसके विपरीत मेरा तो यह आरोप है कि सरकार ने इस शक्ति को और भी क्षीण करने के लिए साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया है । उदाहरण दूर ढूंढ़ने की जरूरत नहीं है । जिस मुस्लिम लीग ने इस देश का खंडन करवाया, जिस मुस्लिम लीग ने इतना बड़ा नरसंहार करवाया, आज उसी मुस्लिम लीग के साथ केरल में एलेक्शन जीतने के लिये गठबन्धन किया गया और वही मुस्लिम लीग उर्दू इस प्रान्त की भाषा मानी जाय को लेकर उठी । जिस भाषा के प्रश्न को लेकर सारे देश में आज नंगा नाच हो रहा है जिसको देखकर कि हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है, मैं तो जब देखता हूं बंगाली और आसामी आपस में सिर फोड़ रहे हैं, गुजराती और मराठी एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है, उसी भाषा के प्रश्न को आज आप उर्दू इस प्रान्त की भाषा मानी जाय के नाम से फिर जगा रहे हैं । आप यह नहीं देखते हैं कि दूर चलकर इससे कितना नुकसान होने वाला है । क्षणिक राजनीतिक लाभ भले ही हो जाय लेकिन कालचक्र के अन्दर इससे देश को हानि ही होगी ।

इस दृष्टि को छोड़ दीजिए कि आपने कितना ऐक्टिव डिफेंस का इन्तजाम किया ? पैसिव सिविल डिफेंस को आप ले लीजिये, नेगी जी ने कहा कि यह लड़ाई फ्रंटियर की होगी । मुझे आश्चर्य है कि देश की सीमा के अतिक्रमण को वह सीमा का अतिक्रमण समझते हैं । वह देश की फ्रंटियर का अतिक्रमण नहीं बल्कि देश की छाती का अतिक्रमण है और यह सारे देश का युद्ध होगा । युद्ध काल में जाहिर है कभी आगे बढ़ना होता है, कभी पीछे हटना होता है । दुर्भाग्य से मान लीजिए अगर हमको पीछे हटना पड़ा तो वह जो स्कार्च अर्थ पालिसी कहलाती है कि हमारे देश की केवल राख उन विदेशियों को मिले, उसके अलावा एक भी चीज उन विदेशियों को प्राप्त न हो सके, उस स्कार्च अर्थ पालिसी की दृष्टि से आपने क्या किया ? अगर दुर्भाग्य से चीन की सेना आगे बढ़ती है तो इस देश के जिस किसी भी अंग पर वह कब्जा करती है वहां उनको राख के सिवाय और कुछ न मिले, न खाने को अन्न मिले, न पीने को पानी मिले, न पहनने को वस्त्र मिले, जैसा कि और देशों ने भी अपनी रक्षा के लिये किया है, हमने भी किया है, उस दृष्टि से आपने कुछ किया है ? लोगों के अन्दर यह भावना लाने के लिये क्या प्रयास आपकी ओर से हुए हैं । यह चीज एक दिन के अन्दर नहीं लायी जा सकती उसके लिये भूमिका तैयार करनी पड़ती है, लोगों के अन्दर एक भावना खड़ी करनी पड़ती है । उसके लिये आपने क्या प्रयास किया ? तो न आपने ऐक्टिव डिफेंस की दृष्टि से कोई प्रयास किया, न पैसिव डिफेंस की दृष्टि से ही कोई प्रयास किया । और न ही आपने यह प्रयास किया है कि इस देश में जो विदेशी पत्र में चीन और रूस के पत्रों को ही, समाचार-पत्रों को ही विदेशी समाचार-पत्र कहता हूं उन समाचार-पत्रों को, उन समाचारों को जो हमारे देश के व्यक्तियों के आत्मबल को नष्ट करते हैं, आत्मबल नष्ट करने का प्रचार करते हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय । आपने इस दिशा में क्या प्रयास किया है ? मैं सीधे मांग करता हूं कि यहां पर इस ओर कदम बढ़ाने की परम आवश्यकता है । जब इस प्रकार की परिस्थिति किसी भी देश के सामने आई है तो वहां पर देशवासियों ने अपने ही देशवासियों पर गोली चलाई है । जब देश की सुरक्षा का प्रश्न सामने हो, जब देश की सुरक्षा का खतरा हो तो किसी भी राज्य का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह इस प्रकार से किसी को छूट न दे । किसी भी देश में ऐसे खतरे को अवसर छूट नहीं दी गई है । फ्रान्स में ऐसी स्थिति होने पर गोली मारी गई है । इंग्लैन्ड में हुआ है कि उन्होंने अपने बादशाहों के सिर काट डाले हैं । परन्तु हमारी सरकार डेमोक्रेसी के नाम पर अपने देश में सब को फ्रीडम आफ स्पीच देने की बात कहती है । अगर कोई अपने ही घर को आग लगाने लगे तो क्या यह फ्रीडम आफ स्पीच है ? अपने मत प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है लेकिन वह राष्ट्र की सेवा के लिये होती है । अपने घर को फूकने (democracy) के नाम पर नहीं हुआ करती । मैं पूछता हूं कि आपने इस ओर क्या कदम उठाया ? मैं जानना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो इतनी बातें अपने भाषण में कही हैं उनमें ऐक्टिव और पैसिव डिफेन्स के नाम पर क्या कदम उठाने की बात कही है ? इन सब बातों का जिक्र उसमें नहीं है । केवल न्यूक्लियर वार के खतरे का उसमें जिक्र किया गया है मगर उस युद्ध से बचने की बात कहां उसमें बताई है ।

मैं इतिहास के अनुभव से बताता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि जिन राष्ट्रों ने मरना सीखा है वही जिन्दा रहे हैं और जिन्होंने जीना सीखा है वह जीवित नहीं रह सके। जर्मनी पराजित हुआ लेकिन आज फिर भी वह खड़ा है। जापान की पराजय हुई लेकिन फिर भी वह खड़ा है। जिन राष्ट्रों को यह लालच आया कि हम कैसे जीवित रहेंगे, उनको ही सिर झुकाना पड़ा है। फ्रान्स का उदाहरण आपके सामने है। भगवान न करे कि न्यूक्लियर वार आये। अगर वह वार हुआ तो लोग मरने से डरें और देश की सुरक्षा न करें और उसके लिये कोई अपना ठोस कदम न उठायें तो यह मनोबल को क्षीण करने वाली बात है। आज इस प्रकार की पैतरेबाजी हो रही है। आज आप जानते हैं कि डिसआरमामेन्ट का हल्ला हो रहा है। उस हल्ले के पीछे कुछ नहीं है। वह वार के लिये बिलकुल तैयार हैं किन्तु सारे राष्ट्रों के सामने डिसआरमामेन्ट की बात उठाई जाती है। सारे राष्ट्रों को धोखे में रखकर अपने लिये वह तैयारी करना चाहते हैं। यह केवल एक पैतरेबाजी मात्र है। इस प्रकार से न्यूक्लियर वार से डराने की बात नहीं है। परन्तु मैं चाहता हूं कि आपने जब इस विषय को उठाया है तो उसकी रक्षा के लिये भी कदम उठाने की बात हमारे सामने रखते। मगर उसको नहीं बताया। बताया इस बात को गया है कि ५ करोड़ मछली के बच्चे पैदा किये गये। इस देश की सुरक्षा क्या मछली के बच्चों से होगी? इस देश की सुरक्षा मछली के बच्चों से नहीं होने वाली है। हमारे देश की सुरक्षा हमारे खून से होगी और हमारे आत्मबल से होगी। आप इस बात को भूल गये कि हमारे पूर्वज १४ वर्ष तक घास खाकर रहे हैं। मछली के बच्चे खाकर नहीं रहे हैं। मछली पैदा करने के प्रचार से देश की सुरक्षा नहीं होती है।

समाज के अन्दर उसी प्रकार के मनोभाव को खड़ा करने की महान आवश्यकता थी। हर व्यक्ति के अन्दर यह भाव खड़ा करने की आवश्यकता थी जिससे हर व्यक्ति का एक विशेष कंट्रीब्यूशन देश और समाज के लिये हो और हर व्यक्ति का समाज के अन्दर एक स्थान हो जिससे हर व्यक्ति यह समझे कि समाज के अन्दर उसका कुछ कर्त्तव्य है, कुछ विशेष कर्त्तव्य है। वह भाव आपने आज खड़ा नहीं किया। मैं आपको याद दिलाऊं कि पूज्य महात्मा गान्धी, जिनके नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ा, उन्होंने यहां की मिट्टी को भी यह विश्वास दिलाया था कि उसको देश के अन्दर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। परन्तु आज वही उनके प्रतिनिधि के रूप में जो यहां पर बैठे हुए हैं क्या उन्होंने यह विश्वास खड़ा किया है? ३, ४ आदमी जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनका ही कंट्रीब्यूशन है और बाकी तो यसमैन हैं। उनके काम केवल हाथ उठाना है। बस उसी का यह नतीजा है कि देश के अन्दर एक उदासीनता खड़ी हो गई है। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह अकर्मण्यता क्यों? उसका कारण केवल यही है कि प्रेरणा देने वाला जो स्रोत था उसको बन्द कर दिया गया है। जिस प्रेरणा से मनुष्य राष्ट्र के लिये काम करता है। उस प्रेरणा या भावना को खड़ा करना चाहिये। तभी मानव अपने कर्त्तव्य को समझ सकता है। परन्तु आज उस भावना ने वर्ग रूप ले लिया है। समष्टि के रूप को वर्ग रूप में खड़ा कर दिया है।

आज श्रीमन्, देख लें कि अधिकारियों के अन्दर वर्गीकरण खड़ा है जो टाप पर बैठा है, बास है, ब्यूरोक्रैट है, वह समझता है कि हम सर्वेसर्वा हैं और नीचे वाले कोई अर्थ नहीं रखते और जो जहां है वहां बैठ कर वही यह समझ रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं और यह मंत्री जी के राज्य का ही उदाहरण है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक कमिश्नर हैं, वयोवृद्ध हैं आई० सी० एस०, सेक्रेटेरियट से गये हैं। वे जब दौरे पर गये तो उन्होंने जनता से मिलने का समय दिया १० से ११ तक का। एक गांव में आग लग गयी और आग तो कमिश्नर साहब के मिलने का समय देख कर नहीं लगती। यह १२ बजे लगी तो किसान उस के बाद उनके डाक बंगले पर पहुंचे। चपरासी से खबर करायी जहां कमिश्नर साहब बहादुर बैठे हुये थे। उन्होंने कहला दिया कि चूंकि मिलने का समय खत्म हो गया है इसलिये हम अब नहीं मिलते। क्या यह ब्यूरोक्रैट्स का वर्गीकरण नहीं है? क्या यह क्लास कांशसनेस नहीं है? क्या यह शासित और शासक की भावना नहीं है? आज यह क्लास कांशसनेस जगह जगह पर घुसी हुई है। स्वायत्त शासन मंत्री कहते हैं कि हमने नगरमहापालिकायें बना दीं, लेकिन उनको चलाने वाला नगर अधिकारी किसे बना कर बैठाल दिया है? अगर उसकी नियुक्ति इंगलैन्ड से होती तो शायद ज्यादा ठीक

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

होता क्योंकि आज वह समझता है कि इस सेट अप में हम एक विशेष प्राणी हैं। आज पग-पग पर क्लास-कांशसनेस घर करती जाती है और इसका परिणाम यह है कि समाज में व्यक्ति व्यक्ति के अन्दर एक प्रकार के संघर्ष की, विद्वेष की भावना आती जा रही है। इसी दृष्टिकोण से सरकार को देखा जाय।

सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हमने हड़ताल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाना चाहता परन्तु यह सच है कि हड़तालियों की मांगों में बल है और यह भी सच है कि गवर्नमेन्ट की अदूरदर्शिता के कारण ही हड़ताल हुई। जिस कट्टरता और उग्रता के साथ सरकार ने हड़ताल का दमन किया क्या वही आपने समाज में फैले ब्लैक-मार्कटियर्स और प्राफिटियर्स के खिलाफ भी दिखायी है? आप ने सारी कट्टरता अपने नौकरों पर ही दिखायी है जिन के लिये यह कहा जा सकता है कि आज उनके वेतन आज की महंगाई के अनुरूप नहीं हैं। उन पर आपने विजय प्राप्त की। लेकिन अगर आपके तर्क को ही हम विचार करने की दृष्टि से मान लें कि अगर हड़ताल सफल हो जाती तो सरकार खत्म हो जाती, तो क्या ये ब्लैकमार्केटियर्स और होर्डर्स जो सारे समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं उन के लिये आपको कुछ नहीं करना है? चूहा एक कमरे में जब छेद करता है तो उस के लिये आप इतना उछल रहे हैं, लेकिन जो घुन देश में लगा हुआ है उसके लिये आप बोलते भी नहीं, यह कौन सी बात है? यह आपकी द्वैत नीति का परिणाम है।

आज उद्योग में जो संघर्ष है उसका कारण भी यह समाज का वर्गीकरण है। १९४७ तक आपकी कृषि के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं थी, लेकिन उस समय तक देश में अन्न की समस्या नहीं थी, भुखमरी का प्रश्न नहीं था। किसान ने खूब पैदा किया। लेकिन ज्यों ही आपने कृषि रिफार्म की पालिसी चलायी त्यों ही किसान का मन कृषि में विश्वास खो बैठा और आज वे देहात छोड़ कर शहरों की तरफ भागे आ रहे हैं। और इसका कारण क्या है? क्यों किसान जमीन छोड़ कर भाग रहा है? क्यों देहात उजाड़ होते जा रहे हैं, गरीबी और बेकारी बढ़ती जा रही है, शहरों में स्लम्स बनते जा रहे हैं, गंदी बस्तियां ज्यादा बनती जा रही हैं? इसका एक मुख्य कारण है, इसका केवल एक कारण है, श्रीमन्। किसान को अपनी जमीन के प्रति, जो विश्वास था और मोह था आज वह उठता जा रहा है। आज वह अपनी जमीन के बारे में चिंतित रहता है। वह समझता है, पता नहीं कि कल उसकी जमीन किसकी होगी? यह भावना उसके अन्दर घर करती जा रही है। नतीजा इसका यह हो रहा है कि किसान शहरों की ओर भाग रहा है। आपकी नीति का यह परिणाम हो रहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप आंकड़े उठा कर देख लीजिये, आपको पता हो जायेगा कि कितने शिकमी काश्तकारों ने अपनी जमीनें छोड़ दी हैं। आज आपने अपनी पार्टीबाजी के कारण किसानों में आग लगा दी है।

आप हमसे सहयोग चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम सहयोग दें। महामान्य राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में सहयोग के लिये कहा है, सहयोग इस तरह से आपको प्राप्त हो सकता है आप एक तरफ हमसे सहयोग चाहते हैं और दूसरी तरफ हमको गालियां भी देते हैं। फिर सहयोग कैसे हो? सहयोग आपकी तरफ से भी होना चाहिये। और हमारी तरफ से भी होना चाहिये। तालियां दोनों तरफ से ही बजा करती हैं।

मान्यवर, आप देखें कि आज देश के ऊपर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे देश पर विदेशी आक्रमण की सम्भावना है। ऐसे समय में कन्ट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन लाने की क्या आवश्यकता है? जब समाज में द्वेष की भावना है, लोग उसको नहीं चाहते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये कोई लेजिस्लेशन को लाने की क्या आवश्यकता है। आज पहले तो हमें घर की रक्षा करनी है। हमारे सामने सब से बड़ा सवाल आज देश की रक्षा का है न कि किसी तरह का द्वेष पैदा करने का। इस तरह की जो भावना आज देश में है वह देश को नष्ट कर देगी। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दे दें।

श्रीमन्, समय कम है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जलेसर में एक दरगाह के पास अपनी जमीन में कुछ लोग एक कैटिल फेयर लगाना चाहते थे। उसमें काफी हिन्दू लोग थे, लेकिन मुसलमान भी थे। एक शकूर खां भी उसमें थे। उनके बारे में यह कहा गया कि वे साम्प्रदायिकता की आग फैला रहे हैं। उनको इजाजत नहीं दी गयी, उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यह मेरे पास एक आर्डर की कापी है जो अन्डर सेक्शन १४४, सी० आर० पी० सी० की है, इसमें कितनी मजेदार शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जिस तरह से इस पार्टी पर आरोप लगाया है वह देखने की चीज है। इसमें लिखा है :

". . . . . And whereas the possibility of breach of peace is also imminent because of the fact that the old fair is owned by a Muslim religious trust and the new rival fair is owned by O. P. no. 1 who belongs to the Hindu community and his brother Sri Har Charan is an active member of the Bhartiya Jan Sangh Party and so it is also apprehended that you may stir up communal feelings to your advantage making the dargah fair unpopular".

क्या जनसंघ का यही काम है ? इसके लिये मैं किसकी सराहना करूं, इन लोगों की बुद्धि की सराहना करूं, इनकी सराहना करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे पास अपना मकान है, अगर मैं अपने उस मकान में से किसी आदमी को निकाल दूं और कोई यह कहने लगे कि उसको जनसंघ से निकाल दिया, तो यह कहां की बुद्धिमत्ता है। यह तो एक तरह की मूर्खता ही होगी। यह श्रीमन्, केवल इसलिये है कि सारी पुलिस का, कानून का प्रयोग पार्टी हित के लिये किया जा रहा है।

(लाल बत्ती बुझने पर)

श्रीमन्, मुझे एक दो मिनट और दें।

श्री अधिष्ठाता—आपको २५ मिनट मिल चुके हैं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के लिये सचमुच कृतज्ञ है और इस वास्ते कृतज्ञ है कि उनके संबोधन से इस सदन के सदस्यों को वाद-विवाद करने का अवसर प्रदान होता है और मैं विरोधी दल के नेता के नेतृत्व में यह आशा करता हूं कि एक स्वस्थ परम्परा कायम होगी कि वाद-विवाद के बाद यदि संशोधन के प्रस्ताव वापस हो जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमन्, पुलिस की चर्चा अक्सर विरोधी दल की तरफ से सदन में हुआ करती है। चर्चा होना अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस का कर्त्तव्य है कि हमारे माल व जान की हिफाजत करे। परन्तु जिस प्रकार से विरोधी दल की तरफ से चर्चा की जाती है उससे कोई विशेष लाभ होने की आशा नहीं दिखलाई पड़ती है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि राजनीति का विषय पुलिस को न बनावें और न एक राजनीतिक दल के सदस्य को दूसरे राजनीतिक दल के सदस्य को मारने के लिये बतौर घड़ी के इस्तेमाल करें। पुलिस को इस बात की शिकायत है कि जो उनकी अप्रियता के कारण हैं उनमें से एक कारण यह भी है कि वह राजनीति का विषय आज बन गयी है। इस वास्ते मैं चाहूंगा कि जो पुलिस की समालोचना की जाय वह इस दृष्टि से की जाय कि सरकार उस पर विचार करे और उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करे।

कल कहा गया कि पुलिस में भ्रष्टाचार है। इसके पहले भी कई बार यह चर्चा की गयी कि पुलिस में करप्शन बहुत ज्यादा है। श्रीमन्, दुनिया के सब देशों में पुलिस में करप्शन है। मैं इन्कार नहीं करता हूं कि हमारे प्रदेश में पुलिस में करप्शन नहीं है। मगर माननीय सदस्य देखेंगे कि अमेरिका में सब से ज्यादा पुलिस में करप्शन है, उसके बाद फ्रांस में। सबसे कम इंगलैन्ड में है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पुलिस के करप्शन को कोई सरकार मिटा नहीं सकती है, क्योंकि जहां सत्ता होगी, वहीं करप्शन होगा। करप्शन दूर करने के लिये, मुझे खेद है कि विरोधी दल की तरफ से कभी कोई सुझाव नहीं आता। सरकार ने एक कमीशन बैठाया है, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में दिया हुआ है कि किस प्रकार पुलिस के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता

[श्री बेचनराम गुप्त]

हैं। वह प्रश्नावली करीब करीब १०,००० व्यक्तियों को भेजी गयी है, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक केवल २५० सज्जनों के उत्तर उन प्रश्नावलियों के सम्बन्ध में आये हैं। मैं भी एक कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं विरोधी दल के नेता का बहुत ही अनुगृहीत होऊंगा, जब कभी भी वह समय देंगे हम उनके यहां आने को तैयार हैं, वह बतायें कि पुलिस के भ्रष्टाचार किस प्रकार से दूर किया जाय। सरकार भी इसके लिये सचेष्ट है, उन कारणों की ओर वह अपना ध्यान ले जाती हैं। जहां तक हम लोगों ने सोचा है, तीन अवसर ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। एक तो फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट, दूसरे इन्वेस्टीगेशन और तीसरे प्रोजीक्यूशन है।

जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के घपले में पड़कर माननीय नेता विरोधीदल ने कहा कि अगर जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का ठीक ठीक सेपरेशन हो जाय तो पुलिस के अधिकार बहुत बढ़ जायेंगे। उसको सर्च वारन्ट ईश्यू करने के अधिकार हो जायेंगे, और दूसरे प्रकार के वारन्ट ईश्यू करने के अधिकार भी हो जायेंगे और और दूसरी तरह के अधिकार भी वह पुलिस को देना चाहते हैं। आज पुलिस की हालत देखते हुये क्या यह उचित होगा कि पुलिस को यह अधिकार दिये जायं। आज जिले की ला ऐन्ड आर्डर की जिम्मेदारी जिलाधीश को है और यह जिम्मेदारी बहुत दिनों से उसके ऊपर रही है। हमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती जिसके कारण यह जिम्मेदारी जिलाधीश के हाथों से हटा दी जाय। विरोधी दलों के भाषणों से यह मालूम होता है कि जनता का विश्वास पुलिस पर नहीं है और यह बात सही है कि जनता का विश्वास पुलिस में नहीं है। ऐसी सूरत में जिला मैजिस्ट्रेटों के हाथ से ला ऐन्ड आर्डर की जिम्मेदारी निकालना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इस सिलसिले में और भी बातें कहीं गई हैं जिन पर हम कुछ कहना आवश्यक नहीं समझते हैं।

एक बात और माननीय नेता विरोधी दल ने कही कि अपराधों की संख्या में दिन बदिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मैं भी सोचता था कि अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है परन्तु श्रीमन्, जब मैंने आंकड़ों को देखा, उनका विश्लेषण किया तो मुझे मालूम हुआ कि यह भ्रम है। शायद माननीय विरोधी दल के नेता को भी मेरी तरह से ही भ्रम हो।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मैंने यह नहीं कहा था कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है बल्कि यह कहा था कि पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं इनके द्वारा, जो अपराध होते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है।

श्री बेचनराम गुप्त--श्रीमन्, उन्हीं के शब्दों को दोहरा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "क्राइम बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी पुलिस की इनएफिसिएन्सी पर है"। मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी जो रिपोर्ट छपी हुई है उसको वह देख लें। उसमें लिखा हुआ है कि क्राइमों की संख्या बढ़ रही है और उसकी जिम्मेदार पुलिस की इनएफिशिएन्सी है।

अब श्रीमन्, जो आंकड़े मैं आपकी आज्ञा से यहां रखना चाहता हूं उससे आप देखेंगे चार वर्षों में अपराधों की संख्या बढ़ी नहीं है, यह साफ प्रकट होता है। डकैती को आप ले लें १९५६ में ८१२, १९५७ में ८०४, १९५८ में ७३८, १९५९ में ७१९ और राबरी है १९५६ में ५६२, १९५७ में ५१७, १९५८ में ४७३ और १९५९ में ५०४।

एक सदस्य--ये आंकड़े कहां से लाये हैं आप ?

श्री बेचनराम गुप्त--ये आंकड़े लेटेस्ट हैं और पुलिस कमीशन ने सदर दफ्तर से कलेक्ट किये हैं। ये ऐसे नहीं हैं जो इस किताब में या उस किताब में छपे हों। ये पूरे सूबे के हैं।

डकैती विद मर्डर--१९५६ में १२०, ५७ में १०३, ५८ में ८७ और ५९ में १३०। मर्डर हैं सन् ५६ में १५९९, ५७ में १४६८, ५८ में १६३७ और ५९ में १६९४। इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि अपराध बढ़े नहीं हैं।

एक सदस्य--चोरी के आंकड़े दीजिये।

श्री बेचनराम गुप्त--वह भी लीजिये। १९५६ में २३,०५७, १९५७ में २२,१३५ ५८ में २३,०८९ और ५९ में २२,८६२ हैं। इनसे साबित होता है कि अपराधों की संख्या बढ़ी नहीं है। यह भी कहा गया कि पुलिस अपराधों को छिपाती है, लेकिन बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जिनको पुलिस छिपा नहीं सकती जैसे कत्ल है, डकैती है या राहजनी है। यह सम्भव हो सकता है कि कहीं डकैती को चोरी में कंवर्ट कर दिया गया हो। मगर एकदम छिपा देना सम्भव नहीं है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि अपराधों की संख्या बढ़ी हुई क्यों मालूम होती है। जनता की रुचि अपराधों के बारे में अखबारों में पढ़ने की होती है। जनता में अब जाग्रति आ गई है। रोजाना हम अखबारों में यह देखते हैं कि अमुक स्थान पर डकैती पड़ी या कत्ल हुआ। उससे हमारे दिमाग पर यह असर पड़ता है कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने आवेश में आकर कहा कि एक नहीं, ७२ कमीशन मुकर्रर किये जावें, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं निहायत अदब से निवेदन करूंगा कि मुझे तो कोई कमीशन देखने का असवर नहीं हुआ। आज से १२ वर्ष पहले एक कमीशन नियुक्त हुआ था जिसके चेयरमैन माननीय सीताराम जी थे। १२ वर्ष के बाद एक कमीशन अब नियुक्त हुआ है। सरकार इस कमीशन के लिये काफी चिंतित है कि इस कमीशन द्वारा पुलिस की बहुत सी शिकायतें दूर हो सकें और कमीशन उसके लिये सचेत है। माननीय विरोधी दल के नेता की पार्टी से ही माननीय नारायणदत्त जी भी उसके सदस्य हैं। मेरा खयाल है कि वह भी इसको स्वीकार करेंगे कि कमीशन बड़ी मेहनत के साथ सभी मसलों पर गौर कर रहा है। आशा की जाती है कि उसकी रिपोर्ट से बहुत कुछ शिकायतें दूर हो सकेंगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मान्यवर, मैं अपना संशोधन सदन के सम्मुख रख चुका हूं। मेरे संशोधन के लम्बे होने का जिक्र माननीय नेगी जी ने किया है। मैं उन्हें समय पर आगे उत्तर दूंगा। लेकिन मैं अपने संशोधन के रहते हुये भी महामहिम राज्यपाल जी को बधाई देना चाहता हूं। इस बात के लिये नहीं कि उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना अपने प्रदेश में न होने पर दुख प्रकट किया है, इस बात पर कि उन्होंने गत वर्ष के हमारी सरकार के कमीशन्स या ओमीशन्स पर दुख प्रकट किया है, इस बात पर नहीं कि उन्होंने ऐसे सुझाव दिये हैं जिनसे हमारे प्रदेश का सुधार हो सकता है, बल्कि इसलिये, श्रीमन्, कि उन्होंने एक दूसरे प्रान्त के निवासी होते हुये जहां की भाषा दूसरी है, हिन्दी में भाषण दिया। बहुत वर्षों से यह प्रथा चली आती थी कि गवर्नर के भाषण अंग्रेजी में हुआ करते थे। सोशलिस्ट पार्टी उनका बायकाट करती थी, और हम लोग वंचित रह जाते थे महामान्य राज्यपाल का भाषण सुनने से। इन राज्यपाल जी ने यह कृपा की कि अपना सम्भाषण हिन्दी में किया। हमारे दल के नेता राजनारायण जी ने जेल से उनके लिये एक पत्र भेजा था और यह प्रार्थना की थी कि वह अपना सम्भाषण हिन्दी में देने की कृपा करें। उन्होंने कठिनाइयां होते हुये भी हिन्दी में ही सम्भाषण दिया। मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं।

मुझसे पहले माननीय बेचनराम जी ने कुछ स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने के लिये कहा। उनका सुझाव बड़ा अच्छा है। लेकिन जिस परम्परा का उन्होंने जिक्र किया उसके साथ और भी परम्परायें स्थापित करनी होंगी। जहां तक जनतांत्रिक प्रथाओं का मैंने अध्ययन और अनुभव किया है, मैं समझता हूं कि प्रायः स्वस्थ परम्पराओं की अवहेलना भी हमारे प्रान्त में प्रति वर्ष हुआ करती है। अन्य स्वतंत्र देशों में अथवा मैं यों कहूं कि इंगलैंड में वहां के सम्राट या सम्राज्ञी के सम्भाषण में सबसे पहले उन भूलों का सिलसिलेवार वर्णन होता है जो जान या अनजान

[देव नारायण भारतीय]

में सरकार से हो जाया करती हैं, जितने वायदे सरकार की ओर से हुआ करते हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो पाती उनका जिक्र होता है । उसके बाद उसी सम्भाषण में अगले वर्ष में जो कार्य सरकार को करने हैं उनका माननीय राज्यपाल के अथवा वहां के सम्राट के सम्भाषण में जिक्र होता है । यहां माननीय राज्यपाल के संभाषण को मैंने सुना और उसके बाद पढ़ा भी, लेकिन मुझे दुःख है कि उसमें इन बातों का समावेश नहीं है । अब ऐसी आशा करता हूं कि आगे से जब कभी ऐसा अवसर आवे तो उसमें वे बातें हों जिनकी आवश्यकता है अर्थात् कौन से वायदे गतवर्ष किये गये थे सरकार की ओर से जिनको वह पूरे नहीं कर पाई, कौन सी ऐसी भूलें हुई जो गतवर्ष में सरकार ने कीं, कौन से ऐसे सुधार हैं जो आगामी वर्ष में सरकार करना चाहती है, वे बातें माननीय राज्यपाल के सभाषण में होनी चाहिये ।

मुझे दुःख है कि जब हम जिलों से आये विधायकगण किसी घटना को आंखों से देखते हैं और उसके बारे में यहां प्रश्न करते हैं, कामरोको प्रस्ताव रखते हैं या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं, यही नहीं कि विरोधी दल के लोग ही ऐसा करते हों, सरकारी पक्ष के लोग भी अपनी आंखों देखी घटनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से यही उत्तर दिया जाता है कि हमने घटना की जांच करा ली है, माननीय सदस्यों की सूचना निराधार है । क्या यह स्वस्थ परम्परा है ? इस बात को स्वीकार करने में सरकार अपना अपमान समझती है कि किसी सरकारी अधिकारी ने, किसी नौकरशाही के सदस्य ने कोई भूल की है । सरकार समझती है कि उसने उसकी मानहानि हो जायगी । यह परम्परा बदली जानी चाहिये । इसलिये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी कारगुजारी पर जनमत बनता और बिगड़ता है, उसके दोषों और भूलों को स्वीकार करने में अपने लिये लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार से यह भी जरूरी है कि माननीय राज्यपाल अपने संभाषण में सरकार के दोषों की आलोचना करें । सरकार इससे क्यों डरती है ? इसलिये एक ओर तो सरकार अपनी नौकरशाही के दोषों को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव न करे वही दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की आलोचना हो । इसमें सरकार को लज्जा का अनुभव न करना चाहिये । इसलिये जिस स्वस्थ परम्परा का जिक्र माननीय बेचनराम जी ने किया उसके साथ यह भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

राज्यपाल महोदय ने अपने संभाषण में ४१ मर्तबा 'मेरी सरकार', शब्द का प्रयोग किया । उनकी सरकार हो सकती है लेकिन सरकार हमारी भी है, सरकार प्रान्त की ७ करोड़ जनता की है, सरकार अमीर और गरीब की है, इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वालों की है । इसलिये उनका, मेरी सरकार कहना कानों को कटु लगता है । मैं चाहता हूं आगे से 'मेरी सरकार' कहने के बजाय 'हमारी सरकार' कहा जाय तो वह अधिक लोकप्रिय होगा और उसको सुनकर किसी को खटकेगा भी नहीं ।

माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण का अन्त करते हुए एक बात कही । वह यह है कि "इस कठिनाई के कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करे" । मैं ईश्वर की सत्ता को मानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि जो काम माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी के करने का है उसमें मदद करने ईश्वर आयेगा । जो कार्य माननीय सम्पूर्णानन्द के करने के हैं उनको करने के लिये हम ईश्वर की दुहाई दें, इसको मैं नहीं मानता । राज्य का प्रशासन आज कांग्रेस मंत्रिमंडल के हाथ में है और कांग्रेस मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है कि वह शासन को सुचारु रूप से चलावे । महामान्य राज्यपाल को जो भी आदेश देना था वह देते । ईश्वर की दुहाई देना ठीक नहीं है बल्कि जो आदेश वे दें अपनी प्रान्तीय सरकार को और उसके मंत्रियों को, वे उन आदेशों का पालन करें बजाय इसके कि वहां ईश्वर की आराधना करें कि ईश्वर उनकी रक्षा करे, ईश्वर उनकी सहायता करे और हमारी सहायता करे ।

मैंने इस संबंध में जो संशोधन दिया है उसमें इसका भी जिक्र था परन्तु किसी कारण से माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका इसमें समावेश नहीं किया है । मैंने लिखा था कि 'महामहिम

राज्यपाल महोदय ने जनशक्ति में विश्वास खोकर अकर्मण्य व्यक्ति की भांति ईश्वर की पुकार लगा कर एक राजनीतिक प्रश्न पैदा किया है। मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें राजनीति में ईश्वर की पुकार नहीं उठानी चाहिये।

माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने सरकारी पक्ष की ओर से यह स्वीकार किया कि इस संभाषण में कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं है जिसको महत्व दिया जाय। केवल एक बात अवश्य है और वह यह कि सब से निम्नतम श्रेणी के कर्मचारी जो साढ़े ४९ रुपये वेतन पा रहे थे अब ५५ रुपये वेतन पायेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने अब डी० ए० में वृद्धि करके बड़ी कृपा की है और उसके लिये वह धन्यवाद भी चाहें तो मैं दे सकता हूं। परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह बढ़ोत्तरी कब की गयी जब कि महंगाई में १० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी।

(इस समय २ बजकर २ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।) जब महंगाई १० प्रतिशत बढ़ गई तब उन्होंने ५ १/२ पया महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। मेरा तो यह कहना है कि इस मंहगाई भत्ता बढ़ जाने के बाद भी निम्न श्रेणी के कर्मचारी जहां पर पहले थे वहीं पर रहे। इस बढ़ोत्तरी से उन्हें कोई भी लाभ नहीं पहुंचा। माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने इस बात पर इतना अधिक जोर दिया जैसे मानो इस साढ़े ५ रुपये की वृद्धि से समाजवाद की स्थापना हो गई। मैं समझता तो यह हूं कि आज से चार वर्ष पहले सन् १९५७ में सोशलिस्ट पार्टी ने यह मांग की थी कि निम्नतम कर्मचारियों की मासिक आय १०० रु० से कम नहीं होनी चाहिये और किसी की भी अधिक से अधिक आय हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके लिय सोशलिस्ट पार्टी क पांच हजार सनिकों ने जल यात्रा भी की थी। लेकिन उसे न मान कर सरकार आज साढ़े ५ रुपये की बढ़ोत्तरी करके यह दुहाई देना चाहती है कि वह समाजवाद की स्थापना करने में समर्थ हो गई है। मैं समझता हूं कि यह उसकी एक मृगतृष्णा मात्र ही है। मैं समझता हूं कि इससे निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों का कोई कल्याण नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक कि सोशलिस्ट पार्टी की यह मांग कि निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन १०० ० होना चाहिये, इसे सरकार स्वीकार नहीं कर लेती।

आपने समाजवाद स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिछले १३ वर्ष के समाजवाद में गरीबी दूर हुई है, भुखमरी दूर हुई है, बेकारी दूर हुई है, रिश्वतखोरी दूर हुई है, महंगाई दूर हुई है, ? मेरा निवेदन है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इनमें से एक भी बुराई दूर नहीं हुई। बल्कि यह सब वस्तुयें, यह सब बुराइयां, समाज के यह घुन बहुत बड़ी तादाद में बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं और उनको सरकार, रोक नहीं सकी है और उन के बढ़ते रहते समाजवाद की स्थापना हो भी नहीं सकती। इस सरकार ने रोटी के, कपड़े के, मकान के, शिक्षा के या बीमारी में औषधियों के किसी भी प्रश्न को तो हल नहीं कर पाया। अन्य महत्व की बातों को तो जाने दीजिये सरकार ने पीने के पानी तक का प्रबन्ध प्रदेश की ७ करोड़ जनता के लिये नहीं कर पाया है। आज भी आधे से अधिक यहां के प्राणी तालाबों और नदियों का पानी पीकर अथवा कच्चे कुओं के पानी पीकर गुजारा करते हैं। पानी तक का प्रबन्ध नहीं किया जा सका और समाजवाद की दोहाई दी जाती है। पिछले १३ सालों में इस सरकार ने अरबों रुपया दूसरे देशों से कर्ज लिया समाज का स्तर ऊंचा करने के लिये। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा विश्वास है कि समाज का स्तर बजाय उठने के और गिरा है। इस १३ साल के समाजवादी शासन में देश मकरूज हुआ, कांग्रेस अवश्य फली-फूली, कुछ लोगों का विकास भी हुआ. . .

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं सोशलिस्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं, अभी थोड़ा समय ही हुआ है आपने लाल बत्ती दिखा दी . . . .

श्री उपाध्यक्ष—१७ मिनट आप के हो गये अभी ३ मिनट आप और ले लें।

श्री देवनारायण भारतीय—अभी श्रीमन्, १५ मिनट ही हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य हिसाब में गलती कर जाते हैं, चेयर से समय ठीक ही दिया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, कुछ थोड़ी बहुत भूल जरूर मालूम होती है मुझे अभी १५ मिनट ही हुये हैं । मैं आजकल बीमार भी हूं---ज्यादा तेजी से भी नहीं बोल पा रहा हूं । मैं तो आशा करता था कि मुझे २५ मिनट आप देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा तो आप ५ मिनट और ले लें ।

श्री देवनारायण भारतीय---तो मेरा अपना विश्वास है कि इन १३ वर्षों में गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर हुआ है । आप के इस समाजवाद को तो दूर से ही नमस्कार है । हम ऐसा समाजवाद चाहते हैं कि जिसमें गरीब को खाने के लिये रोटी, पहनने के लिये कपड़ा और सोने के लिये जमीन-मकान का प्रबन्ध हो । आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके एक एक बालक पर शिक्षा के लिये सरकारी हजारों रुपया सरकार की तरफ से खर्च हो रहा है और ८० प्रतिशत जनता के बालकों के लिये ८ आना प्रति बालक भी एक मास में खर्च नहीं होता । क्या इसी तरह से इस देश में आप समाजवाद ला सकेंगे ?

माननीय राज्यपाल ने योजना का अधिक जिक्र किया । अपनी विकास योजनाओं की निष्फलता का उन्होंने मरसिया पढ़ा । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इन योजनाओं का जनसाधारण से सम्बन्ध है, ? जनसाधारण को जब तक इन योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता, उनसे परामर्श नहीं लिया जाता तब तक आप की सभी जन योजनायें केवल कागजों में रहेंगी और वह वास्तविक जनकल्याणकारी नहीं बन सकेंगी ।

मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हजारों हरिजन आज भी बेघर हैं और फुटपाथों पर सोते हैं । एक हरिजन कालोनी के विषय में मैंने प्रश्न किया था । सरकार से उत्तर मिला कि वहां ३०-४० क्वार्टर बने हैं लेकिन कोई उनमें नहीं बसा, वह खाली पड़े हैं । हरिजनों का कल्याण भी नहीं हुआ और योजना पूरी हो गई । यदि इस योजना को जनसाधारण के सम्पर्क से कार्यान्वित किया गया होता तब सरकारी पैसे को भी सद्गति प्राप्त हुई होती, और हरिजनों का भी उस योजना से कल्याण हुआ होता ।

मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, आज दफा ५२ के अन्तर्गत रिहन्द डैम का जिक्र आया । वहां पर योजना की सफलता के लिये करीब ५० हजार आदमी बेघरबार कर दिये गये । वहां पर उनकी खेती, उनके गांव, रहने के मकान, आज सब जल मग्न हैं । ६ वर्ष से रिहन्द डैम पर काम हो रहा है । यह है आपकी जन योजना । वहां पर जो रहने वाले थे, पुराने निवासी थे, आप उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह नहीं बसा सके और जब पानी चारों ओर से भर गया तो वह जल में घिरे हुये मर रहे हैं । उनको वहां से निकाल कर जंगली भूमि में डालने की आप कोशिश कर रहे हैं जहां वह हैजे से पीड़ित हैं, अनेक बीमारियां फैल रही हैं । उन्होंने सत्याग्रह किया, सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा सत्याग्रह हुआ । कांग्रेस के द्वारा भूख हड़ताल हुई । लेकिन आपकी विकास योजनायें हैं कुछ लोगों का विकास करने के लिये । वह अवश्य हुआ है । जब तक आप इन योजनाओं को जन समुदाय के परामर्श से नहीं बनायेंगे ऐसा ही होता रहेगा ।

बड़ी सिंचाई योजना आपकी अपूर्ण रहीं । बड़े इंजीनियरों का विकास जरूर हो गया । लेकिन जो लोक लेखा समिति के द्वारा आज हमारे सामने उद्धरण आते हैं उनसे हम यही समझते हैं कि काम अधूरे रह गये हैं, जो बन गये हैं वह गिर रहे हैं, जो बने नहीं वह अधूरे पड़े हैं । किसी भी प्रकार से जनता का कल्याण नहीं हुआ । यह जरूर है कि वह इंजीनियर रिटायर होकर अब अपना विकास स्वतंत्रतापूर्वक कर रहे हैं ।

आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुयें महंगी हो रही हैं । कौन-सी ऐसी वस्तु है, माननीय नेगी जी न जाने कहां से आंकड़े दे रहे थे, मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता, सरकारी आंकड़ों की एक पुस्तक में कुछ लिखा होता है और दूसरी में कुछ, परस्पर विरोधी बातें हैं । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज प्रत्येक अन्न की दर बढ़ी है और उसके अतिरिक्त जरूरत की अन्य आवश्यक वस्तुयें, मकान बनाने का सामान, खाने की अन्य वस्तुयें, सिगरेट, बीड़ी, दियासलाई, सीमेन्ट,

लोहा, आज इन सब चीजों की कीमतें बढ़ी हैं । उत्पादन भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है । इसको देखकर आपकी आर्थिक नीति यह जाहिर करती है कि इसमें कहीं पर त्रुटि है । उसका आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये ।

मैं जानना चाहता हूं कि गत १३ वर्षों में क्या आपने देश के बच्चों का स्तर सुधारा ? उनको स्वस्थ बनाने के लिये घी, दूध का इंतजाम किया ? युवकों का स्तर सुधारा ? उनको शिक्षित और समाज उपयोगी बनाया, नौकरी दिलाने का प्रयत्न किया, बेकारी से हटाकर सतकार्य में लगाने का उपाय किया ? स्त्री समाज के उद्धार का कौन-सा कार्य किया ? वृद्धों को पेन्शन दी, वह उनको तब मिलती है जब १५ रुपये में से ५ रु० वे वहां के कर्मचारियों को रिश्वत देने में और वहां पर आने-जाने में खर्च कर लेते हैं । यही आपने वृद्धों के लिये किया ? हमारे भारतवर्ष की परम्परा थी कि जिस स्त्री समाज की ओर आंख उठाकर कोई नहीं देख सकता थे आज उस स्त्री समाज का और विशेषकर शिक्षित स्त्री समाज का लखनऊ जैसे शहर में सड़कों पर घूमने जाना खतरे से खाली नहीं है । आपने किसके स्तर को ऊंचा किया, कहीं सुधार किया, मैं नहीं समझता ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । यदि आप अपनी योजना सफल बनाना चाहते हैं, आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, तो विकेन्द्रीकरण कीजिये, शक्ति को छोड़िये । जैसे केन्द्र से शक्ति घट कर प्रान्त में आ गई और आज प्रान्त अपने आन्तरिक प्रबन्ध में स्वतंत्र है । उसी प्रकार अपनी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिलों को दीजिये । जब तक आप जिला परिषदों को शक्ति नहीं देंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है, समाजवाद सफल नहीं हो सकता, योजनायें सफल नहीं हो सकतीं । योजनाएं सफल बनाने के लिये पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और सप्लाई, मत्स्य, वन, पशु पालन आदि विभागों को डीसेन्ट्रेलाइज कीजिये तथा जिलों को भी आदेश दीजिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामों में शक्ति को विकेन्द्रित करें । जिस प्रकार आज से ४० साल पहले लड़ करके प्रान्तों ने केन्द्र से शक्ति ली थी उसी प्रकार आज जिले और ग्रामों की जनता आपके हाथ से शक्ति लेना चाहती है । मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चय ही आपकी सत्ता के खिलाफ विद्रोह होगा तथा जिलों और ग्रामों की जनता आपको चुनाव में हरा कर इस शक्ति को छीन लेगी तथा शक्ति ग्रामों और जिलों की जनता के हाथों में होगी । आप सब समझदार हैं, मैं आशा रखता हूं कि आप स्वयं अपनी ओर से शक्ति को छोड़ने के लिये अग्रसर होंगे, अपने कोष से जिलों को धन देंगे ताकि वहां का संचालन हो सके । समयाभाव के कारण और अस्वस्थ होने के कारण मैं अपनी पूरी बात कह नहीं सका । शाहजहांपुर जेल में मेरे एक साथी श्री शोभा राम जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, मेरे हृदय की गति में भी कुछ अन्तर आया है जिसके कारण मैं भी पैरोल पर हूं इसलिये उस तेजी से नहीं बोल सका जितना मैं चाहता था और इसी से मेरी बहुत सी बातें रह गईं ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, कई रोज से बराबर जो राज्यपाल के खिताब पर, जो उन्होंने हाउस में किया, मुख्तलिफ तरीकों से बहस मुबाहिसा हो हो रहा है मैंने बड़े गौर के साथ दोनों ही तरफ के बैठने वालों की बातों को सुना । मैं समझता हूं कि कुछ हमारा तरीका और रवैया ऐसा हो गया है कि हम एक किस्म की बोलने की मशीन हो गये और बोलते चले जाते हैं । काश बोलते वक्त इस बात का हमें अहसास हो कि हमारे कौल और फेल में कुछ मुताबिकत है तो शायद हमारा बोलना ज्यादा कारगार और लाभदायक हो सके । लेकिन हम जब बोलते हैं तो शायद यह नहीं समझते कि हमारे सुनने वाले हमसे कहेंगे कि हम क्या कह रहे हैं ।

श्री मदनमोहन जी ने जो शुक्रिये का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । राज्यपाल ने अपने ऐड्रेस में हुकूमत की पालिसी के हर गोशे पर काफ़ी तफ़सील के साथ रोशनी डाली और कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसके बारे में न बताया हो कि उनकी हुकूमत की क्या पालिसी होगी, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है । उन्होंने अपने ऐड्रेस में इस बात को बताया, गो उन्हें

[श्री अहमद बख्श]

इस सूबे में आये हुए बहुत थोड़ा अर्सा ही हुआ है गो वह अमली तौर पर उन कामों की देख भाल नहीं कर सके, लेकिन जो तरीके उनकी मालूमात के लिये हो सकते थे, उसकी बिना पर उन्होंने अपना बयान दिया।

सब से पहले मैं सफ़ाई के साथ, बगैर किसी हिचक के यह बात कहूं तो शायद ज्यादा मुफ़ीद होगा कि----

"क़फ़स में मुझ से रूदादे चमन कहते न डर हमदम,
गिरी थी जिसपे कल बिजली वह मेरा आशियां क्यों हो।"

हम जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें कुछ हमारा सियासी दृष्टिकोण, कुछ दलबन्दी की भावनायें और कुछ चीजें जहन में छिपी हुई होती हैं। आज जब कि साफ़ जाहिर है कि उन्होंने अपने ऐड्रेस में यह भी कहा कि हम कुछ हालात से ऐसे घिरे हुये हैं जिससे मुल्क को एक किस्म की मुसीबत का सामना किसी वक्त भी करना पड़ सकता है तो जाहिर है कि हमारे सोचने के ढंग में हमारे काम करने के ढंग में और हमारी जहनियत में एक फ़र्क आना चाहिये और हम अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखें कि हम में कहां तक तब्दीली हुई है। कहने को तो सब कुछ कहा जा सकता है, अच्छे से अच्छी चीज़ पर भी नुक्ताचीनी की जा सकती है, बड़े अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर और अच्छे से अच्छे आदमी पर भी नुक्ताचीनी की जा सकती है और उसके लिये जुबान वसीय है मगर तामीरी काम में खून पसीना एक करना पड़ता है और तकरीर करने में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। उसमें तो महज़ जबान होती है। तो जब ये हालात हमारे सामने हैं और आज मुल्क कुछ मुसीबत से घिरा हुआ है तो हमने उस मामले में क्या सोचा और क्या कदम उठाया, यह समझने की बात है।

आज यह भी एतराज़ किया गया कि जो बचाव की सूरतें हैं उनसे हमें वाकिफ़कार नहीं कराया गया। मैं पूछता हूं कि क्या कभी डिफेंस के मामले में राज़ की बातें आम लोगों को बतायी जाती हैं? अगर ऐसा किया जाय तो उससे हमें फायदा पहुंचने के बजाय मुखालिफ़ीन को ज्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। मुसीबत के वक्त हर चीज अपनी आदत बदल देती है। बाढ़ के वक्त अगर एक छप्पर पर एक इन्सान, एक सांप, एक भेड़िया और एक बकरी बहने लगते हैं तो उस मुसीबत के वक्त सब अपनी आदत को बदल देते हैं, न सांप इन्सान को काटता है, न इन्सान सांप को मारता है और न भेड़िया बकरी को खाता है बल्कि हर चीज अपनी हिफ़ाजत में मुब्तिला रहती है। मगर आज जब हम इस मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं फिर भी हमारी आदतें उसी किस्म की हैं।

दूसरी चीज जिसकी तरफ इस ऐड्रेस में तवज्जह दिलायी गयी है वह है फिरकेवाराना और जाति पांति की जहनियत की खराबी। मैं इस बात के लिये मुबारकबाद पेश करता हूं कि शायद पहली मर्तबा यह कहा गया है कि हमारे अन्दर फिरकेवारियत और जाति पांति का जहर अभी काफी हद तक बाकी है और कोई मुल्क तब तक तरक्की की तरफ कदम नहीं उठा सकता जब तक कि उसके अन्दर इस तरह का जहर मौजूद है। क्या आज हम गरेबां में मुंह डाल कर देख सकते हैं कि इस जहर से हम छुटकारा पा गये हैं? आज हर सूबा सूबाइयत में, हर फिरका फिरकेवारियत में मुब्तिला है। आज जिधर देखो तकसीम का सवाल है। कहीं से यह आवाज नहीं आती कि इत्तहाद और मेल मुहब्बत की भी कोशिश हो रही हो। जब यह ढंग है बात करने का तो मैं आप से यह गुज़ारिश करूंगा कि क्या दुनिया में यही तरीका है पनपने का? क्या ऐसे ढंग से हम अपना डिफेन्स कर सकते हैं। आज कितने आदमी हैं जो फ़राखदिली के साथ इस बात को तसलीम करेंगे कि हममें यह कमज़ोरी है। आज दुनिया एक समाज बनाने जा रही है। बाज़ लोगों का यह नज़रिया है कि दुनिया एक समाज है, एक

मुल्क दूसरे मुल्क का हिस्सा है। लेकिन हम हैं कि आदमी को आदमी से तकसीम कर रहे हैं। आज हम उन लोगों को भी तकसीम करना चाहते हैं जो इससे अलग हैं। हम इन्सान की खूबियों को देखने में नाकाम हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह गुज़ारिश करूंगा कि गुरबत के मामले में जहां तक कि इस ऐड्रेस में बतलाया गया है कि छोटी तनख्वाह पाने वालों के भत्ते में कुछ इज़ाफ़ा किया गया है, यह सही है कि इससे गरानी का एहसास होता है लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा कि गवर्नमेंट की इस बात की कोशिश है कि जहां तक मुमकिन हो सके छोटी आमदनी वालों की दिक्कतों को दूर करे। लेकिन इससे भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिये महंगाई का मुकाबला करने के लिये कोई चाराकार नहीं है। इसलिये हमें इस मसले को खूब गौरो खोज के साथ देखना है और कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये जिससे उसको कुछ राहत मिल सके और वह महंगाई का मुकाबला कर सके। इसके लिये जराअत की तरक्की होनी चाहिये और जराअत की पैदावार भी बढ़ाने का सवाल है। काश्तकार को यकीन दिलाया जाय कि उसको मुनासिब कीमत उसकी पैदावार की दी जायगी। लेकिन इसकी कीमत मुकर्रर नहीं होती है इसलिये उसको मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती है और उपज को बढ़ाने में वह दिलचस्पी नहीं ले पाता है। यह सवाल भी काबिले गौर हो कि जैसे महंगाई बढ़ेगी तो और लोगों की महंगाई बढ़ जायगी लेकिन इस तबके को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी चीज जो गवर्नर महोदय की तकरीर में कही गई है वह थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में है। इसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि अब तक जो हमारे प्लान्स बना करते थे वह ऊपर से बना करते थे लेकिन इस थर्ड फाइव ईयर प्लान में एक खास बात यह है कि प्लान्स अब नीचे से बनने शुरू हुये हैं। जो पहले प्लान्स में योजनायें ऊपर से बन कर नीचे जाया करती थीं वही इस थर्ड प्लान में आज ब्लाक में बैठ कर, गांव पंचायतों में बैठकर, गांव सभाओं में बैठ कर, गांव वालों से सलाह मश्विरा करके बनाई जायंगी। अब हमारे गांव वालों से पूछा जायगा कि इस गांव में, इस बस्ती में किस चीज की कमी है। आया आबपाशी की कमी है, खाद की कमी है, शिक्षा की कमी है या यातायात की कमी है और जिन्दगी की जरूरियात में जो चीजें शामिल हैं उनमें किस चीज की कमी है? जब इस तरह की हमारे यहां योजना बनाई जायेगी तो वह जनता की चीज होगी और ऊपर से थोपी जाने वाली चीज नहीं होगी। इससे लोगों में उमंग पैदा होगी और खुशी की लहर दौड़ेगी और वह लोग सोचेंगे कि यह हमारी ही योजना है और हमारे मफाद के लिये है इसलिये उसको कामयाब बनाने की जी-जान से कोशिश करेंगे।

मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं कि गलती इन्सान से होती है। एक मुल्क जो सदियों से गुलाम था और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो ऐसी हालत में छोड़ा कि इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। हमने गुलामी से छूटने के बाद इन १३ या १५ सालों में जो तरक्की की है और देश को आगे बढ़ाया है वह कमाल का काम किया है। इसको हर एक आदमी नहीं जान सकता है। जैसे एक पहलवान की बात पहलवान ही समझ सकता है। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि इन १५ सालों में आजादी के बाद हमने जो काम किये हैं वह किसी और मुल्क ने इतने थोड़े अर्से में नहीं किये हैं। आज हमारे करीब का ही मुल्क है उसने एक इंच भी तरक्की नहीं की है..

श्री उपाध्यक्ष—आपका वक्त खतम हो गया।

श्री अहमद बख्श—मुझे थोड़ा-सा वक्त और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप खत्म ही कर दीजिये।

श्री अहमद बख्श—जैसी आपकी मर्जी क्योंकि मैं तो हुक्म के मानने वालों में से हूं।

श्री उपाध्यक्ष----अच्छा तो बोल लीजिये।

श्री अहमद बख्श--मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने यह भी रखा है कि जिन लोगों ने स्ट्राइक करने वालों को मदद दी या उनको उकसाया उनको देश का दुश्मन क्यों कहा गया? उन लोगों ने इसका बुरा माना और यह कहा कि हड़ताल में मदद करने वालों को देश का दुश्मन या गद्दार क्यों कहा गया? मैं आप से पूछता हूं कि मुल्क के इन्तजाम में गड़बड़ी कर दी जाय और मुल्क के एक सिरे को दूसरे सिरे से अलग कर दिया जाय और ऐसे वक्त में जब कि दुश्मन का मुकाबला करना हो तो गद्दार कहने से आप बुरा क्यों मानते हैं? काम तो आप ऐसा करें जिसके बदौलत आपकी मजम्मत करनी पड़े और तवक्को आप यह करें कि आप की तारीफ की जाय तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है?

यह भी कहा गया है कि जब हम से दुगने लोग तारीफ करने के लिये मौजूद हैं तो फिर हमसे क्यों तवक्को की जाती है कि हम तारीफ करें। इसका क्या यह मतलब है कि हम तारीफ करें तो आपकी जरूरत नहीं है? मेरा तो कहना यह है कि अगर मैं कोई बुराई करूं तो मेरी मजम्मत होनी चाहिये और अगर भलाई का काम करूं तो उसे भला कहा जाना चाहिये।

हमारे जन संघ के लीडर ने कहा कि हम से कहा जाता है कि हम गद्दार हैं तो फिर हमसे कैसे तवक्को की जाती है कि हम तारीफ करें। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, वह यह है कि अगर आपको मुल्क की मुहब्बत है तो मुल्क की भलाई के लिये आपको गाली खानी पड़ेगी। मेरी गलतियों पर आप न जाइये। हमें वह जमाना याद है कि जब ९० प्रतिशत लोग हमको गालियां दिया करते थे, लेकिन तब भी हम जिस चीज को ईमानदारी के साथ सही समझते थे, जिन रास्तों पर चलने के लिये हमको गांधी जी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना आजाद और दूसरे नेशनल लीडर्स ने सलाह दी, उस पर हम चले। हम समझते थे यह हमारा मुल्क है, उससे हमको मुहब्बत थी, फिर चाहे लोगों ने हमको गालियां दीं या हमारी तारीफ की, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान न देते हुए हमने उसकी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अब आज अगर आप हम पर यह शक करें कि हम पाकिस्तानी हैं तो उससे हमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता या हमारी तारीफ करें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हमको अगर अपने वतन से मुहब्बत है तो वह हर हालत में हमको करनी चाहिए। अगर वह मुहब्बत किसी तारीफ या सताइश पर निर्भर है तो वह असली मुहब्बत नहीं है। इसलिए आपको तो वतन से असली मुहब्बत होनी चाहिए।

जहां तक नज्मोनस्क का सवाल है यह कहा गया कि नज्मोनस्क ऐसा हो रहा है कि पुलिस में भी खराबी है, जुडिशियरी में भी खराबी है, इन्साफ में भी खराबी है। मैं मानता हूं कि यह तमाम खराबियां हो सकती हैं और हैं। उसके लिए हम और आप दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन हर मौके पर इन बातों को आप इसलिए उछालते रहें कि आपको इनसे कोई वास्ता नहीं पड़ेगा इससे एक ऐसी हालत आप पैदा कर देंगे कि देखने वाले यह समझें कि हम बहुत खराब हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इस डेमोक्रेसी में हर पांचवें साल गवर्नमेंट बदल सकती है। कभी हो सकता है कि अन्धी पूत का मुंह देखे और आप इस तरफ आयें। सर्विसेज के दिमाग में अगर आप यह बैठा देंगे कि वे बिल्कुल निकम्मे हैं तो जिस दिन आप यहां आयेंगे उस दिन आपके साथ भी वह बिल्कुल निकम्मेपन से ही काम करेंगे। इसलिए अगर आपको किसी से काम लेना है तो हर समय उसे निकम्मा कह कर उसे सचमुच निकम्मा न बना डालें। इन शब्दों के साथ मैं इस रिजोल्यूशन की ताईद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया और इस शेर पर खत्म करता हूं--

इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें,
गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैजाबाद के माननीय सदस्य ने राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव दिया है मैं अपने आपको उस प्रस्ताव से सहमत नहीं पाता। मैं तो यह समझता था कि इतने बड़े सम्बोधन में राज्य के सबसे पिछड़े भू-भाग का यानी बुन्देलखंड का जिक्र जरूर होगा और उत्तर प्रदेश के अन्य भू-भागों की ओर, उत्तर प्रदेश की अन्य समस्याओं की ओर राज्यपाल अथवा उनकी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ होगा। मगर श्रीमन् बुन्देलखंड की किसी भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया और यह बात कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है कि बुन्देलखण्ड आज उत्तर प्रदेश का सब से पिछड़ा हुआ भू-भाग है, चाहे यातायात में देख लीजिए, चाहे आजकल के आधुनिक साधनों में देख लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ भू-भाग है। आज वहां गरीबी है, बेकारी है, किसी प्रकार का औद्योगीकरण नहीं है। तो हमको इस बात की आशा थी कि नये राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में आने के बाद अपने भाषण में बुन्देलखण्ड के लिए कोई नयी बात जरूर कहेंगे लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं मिला।

जहां तक बुन्देलखंड की समस्याओं का सम्बन्ध है, श्रीमन् बुन्देलखंड में एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाया जा सकता, बुन्देलखंड के चार जिलों से बाहर कहीं भी जाया जाय तो चारों तरफ नदियां हैं और एक भी पुल नहीं है। बुन्देलखंड के जिलों से कानपुर इटावा या कहीं बाहर जाना चाहें या बाहर से बुन्देलखंड के किसी जिले में जाना चाहें या एक जिले से दूसरे जिले में या मध्य भारत में जाना चाहें तो गैर मुमकिन है। गरज यह है कि बुन्देलखंड के चारों जिले ऐसे हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाया जा सकता। लेकिन बुन्देलखंड के लिए इस सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं है। श्रीमन्, बुन्देलखंड की आबादी मामूली तौर से ४० लाख की जरूर होगी। ४० लाख आदमियों में केवल २ डिग्री कालेज हैं--एक झांसी में और एक ओरई में। अगर बुन्देलखंड का भू-भाग इतना पिछड़ा हुआ है तो मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में बुन्देलखंड की शैक्षिक उन्नति के लिये, बुन्देलखंड वालों को हायर एजूकेशन प्राप्त हो सके इस के लिये क्या सुझाव दिया है। क्या हम बुन्देलखंड वालों को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि जहां पर ४० लाख आदमी रहते हों वहां पर दो डिग्री कालेज से ज्यादा हों? और वह भी प्राइवेट संस्था हों? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सभी सुविधा जो दूसरे स्थानों को, दूसरे जिलों को प्राप्त है वह बुन्देलखंड को प्राप्त हों?

एक बात माननीय नेगी जी ने अपने भाषण में यह फरमाई है कि हमने बुन्देलखंड का बहुत बढ़िया कचिया गेहूं दूसरी जगह भेज दिया। मगर श्रीमन्, यह देखा जाय कि बुन्देलखंड के कचिया गेहूं की कीमत आपने क्या फरमाई है। ४० लाख बुन्देलखंड के रहने वाले किसान जो कचिया गेहूं पैदा करते हैं उसकी कीमत १३ रुपया मन है। दूसरे स्थानों पर जो सफेद गेहूं पैदा करते हैं उसकी कीमत १५ रुपया मन निर्धारित की है। इसमें दो रुपये का अन्तर रहता है जिससे बुन्देलखंड के हरएक किसान को सौ दो सौ रुपये का नुकसान होता है। आज इस सरकार की इस प्रकार की नीति से, इस प्रकार की भेदभाव की नीति से प्रत्येक किसान को वहां पर दो सौ रुपये का नुकसान होता है और यह नुकसान हर साल उसको उठाना पड़ता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपने बहुत बढ़िया पौष्टिक गेहूं तो बुन्देलखंड से बाहर भेजा और उस बढ़िया गेहूं का हाल यह है कि उसको दो रुपये कम में सरकार भेजती है तो मेरा निवेदन है कि आखिर बुन्देलखंड वालों के साथ ऐसा भेदभाव का व्यवहार क्यों है? जब बुन्देलखंड का कचिया गेहूं बढ़िया और पौष्टिक माना जाता है तो वह तो १३ रुपये मन पर बिकता है, लेकिन कानपुर की मंडी में जो सफेद गेहूं किसान आकर बेचता है वह २० रुपये और १८ रुपये मन पर बेचता है तो लैवी में उसी भाव पर हमारे गेहूं को क्यों लिया जाता है। हमारे यहां भी मंडियों में गेहूं को ले जाने की इजाजत होनी चाहिये। अगर यह कानून बना दिया जाय कि अपने ही गांव में बेंचना होगा तो

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

सब के लिये यह चीज लागू होगी। सभी अपने गेहूं को अपने गांवों में ही बेचेंगे। जब आप यह जानते हैं कि बुन्देलखंड का गेहूं अच्छा और बढ़िया होता है तो उसके लिये मंडियों में आने का स्कोप होना चाहिये। बुन्देलखंड के किसानों के साथ यह भेदभाव का व्यवहार इस सरकार के द्वारा हो रहा है। हम आपके द्वारा इस सरकार से यह निवेदन करेंगे कि हमारे यहां के किसानों का लगभग ३० लाख प्रति वर्ष का यह नुकसान हो रहा है। वह केवल इसलिये हो रहा है कि बुन्देलखंड के गेहूं के दूसरे दाम लगाये जाते हैं और सफेद गेहूं के दूसरे दाम लगाये जाते हैं।

अब मैं जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बेचनराम जी ने इस सम्बन्ध में यहां पर कुछ कहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात में कौन सी दिक्कत है कि मजिस्ट्रेसी को हाई कोर्ट के सबार्डिनेट कर दिया जाय। आप जब इस बात को मानते हैं और सेपरेशन के प्रिन्सिपुल को मानते हैं तो इसको मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। कल यही बात माननीय विरोधी दल के नेता ने भी कही थी कि जो मौजूदा सेपरेशन की व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है। वह सेपरेशन किसी माने में सेपरेशन नहीं है। मैं समझता हूं इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर मजिस्ट्रेटों को हाई कोर्ट के मातहत कर दिया जाय।

दूसरी बात है यह कि जो ए० डी० एम० (जे) है वह फौजदारी और जुडिशियल दोनों काम करते हैं। अगर जुडिशियल मुकदमें जो एस० डी० एम० करते हैं उनकी देखभाल का काम ए० डी० एम० (जे०) के अधीन कर दिया जाय तो इससे जरूर लाभ होगा। जुडिशियल वर्क की देखभाल हो सकती है और उससे लाभ हो सकता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन्साफ जो बिकता है वह कोर्ट फीस के जरिये से बिकता है। एक आदमी को इन्साफ पाने के लिये, जो अदालत में जाता है, १० फीसदी कोर्ट फीस देनी पड़ती है आजकल के युग में जब सोशल जस्टिस की बात कही जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कही जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर कही जाती है, वेलफेयर स्टेट की बात कही जाती है तो ऐसे समय मेरा निवेदन है कि वह समय जरूर आगया है कि जब इस कोर्ट फीस को सिविल या क्रिमिनल लिटीगेशन में माफ होना चाहिये। और जो रिट की फीस पांच रुपये से ५० रुपया कर दी गई है उसे भी माफ होना चाहिये या कम से कम सरकार उसे घटाये जरूर।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन, कि जब तक इन्डियन पेनल कोड में अमेंडमेन्ट नहीं होता उस समय तक देश में किसी सूरत में समाजवाद नहीं आसकता। यह बात सुनने में विचित्र लगेगी कि पेनल कोड से समाजवाद का क्या सम्बन्ध। लेकिन मेरा निवेदन है कि धारा ४२७, ३३९ और ४७९ से सम्बन्धित सेक्शंस ऐसे हैं कि इनमें जहां धन की हानि होती है फौरन सरकार आ जाती है लेकिन अगर मनुष्य की हानि होती है या उसकी इज्जत जाती है तो स्टेट कह देती है कि हमसे कोई मतलब नहीं। अगर किसी का चार आने का रूमाल चोरी चला जाय तो थानेदार इन्टरफियर करेगा, लेकिन अगर उस आदमी पर हमला हो जाय तो थानेदार कह देगा कि हम इन्टरफियर नहीं करेंगे। जब स्थिति यह हो तो मेरा निवेदन है कि जहां पैसा मनुष्य का दास होता है वहां समाजवाद होता है और जहां मनुष्य पैसे का दास हो जाता है वहां समाजवाद कभी नहीं होता। इसी तरह से दफा ४९८ है। कोई आदमी किसी की स्त्री को भगा लाये तो दरोगा जी कह देंगे कि हम से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उसी आदमी की बकरी को कोई बांध ले जाय तो दरोगा जी कहेंगे कि इसमें पुलिस दस्तन्दाज होगी। तो इस दृष्टि से इंडियन पेनल कोड को एक्जामिन किया जाय और यह देखा जाय कि समाजवाद को स्थापित करने के लिये कौन कौन सी परम्परायें स्थापित की जानी चाहिये।

श्रीमन, एक बात कही गयी कि ला ऐण्ड आर्डर की सिचुयेशन, बेचन राम जी ने कहा कि, बहुत अच्छी है। किसी किसी ने कहा कि अच्छी नहीं है। मेरा निवेदन है कि वर्मा जी ने यह बड़े जोरों से और भावावेश में बात कही कि पुलिस तो आप की है। पुलिस की बाबत

आप कुछ मत कहिये । लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनता यह समझती कि पुलिस हमारी है, यहां की जनता की यह भावना होती तो इस तरह की बात नहीं कही जाती । राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा है कि यह बात अत्यन्त उत्साहवर्धक है कि पुलिस व जनता का सहयोग दिन प्रति दिन बढ़ रहा है । मेरा निवेदन है कि यह बात सही नहीं है । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि पुलिस का राजनैतिक स्वार्थों के लिये सरकारी स्तर पर, जिले के स्तर पर प्रयोग किया जाता है । आज कहा जाता है कि कत्ल के जुर्म छिपाये नहीं जाते । श्रीमन, जब कत्ल की रिपोर्ट की जाती है तो उसको ३०४ में लिख लिया जाता है और जब कत्ल को छोटे कत्ल की रूप में रिपोर्ट लिख दी जाती है तो उसको मर्डर कर के नहीं दिखाया जाता । इसी तरह से कहा जाता है कि डकैतियों के फीगर्स नहीं छिपाये जाते । ४५७ और ४५८ में जो रिपोर्ट लिख दी जाती है वह डकैती की रिपोर्ट होती है, मगर वह डकैती कर के नहीं दिखायी जाती । आज हमारे प्रदेश में कत्ल और डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही हैं कि जिन के कारण सारे प्रदेश में एक असुरक्षा का वातावरण फैला हुआ है और विशेष रूप से बुन्देलखण्ड के जालौन जिले में । जिला जालौन में जो हत्यायें हुईं, जिस तरह से राजनीतिक कार्य-कर्ताओं की हत्यायें हुईं और उनको मारने के षडयन्त्र रचे गये, उससे वहां की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है । वहां अरक्षा की भावना बनी हुई है । जितनी अरक्षा की भावना वहां पर फैली हुई है उतनी उत्तर प्रदेश में शायद ही कहीं हो । यह बात बिल्कुल सही है कि अभी हमारे जिले में, बिल्कुल उसके नजदीक ही, लाखन सिंह तथा और बड़े बड़े डाकुओं का आतंक था, उनके गैंग बराबर वहां घूमते रहे, पुलिस वालों को उनके बारे में पूरी जानकारी थी, एक-एक दिन में सात-सात गांव लूटे गये, किन्तु फिर भी वहां की पुलिस वहां की जनता की हिफाजत न कर सकी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां की जनता की हिफाजत करनी है और वहां शान्ति व्यवस्था बनाये रखना है, तो उसके लिये यह जरूरी है कि जो मौजूदा असलहा-ऐक्ट है उसमें परिवर्तन किया जाय । केन्द्रीय सरकार ने जो कानून बनाया है उस की स्प्रिट यही है कि असलहा जो हैं वे लिबरल तरीके से दिये जायं । मुझे यह मालूम हुआ है कि यह सरकार भी चाहती है कि लिबरल तरीके से हथियार दिये जायं । मगर होता क्या है ? जो थानेदार लोग हैं, तहसीलदार हैं, हाकिम परगना लोग हैं, वे बड़े बड़े आदमियों को ही हथियार देते हैं, जिनको वास्तव में हथियारों की जरूरत है, जिनका चालचलन अच्छा है, उन आदमियों को हथियार नहीं मिल पाता है । रोज-रोज यह प्रश्न जिला स्तर पर पेश होता है । मेरा निवेदन है कि अगर उत्तर प्रदेश में डकैतियों को बन्द करना है, अगर चोरी और डकैतियों से लोगों की रक्षा करना है, तो यह जरूरी है कि हर गांव में कम से कम १०-१५ बन्दूकें जरूर हों । जब ऐसा होगा तभी वे लोग डकैतों का मुकाबला कर सकते हैं, वरना नहीं ।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं । अब तक जो रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी है वह कानपुर में है । मेरा यह निवेदन है कि बुन्देलखण्ड के लोगों के लिये अलग से एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी होनी चाहिये जो वहीं हो जिससे यहां के लोगों की रक्षा हो सके । बुन्देलखन्ड वालों की अगर रक्षा करना है तो यह जरूरी है कि अविलम्ब एक रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी झांसी में स्थित की जाय ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--श्री उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो रायें नहीं हैं कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने हिन्दी में सम्बोधन करके इस प्रांत की जनता के हृदयों को शीतल कर दिया है और एक परम्परा स्थापित कर दी है । यह प्रदेश की भाषा है और इस भाषा के द्वारा अपने प्रदेश की जनता तक अवश्य पहुंचा जा सकता है । और यह निर्विवाद है चाहे यह बात इधर से कही जाय या उधर से कही जाय । यद्यपि मैं खड़ा हुआ हूँ धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये लेकिन जो असल चीज है वह हमें दूसरी तरफ नहीं ले जा सकती । मैं माननीय विरोधी दलों के माननीय वक्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो यह कहा कि प्रदेश में पूर्णतया जातीयता और साम्प्रदा-

[श्री रामलखन मिश्र]

थिकता की भावना को समाप्त होना चाहिये, इसको हटना चाहिये, तो क्या इसको हटने से उनके समाजवाद में कोई बाधा पड़ेगी। क्या महामान्य राज्यपाल ने अपने छोटे से अनुभव काल में जो सम्बोधन दिया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र नहीं हैं ? सर्व प्रथम उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो मार्च, १९६१ में खत्म होती है उसके ऊपर संकेत किया है और अपने कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है और प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६०० करोड़ रुपये जो खर्च होंगे उसके ऊपर संकेत किया है। क्या इस सब के लिये वे धन्यवाद के पात्र नहीं हैं।

क्या यह धन्यवाद का पात्र नहीं है कि योजना की रूप रेखा ग्राम्य स्तर से बननी चाहिए और उन्होंने पर्याप्त मात्रा में इस बात की चर्चा की है। रबी अभियान, खरीफ अभियान का नाम लेकर क्या इस प्रदेश की सुख-समृद्धि की ओर संकेत नहीं किया है ? इसमें समाजवाद के रास्ते में कौन सी रुकावट है ? कल्याणकारी राज्य के बनाने में आखिर कौन कदम आगे होगा किस तरीके से वह चीज चलायी जायेगी ? इस ओर भी संकेत किया है कि यहां के मांसाहारियों को मछली खानी चाहिये, वह और कोई खाद्य न खायें, इससे वह हमारी पेट की समस्या को हल करता है। उन्होंने वन की ओर संकेत कर दिया उसमें हमारे फलाहार भी सम्मिलित हैं, उसके भी अन्तराल में जल वृष्टि का संकेत मिलता है। साथ ही उसमें सिंचाई के ऊपर भी पर्याप्त मात्रा में बल दिया गया है। इस प्रदेश का किसान मौसमी किसान है ? यह मौसम की ओर देखा करता है। अब उसे पृथ्वी के अन्तराल से जल लेकर खेती करना भी सिखाना है, और इस ओर भी बल दिया है, किसान हमारा सीख रहा है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि जितना चर्चा उसकी की जाती है उतनी वस्तुस्थिति में सिंचाई योजना है नहीं, कागजों की पूर्ति के लिये तो कहा जाता है। इस समय विज्ञान की वर्षा सरकार की ओर से खेती के बारे में की जा रही है। साधारण से साधारण किसान जानता है कि किस प्रकार का गेहूँ, धान और अन्य वस्तुओं का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना चाहिये। यह हमारी खंड प्रसार योजना और उनकी समितियों से और गांव में भ्रमण करने की पद्धति से किसान खेती के बारे में प्रशिक्षित हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय हो सकता है जिससे किसानों के अन्दर इतनी चेतना आ जाय। क्या यह प्रशंसा की बात नहीं है।

महामान्य राज्यपाल ने कृषिजात द्रव्यों के मूल्यांकन की ओर संकेत किया है। यद्यपि मैं मंत्रिमण्डल से निवेदन करूंगा और माननीय सदस्यों के ध्यान में रखना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रदेश का किसान बड़ा भोला-भाला किसान है। जितना एक्सप्लायटेशन, जितना शोषण हमारे किसान का हो रहा है, उसके कृषिजात द्रव्यों का मूल्यांकन हम उचित रूप से नहीं करते और यदि करते भी हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि जीवन की अन्य सामग्रियों को जिस समय किसान लेने जाता है तो क्या उनमें कोई बैलेंस, कोई इस प्रकार की समता है। जिस प्रकार से विशेष वस्त्र उपकरणों का हम कानून बनाते हैं उसके लिये वह आवश्यक वस्तुएँ लेने जाता है और अपने कपड़े, औजार लेता है या अन्य वस्तुयें लेता है तो क्या दोनों को सामने रख कर हमने इस पर विचार किया है। यद्यपि यह केन्द्रीय सरकार के सोचने की बात है। जहांतक कि कृषिजात द्रव्यों के मूल्यांकन का प्रश्न है, यह कोई अन्तर्राष्ट्रीय किसानों का सम्मेलन नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में किसानों का जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है हमारे प्रदेश में उसको हमारा भोला किसान चुपचाप सह लेता है, बोलता नहीं है। यहां के बड़े-बड़े उच्च नेता भी जब कोई सम्मेलन होने की बात होती है तो इस सम्बन्ध में पूरे तरीके से सोच नहीं पाते। इसके पहले तो यह नारा था कि "आचारो परमो धर्मः", लेकिन अब वह "प्रचारो परमो धर्मः", बन गया है।

किसानों के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक और बहुत बड़ी रुकावट दिखाई देती है। यहां पर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में और गगनचुम्बी प्रासादों में लोग आनन्द से निवास करते हैं, बड़े-बड़े नगरों में लोग सुख अनुभव करते हैं जब कि बेचारा किसान आंधी पानी में दौड़कर अपने खेत पर जाता है। जो लोग गांवों में जाते हैं वह देखते हैं कि किसान कितना परिश्रम

करता है लेकिन उसकी उपज के मूल्यों का अंकन दूसरी जगहों पर नियम और कानून बनाकर, अभाव लाकर या अधिकता लाकर किया जाता है। वह अन्धकार में हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाता। परन्तु यह प्रसन्नता का विषय है कि इस विषय पर अब चर्चा बढ़ी है, केवल प्रदेश के स्तर पर ही नहीं वरन देश के स्तर पर भी इसकी चर्चा हो ने जा रही है। बड़ा अच्छा हो यदि अन्तर्राष्ट्रीय किसानों की ऐसी कोई योजना बने जिसमें किसानों की भी आवाज हो।

महामान्य राज्यपाल ने अन्य बातों की ओर भी संकेत किया है। यहां पर कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं कही है महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह ब त बड़े ऊंचे स्तर की है। सुरक्षा के बारे में यदि यहां पर कहा भी जाय तो वह अज्ञानता की बात होगी। उनका विषय यह है कि प्रान्त में भुखमरी न रहे और मेरा ऐसा विश्वास है कि सुरक्षा के बारे में हमारी सरकार ने काफी प्रयत्न किये हैं। इस सम्बन्ध में हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं सैनिकों की कही हुई बातों के आधार पर ही यह कह रहा हूँ कि हमारा एक सैनिक १०–१५ चीनी सैनिकों के बराबर है। यह दूसरी बात है कि यदि ऐसा प्रचार किया जाय कि उनकी राइफलों का रेंज ३० मील है और हमारी राइफलों का रेंज २० मील है, यह भ्रमात्मक ब त है। ऐसी कोई बात वास्तव में नहीं है। हमारी सेना का मारेल बहुत ऊँचा है। जो हमारे साथ दुराचार किया है उससे हमारी सेना में बिजली फैल गई है। चीनियों की अब हिम्मत नहीं है कि वह हमको उंगली भी दिखा सकें। इसीलिये अब कोई भय का कारण नहीं रह गया है। हमारी सरकार भी इस ओर बड़ी जागरूक है। इस तरह से हमारी सेना और जो सेना के संचालक हैं वह उनसे १०-१५ गुने हैं। हमारे यहां हर प्रकार का विवाद होता है। कम्युनिस्ट पार्टी जितना प्रचार करना चाहे करे, हमें तो अपनी सुख-स्मृद्धि को बढ़ाना है और उसको बढ़ाकर हम उनके प्रचार का उत्तर देंगे। हम इस प्रकार का झूठा प्रचार करना नहीं चाहते। वस्तुस्थिति से मुकाबला करने के लिये हमारी यह एक नीति है।

श्री उपाध्यक्ष--प्राय का समय समाप्त।

***श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के भाषण पर प्रशन्सा और आलोचना कई दिनों से चल रही है। उन्होंने अपने भाषण में यह संकेत किया है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि जनता और पुलिस में दिन बदिन सम्पर्क और प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। उनके इस वाक्य को सुन कर मुझ को बड़ी ठेस पहुंची। मुझे दुख है कि उनकी सरकार और उनका मन्त्रिमन्डल उनको कितना गुमराह कर रहा है और वास्तव में अगर देखा जाय तो मन्त्रिगण जो हैं वह स्वयं जनता से इतने दूर हो गये हैं कि उनको वास्तविक ज्ञान नहीं रह गया है कि जनता और पुलिस का कैसा सम्पर्क है और वह लोग और भी दूर होते चले जा रहे हैं। आज देहातों की जो दुर्दशा हो रही है उसका मुख्य कारण यही है कि सरकार देहातों के प्रति उदासीन है। वह नहीं देखती कि हमारी जनता और किसानों के प्रति विशेषकर पुलिस और माल विभाग किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। अभी हमारे बेचन राम जी गुप्त ने पुलिस की बहुत ही प्रशन्सा की। उन्होंने पता नहीं कहां से लाकर कुछ आंकड़े पेश किये लेकिन हम लोगों को दिक्कत यह है कि हम इन आंकड़ों को माने या सरकार द्वारा पेश किये गये आंकड़ों को मानें। सरकार के आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि जिन लोगों को सजा मिली है उनकी संख्या ५५ से ५७ में बढ़ी है, जितने लोगों का चालान हुआ है उनकी संख्या ५५ से ५७ में बढ़ी है, जो लोग कारागार गये हैं उनकी भी संख्या ५५ से ५७ में बढ़ी है। फिर भी हमारी सरकार के सदस्य यह दावा करते हैं कि क्राइम में कमी हो रही है। सही है कागजों में अवश्य कमी हो रही है और उनके दिमाग में यह अवश्य आ रहा होगा कि पुलिस से जनता का बड़ा प्रेम हो गया है। यह सम्भव है कि सरकारी पक्ष के सदस्यों और उनकी पार्टी का पुलिस से सम्पर्क अधिक होता जा रहा हो। वास्तव में जो लोग शासन कर रहे हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

उनके दल के लोगों का जनता से कोई सम्पर्क नहीं रह गया है। और अब वे पुलिस के द्वारा सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं और पुलिस के द्वारा दल की शक्ति को बढ़ायें। लेकिन पुलिस अब उनके हाथ से भी बेकाबू होती जा रही है क्योंकि जो अत्याचार पुलिस की ओर से हो रहे हैं, उनका समझना आसान नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहबान अपने चपरासी को और मोटर को छोड़ कर जरा देहात में चलें तो उनको किसानों से मालूम होगा कि अंग्रेजी राज्य की पुलिस अच्छी थी या उनके राज्य की।

मनकापुर में एक राजनैतिक पीड़ित हैं जो स्वतन्त्रता संग्राम में जेल काट चुके हैं। सरकार ने उनको राजनैतिक पीड़ित मान लिया है। उसको वहां के दरोगा ने बुला कर मारा। उसका दोष यह था कि उसने कह दिया था कि लारी में जगह नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पुलिस के प्रत्यचार किस प्रकार से बढ़ गये हैं। अगर कोई सम्मानित देश होता तो वहां का दरोगा एक स्वतन्त्रता के सैनिक को इस प्रकार से ठोकर और जूता न मारता। उन्होंने पुलिस कप्तान को दरख्वास्त दी तो कहा गया कि देखा जायगा। अगर पुलिस के चौकीदार को कोई टेढ़ी निगाह से भी देख लेता है तो पुलिस चाहती है कि वह इस संसार में न रहने पाये। जब राज्यपाल ऐसी पुलिस की प्रशन्सा करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ।

प्लानिंग की भी बहुत प्रशन्सा की गई है। कहा गया कि प्लानिंग विभाग से देश की समृद्धि बढ़ी है। मैं इसको नहीं समझ सका। हमारे नेगी साहब ने एक पुस्तिका का उदाहरण दिया। वह पुस्तिका गोपनीय है फिर भी जब उन्होंने उसका जिक्र किया है, आंकड़ों का तो मुझको ज्ञान नहीं है लेकिन अगर मैं गलत कहता तो नियोजन मंत्री मुझको ठीक कर दें, मैं उनकी बात मान लूंगा, उसमें साफ लिखा हुआ कि आज दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं लेकिन हमारे प्रदेश की प्रति-व्यक्ति आय केवल ७५ नया पैसा बढ़ी है जब कि उसके ऊपर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है। दूसरे देशों के सामने हाथ फैला कर कर्जा लिया गया और आमदनी बढ़ी ७५ नया पैसा। इस पर गर्व करके माननीय राज्यपाल अपने भाषण में उसका उल्लेख करें तो यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ही है। फिर भी जो ७५ नये पैसे की आमदनी बढ़ी है उसकी ओर मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि शहरों की आइमनी बढ़ी है। शहरों की आदमनी अवश्य डेढ़ी हो गयी है लेकिन वास्तव में देहातों की आमदनी को देखा जाय तो अगर पहले से वह गिरी नहीं है तो किसी माने में बढ़ी भी नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि जहां सरकार यह दावा करे कि हम सारे प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा है उस के ८५ फीसदी आदमियों की आमदनी जहां का तहां रहे। यह कहां तक शोभा की बात है या लज्जा की बात है, इसे तो श्रीमन, आप और सदन ही निर्णय करे।

वास्तव में बात यह है कि प्लानिंग विभाग में जो लोग पहुंचे हैं, मुझे दुख है कि जिस सेवा भाव को लेकर प्लानिंग विभाग के विकास खंडों में ट्रेनिंग पाकर लोग गये थे वे भी उसे भुला कर सरकारी मशीन के ही पुर्जे बन गये और उनके अन्दर भी काफी भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया है। अगर इसकी जांच निष्पक्ष रूप से की जाय तो मालूम होगा कि जो पुलियों का निर्माण हो रहा है या जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है और किस कदर थर्ड क्लास कार्य हो रहा है। इसको जांच करने वाले ही बतला सकते हैं कि उसके लिये दलाल मुकर्रर किये गये हैं जो कि छोटे कर्मचारियों से मिल कर अपना हिस्सा बंटा कर अपने कार्यों को पास करा लेते हैं और वास्तव में जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

महामान्य राज्यपाल ने कृषि के उत्पादन का भी बड़े जोरों में जिक्र किया कि हमें खाद्य उत्पादन के लिये एक विशेष कदम उठाना चाहिये और हम उठा रहे हैं, मगर हम तीन चार वर्ष से यह देख रहे हैं कि निरन्तर हमारे यहां विदेशों से अनाज का आयात वृद्धि पर है। अगर सरकार को इस बात का भरोसा था कि हम खाद्य उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो फिर कोई आवश्यकता

नहीं थी कि ५ वर्ष के लिये अमेरिका से मुआहदा किया जाय कि इतना मन गल्ला हमारे यहां आता रहे। खाद्य उत्पादन बढ़ने का लक्षण उस समय अवश्य जाहिर हुआ जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय हमारे देश में खाद्य का उत्पादन काफी बढ़ गया था और बाहर से अनाज का आयात हमारे यहां बहुत कम हो गया था। उस समय सब लोग अनाज के उत्पादन में जुट गये और अनाज काफी पैदा होने लगा। मगर जिस दिन से नागपुर प्रस्ताव पास करने की बात उठी और सहकारिता तथा भूमि के चकबन्दी की बात लोगों को मालूम हुई उसी दिन से लोगों के अन्दर निरुत्साह का वातावरण पैदा हो गया। श्रीमन्, समय कम है इसलिये मैं इस समय आंकड़े में नहीं जाऊंगा, आवश्यकता होने पर सीलिंग बिल जो आने वाला है उस समय मैं उसे पेश करके साबित करने की कोशिश करूंगा कि पिछले ५, ७ वर्ष से खाद्य का उत्पादन बराबर गिरता जा रहा है। जो नक्शा सहकारी खेती और भूमि की सीमा बन्दी का आपने खींचा उस नक्शे को देख कर हमारी दुर्दशा और बढ़ती जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस नक्शे को कार्य रूप में लाने के लिये सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है। यह मानी हुई बात है कि जब तक किसान निश्चित नहीं हो जाता है कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी तब तक उससे उसको लगाव नहीं होगा और वह उसमें मेहनत से काम नहीं कर सकेगा। मेरा विश्वास है कि हमारा देश और प्रदेश इन दोनों प्रकार की नीतियों से दिन पर दिन भिखारी होता जायगा, इसलिये इस पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

जहां तक पशुपालन की बात है, खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ हमारा प्रदेश पशुपालन की तरफ भी एक विशेष कदम उठाने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां पशुपालन के बड़े-बड़े फार्म हैं और जहां अच्छे नस्ल के जानवर पैदा किये जाते हैं, तथा कई गोशालायें और डेरियां भी खुली हैं, वहां इनमें से अभी तक कोई जनता के लिये लाभदायक भी साबित हुआ है? कौन से वह सरकार के डेरी फार्म्स हैं कि जिन से सरकार को लाभ मिला है? अगर यही आप के उदाहरण सामने आते रहें कि घाटे पर चीजें चलें और बड़े-बड़े प्रदर्शन और चर्चायें होती रहें तो हम किस तरफ जा रहे हैं यह हमारी समझ में नहीं आता। वास्तव में जो असल और मौलिक चीज है उस की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज देहातों से जानवर पालने का रिवाज खत्म हो रहा है। मेरा अनुभव है कि अगर कोई आज चाहे कि वह दुग्धशाला या डेरी फार्म खोले तो यह बहुत कठिन काम हो गया है। काटेज इंडस्ट्रीज के तौर पर भले ही यह चीजें चल सकती हैं जैसे कोई २-१ गायें पाल ले और उन की सेवा करे, उन को अच्छे से अच्छा खाना खिलाये तभी वह दूध दे सकती हैं। इसी तरह से पहले देहात में खूब दूध, दही और घी मिलता था लेकिन अब तो न कहीं चरागाह हैं, न किसानों को खेतों में ही इत्मीनान है कि वह उन से अनाज पैदा करे या चारा पैदा करे। आज नतीजा यह है कि देहात में दवा के लिये भी दूध तलाश करने पर नहीं मिलता। अगर सरकार चाहे कि वह अपने डेरी फार्म्स से दूध पहुंचा सकेगी तो यह एक स्वप्न है, धोखा है।

माननीय पुलिस मंत्री जी थोड़ी देर में आये उन के विभाग के विषय में मैं अभी जो दो-एक बातें कहना थीं वह कह चुका लेकिन सौभाग्य से वह शिक्षा मंत्री भी हैं इसलिये शिक्षा विभाग की तरफ भी मैं उन का ध्यान दिलाऊंगा। हमारी सरकार की न मालूम क्या मन्शा है कि हर एक चीज अपने हाथ में लेने की उस की ख्वाहिश है। उसे इतनी बड़ी हुकूमत पर सब्र नहीं होता, वह चाहती है कि प्रदेश के छोटे-मोटे स्कूल जिन को प्राइवेट व्यक्तियों ने चलाया था या किन्हीं संस्थाओं ने चलाया था उन पर भी ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं कि आज उन को चलाना कठिन होता जा रहा है। सरकार एक जिम्मेदारी लेती है लेकिन उस को वह निभाती नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था कोई मामूली चीज नहीं है, यह वह चीज है कि जिस पर देश या प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है लेकिन उस में भी अब खिलवाड़ पैदा हो रही है। कई योजनायें शिक्षा की बनीं लेकिन अगर देखा जाय तो शिक्षा के विषय में प्रदेश में अवनति ही हुई है। इस का प्रत्यक्ष उदाहरण आप के सामने है कि हाई स्कूल का परीक्षाफल निरन्तर हर साल गिरता जा रहा है, इन दो-तीन सालों में कितनी अराजकता और अनुशासनहीनता इन स्कूलों में फैली है। इसका मुख्य कारण यह है कि मैनेजिंग कमेटीज़ में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और वहां की कमेटियां

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

ठीक से कार्य नहीं कर पा रही हैं। तमाम तरह के झगड़े खड़े हो गये हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती। इस हस्तक्षेप के कारण प्रदेश के स्कूलों की हालत दिन-दिन गिरती जाती है और सरकार जो अनुदान देती है वह तो उन के लिये बिल्कुल नाकाफी होता है, वह संस्थायें जनता के सहयोग से या चन्दे से चलती हैं।

अब मैं दो शब्द माल विभाग के बारे में भी कहूंगा। आज बड़ी चर्चा भूमि सुधार की है। आज किसान की दशा यह है कि जिस के लिये आप दावा करते हैं कि उस के लिये भूमि पक्की कर रहे हैं हमारे यहां मनकापुर में अगर कोई माल विभाग के मंत्री चलें तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि किसानों के खेतों पर जो जालिम लोग हैं वह अपना कब्जा लिखा लेते हैं, बहुत से केसेज हैं कि किसानों पर दावा किया गया है और उन की बेदखली हुई है। लेखपालों से मिल कर अपना नाम लिखा लिया गया है और कब्जा कर के कह दिया गया कि कब्जा हमारा है तुम जाओ। मेरी समझ में नहीं आता, पहले आपने भूमिधरी लगान वसूल किया, जमींदारी का विनाश किया और यही कहकर किया कि काश्तकार को पक्का मुस्तकिल उसके खेत पर कायम कर रहे हैं। मगर वास्तविकता क्या है? आज किसान व्याकुल है और वह नहीं समझता कि आज जो खेत जोत रहा है कल पायेगा या नहीं। इस तरफ अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो किसान देहात से उजड़ जायगा। देहात में पुलिस और माल विभाग के कर्मचारियों की बदौलत कोई भला आदमी गांव में रहने का साहस नहीं करता। राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने कहा है कि दिन ब दिन लोग देहात छोड़ कर शहर में आ रहे हैं। अगर सरकार की यही मंशा है कि गांव में भोले-भाले और अनपढ़ों को छोड़ दें ताकि पुलिस के डंडे के बल से वोट ले सकें तब तो वह अपने कार्य में सफल हो रही है।

अन्त में दो शब्द कहूंगा। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने से पहले गवर्नरों का नाम लिया है, मुंशी जी का, मोदी जी का नाम लिया है कि उनके चरण चिन्हों पर चलूंगा। मैं आशा करता हूं कि जैसे उन्होंने स्वतंत्र पार्टी को अपनाया है, हमारे मौजूदा गवर्नर और हमारी सरकार भी हमारे सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करेगी, तभी वास्तव में हमारे प्रदेश का कल्याण होगा।

श्रीमती विजयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद का जो प्रस्ताव माननीय वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। वास्तव में राज्यपाल जी ने हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन की जो तस्वीर खींची है वह हमारे प्रदेश की वास्तविकताओं के समीप ही है। हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि योजना सम्बन्धी जो जो कार्य हो रहे हैं उनमें हम बहुत अच्छी तरह से उन्नति कर रहे हैं। पैदावार की स्थिति के सम्बन्ध में कृषि पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी कहूंगी कि हमारे यहां जो जन-संख्या की स्थिति है, वह बहुत ज्यादा खराब है। उसकी ओर सरकार को विशेष तौर से ध्यान रखना है।

राज्यपाल जी ने जो हमारे सामने हिन्दी में अभिभाषण किया और हमारा पथ-प्रदर्शन किया, उसके लिये हम उनके आभारी हैं।

उत्तराखंड में सरकार ने जो ३ जिले बनाये हैं और उसमें जो प्रशासन का कार्य चलाया है, वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो शेष पर्वतीय प्रदेश है उसकी स्थिति उससे कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं कहूंगी कि उसको भी उत्तराखंड का जैसा शासन कायम कर देना चाहिये। शेष पर्वतीय प्रदेश को भी जो नये तीन जिले बने हैं उनकी दिशा में लाना बहुत जरूरी है।

भोजन की समस्या हमारे सामने सबसे पहली समस्या है। जब तक हमारी भोजन की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक आगे बढ़ना तो दूर रहा, जीते रहना भी हमारे लिये मुश्किल है। इसी प्रकार सरकार ने किसानों की समस्या को हल करने के लिये जो क्षेत्र विकास खंड

स्तर पर जो उत्पादन समिति बनायी गयी है उसकी संस्तुतियों के अनुसार सरकार किसानों की उन्नति की ओर अवश्य ध्यान देगी। द्वितीय योजना में जितना रुपया सरकार को मिला था वह सब खर्च नहो पाया उसका दोष प्रदेशीय सरकार पर नहीं है बल्कि जो विदेशी मुद्रा चाहिये थी वह न मिली और जो माल बाहर से लेना चाहते थे वह उपलब्ध नहीं हो सका और जो कुछ उपलब्ध भी हुआ वह बिजली की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा राज्यपाल जी ने कहा है, सरकार ने विद्युत उत्पादन की ओर विशेष कदम उठाया है, आशा है सरकार बिजली की मांग को पूरा करेगी और कोई इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आयेगी जो दूसरी योजना में आयी थी।

मुझे खुशी है कि रूस की सहायता से ऋषिकेश में जो रोगाणु नाशक औषधियों का कारखाना खुलने जा रहा है इससे देश को तो लाभ होगा ही, साथ ही मेरे जिले के लोगों को, यानी टेहरी के गरीबों को राहत मिलेगी, उनको कार्य मिलेगा। राज्यपाल जी ने कहा कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनको भी हमको साथ-साथ लेना है तथा उनकी उन्नति के लिये तेजी से कार्य करना है। मैं फिर कहना चाहूंगी कि हमारे यहां उत्तराखंड डिवीजन में जो तीन नये जिले बने हैं उनसे हमारे शेष पहाड़ी जिलों की अच्छी हालत नहीं है। अतः मैं चाहूंगी कि शेष पर्वतीय जिलों में भी उत्तराखंड जैसा इंतजाम किया जाय।

विकास के कार्य के समय सरकार जिस आर्थिक भार में दबी हुई है तब भी अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जो आर्थिक राहत दी है, उसने अब यह एक सराहनीय कार्य सरकार ने किया है और इसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है। मैं उन भाइयों से भी चाहे वह प्रदेशीय सरकार के कर्मचारी हों या स्थानीय निकायों के, अनुरोध करती हूं कि प्रदेश के साधनों को देखते हुए जो ५ रु० महंगाई भत्ते में बढ़े हैं उसको सहर्ष स्वीकार करें और अपना कार्य लगन के साथ करें ताकि देश सम्पन्न हो।

हमारे प्रदेश के जिलों की अलग-अलग समस्यायें हैं। कहीं बिजली की कमी है, कहीं आने-जाने के रास्तों की कमी है ऐसी हालत हमारे यहां पर्वतीय प्रदेश टेहरी गढ़वाल की है। उसके लिये जितना काम किया जाय उतना ही कम है। हर चीज की वहां कमी है। आर्थिक तथा खेती की स्थिति में पिछड़ा हुआ वह इलाका है। मेरा अनुरोध है कि उसकी उन्नति के लिये जितने भी विकास कार्य हो सकें वे अविलम्ब किये जायं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मुझे उनसे आग्रह करना है कि बहुत सी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दिला दी जाय, टेहरी में डिग्री कालेज हो जाय और जो छोटे-छोटे स्कूल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके भवनों की हालत जर्जर है और बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते उनकी हालत सुधारी जाय। सरकारी नीति के अनुसार तीन मील की दूरी पर छोटे बच्चों का स्कूल होता है लेकिन पहाड़ी प्रदेश में यह चीज लागू नहीं होती जहां थोड़ी थोड़ी दूर नाले होते हैं जिन पर पुलियां बनाने की आवश्यकता है तब जा कर वे बच्चे उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अतः पहाड़ों में एक-एक मील की दूरी पर स्कूल होने चाहिये।

सरकार से यह अनुरोध है वहां विद्युत की बहुत आवश्यकता है। टेहरी में डीजेल द्वारा बिजली है लेकिन जो स्थान यात्रा लाइन्स पर हैं जैसे जोशीमठ, केदारनाथ, कीर्तिनगर उन के लिये भी बिजली उपलब्ध होनी चाहिये ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके।

अन्त में मैं महामान्य राज्यपाल जी को पुनः धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने अपने अभिभाषण को हिन्दी में रखा है, उसका मैं स्वागत करती हूं।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी का केवल एक ही सदस्य बोल सका है, संख्या के अनुपात से कृपया बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, वह कमी पूरी हो जायगी।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिन से मैं गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर बहस सुन रहा हूं। महामहिम राज्यपाल ने यह बहुत बड़ा कार्य किया कि उन्होंने इस देश की राष्ट्रभाषा में अपना ऐड्रेस पढ़ा और इस महान कार्य के लिये वे मबारकबाद के मुस्तहक हैं। हमारी ६करोड़ से ज्यादा की जनता के हृदय को उन्होंने श्रद्धा से भर दिया है। लेकिन उस ऐड्रेस में कोई चीज ऐसी नहीं पाई गयी कि हमारा प्रदेश उन्नति कर रहा है या जिस समाजवादी राज्य की स्थापना का नाम लिया जाता है उस समाजवाद के नजदीक आ रहा है। आज जो समाजवाद है वह सिर्फ काश्तकारों, किसानों तथा मजदूरों के लिये है और जो प्रदेश के सरमायादार या पूंजीपति हैं उनके लिये आज भी पूंजीवाद है। हर चीज में देख लीजिये जो चीज किसान पैदा करता है उसका भाव गिरता जाता है, और जो चीज मिल मालिक पैदा करता है उसका भाव बढ़ता जाता है। गन्ने की कीमत गिरी लेकिन चीनी की कीमत बढ़ी। मूंगफली की कीमत गिरी लेकिन बनस्पति घी की कीमत बढ़ी। बिनौले कपास की कीमत गिरी लेकिन कपड़े की कीमत बढ़ी। इसी सदन में कई बार यह कहा गया कि अकेले साहू शान्ति प्रसाद जैन को १ करोड़ ४३ लाख रुपये का कर्ज दिया गया जब कि १ करोड़ ४३ लाख रुपये से एक जिले के अन्दर चमन खिल सकता था। ट्यूबवेल बन सकते थे, नहरें खुद सकती थीं, स्कूल और कालेज खुल सकते थे। नाम समाजवाद का लिया जाता है लेकिन सरकार का मकसद पूंजीवाद का है।

इतने दिनों के बाद भी हमारे अन्दर मिलीटरी डिसिप्लिन का भी अनुशासन पैदा नहीं हो सका है। हमारे यूनिवर्सिटी के जीवन में अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है लेकिन महामना राज्यपाल ने एक शब्द इस अनुशासनहीनता के दूर करने के सम्बन्ध में नहीं कहा। यह तब तक रुक भी नहीं सकती जब तक मारेल्स टीचिंग तथा धर्म की शिक्षा न दी जाय, मजहबी तालीम से ही अनुशासनहीनता दूर होगी। जिस बच्चे का भविष्य स्थिर नहीं है, जिसे यह विश्वास नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उसे कोई मुलाजमत मिल सकेगी उसका कैरियर बन सकेगा वह अनुशासन में रह नहीं सकता। बढ़ते हुए इस इनडिसिप्लिन को रोकने का एक ही तरीका है कि मारेल टीचिंग हो, मजहबी तालीम हो और भविष्य बच्चों का स्थिर हो।

माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां सुशोभित हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि यह कोई तारीफ की बात नहीं है जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि एक बच्चे ने १२ साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर लिया और इंटर में दाखिला ले लिया। कानूनन यह बन्द होना चाहिये। कम उम्र में जो बच्चे हाई स्कूल पास कर लेते हैं उनका शारीरिक विकास नहीं हो सकता। झूठी डिग्री या डिप्लोमा के नाम पर उनका जीवन नष्ट किया जाता है। यहीं नरही में एक बच्चा रहता है। उसकी उम्र सात साल की है। वह ५ रुपये माहवार का ट्यूशन पढ़ाता है। मां बाप कहते हैं कि "तू नालायक है। ७ साल की उम्र है तो ७ रुपये माहवार का ट्यूशन पढ़ाना चाहिये।" क्या इस तरह से उस कौम का विकास हो सकता है जहां ७ साल के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने को कहा जाता हो। बी० ए०, एम० ए० पास करके जो बच्चे आते हैं वे अनुशासन की दृष्टि से खोखले होते हैं और अकबर इलाहाबादी के अल्फाज में—

"कालिज में घूम रही है सदा पास--पास की,
ओहदों से सदा आ रही है दूर--दूर की।"

नतीजा यह होता है कि इसी चक्की में वे पिस जाते हैं। शारीरिक, धार्मिक तथा अध्यात्मिक कोई भी विकास उनका नहीं हो पाता। आज जरूरत इस बात की है कि कानूनन कौमी डिसिप्लिन पैदा किया जाय। आज जब कि हमारे देश में चारों तरफ से खतरा हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं क्या किया गया है कौमी डिसिप्लिन के लिये। इसके लिये आपको धारणायें बदलनी होंगी। रहन-सहन, खानपान, आचारविचार बदलने होंगे। इस देश की हिफाजत कोई टेलीफोन नम्बर नहीं है कि आपने हलो कह दिया और टेलीफोन का नम्बर मिल गया। देश के निर्माण के लिये सारे का सारा ढांचा बदलना होगा, बच्चों की तालीम व रहन सहन के अन्दर आमूल चूल परिवर्तन करना होगा।

हमारे सामने दो इंटरनेशनल घटनायें हुईं इसी ७, ८ महीने के अन्दर। लंका के प्रधान मंत्री पर कातिलाना हमला किया गया। वे भगवान् बुद्ध के शिष्य थे। उनको यह तालीम दी गयी थी कि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरी गाल उसके सामने कर दो। जब उन पर हमला हुआ तो वे हरमसरा की तरफ भागे, श्री भंडारनाय किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। He was at a loss what to do. लेकिन कातिल ने अन्दर घुस कर उनको कत्ल किया। इसी तरह इराक के वजीर आजम जनरल कासिम पर भी हमला हुआ। पठान के बच्चे को शिक्षा मिलती है कि शत्रु को मार कर मरो दुश्मन का खून पीकर चैन लो। यह तरबियत उनको दी गई थी। कातिल की गोली से उनका एक बाजू बेकार हो गया तो जो बाजू सही था उससे उन्होंने रिवाल्वर चलाया और हत्यारे का खून किया और इराक के रेडियो पर कहा कि मैं विद्रोहियों से खून का बदला ले सकता हूं। असेम्बली से यह मसले हल नहीं हुआ करते, इसके लिये आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। कोई पार्लियामेंटरी सिस्टम इसके लिये कारगर नहीं हो सकता। मुझे याद है कि बिस्मार्क ने लिखा है कि :

"Not by parliamentary speeches or majority votes are the mighty questions of age solved but it is through a policy of blood and iron."

जब तक हमारे इस देश और प्रदेश के लोगों के लोहे के दिल नहीं होंगे, इस देश की हिफाजत हो नहीं सकती। मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो सौभाग्य से गृह मंत्री भी हैं यह दरख्वास्त करूंगा कि सरकार की पालिसी में शुरू से लेकर आखिर तक तब्दीली की जाय। आज देश को दो चीजों की जरूरत है। एक तो खाने के लिये गेहूं की और दूसरे देश की रक्षा करने के लिये मिलिटरी ताकत की। सरकार की इन दोनों तरफ तवज्जह नहीं है। आज हमारा देश विदेशों से गेहूं लेकर खा रहा है, लगभग बीस अरब रुपये का गेहूं हम विलायत से लेकर खा चुके हैं। आज हमारे देश के नौजवानों को मिलिटरी ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भगवान् न करे, पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला कर बैठे, उनके १८-१८ साल के नौजवान लेफ्ट राइट करते हुए मिलिटरी ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारे १८-१८ साल के नौजवान को अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग दी जाती है। ईश्वर न करे कोई हमला हो जाय तो ये नौजवान खद्दर के थान फेंक कर मारेंगे और तकलियों का प्रदर्शन लड़ाई के मैदान में करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ ५ मिनट मुझे और चाहिये और इस बीच में मुझे जो बातें कहनी हैं मैं कह लूंगा। मैं बहुत लम्बा नहीं जाना चाहता। जो कौम लड़ने वाली है वह कौम आज भी घर से बेघर पड़ी है। लाखों की तादाद में हमारे भाई हैं जो संयासी कहे जाते हैं। वे साहसी राजपूत हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर देश की रक्षा के लिये अपनी जान दे दी थी। आज वे लोग घर से बेघर हो कर पड़े हैं। सरकार ने बड़ी कृपा करके उनको विमुक्त जाति घोषित कर दिया है। उनके भोजन और रहने का कोई इन्तजाम नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि उस संयासी बिरादरी को पथरी के जंगल में बसाया जाय।

दूसरी मेरी दरख्वास्त यह है कि अपोजीशन का जो दर्जा दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है वही इज्जत यहां भी होनी चाहिये। इंगलैन्ड और अमेरिका के अन्दर अपोजीशन लीडर को बाकायदा तनख्वाह मिलती है और उसको वही आनर होती है जो कि वजीरआजम की होती है। लेकिन एक हमारा उत्तर प्रदेश है कि यहां अपोजीशन लीडर के लेक्चर को सी० आई० डी० नोट करती है। सी० आई० डी० नोट करे, हम इससे डरते नहीं हैं। मैं १३ साल की उम्र में नजरबन्द रहा हूं। हमने बृटिश इम्पीरियलिज्म को उखाड़ कर फेंक दिया है। मेरे माता-पिता ने आज नहीं, आज से ५० साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। हम डरते नहीं हैं। लेकिन बात शर्म की सरकार के लिये है और गड़े हम जाते हैं। शामली के अन्दर हमने एलेक्शन जीता और १६ की १६ सीटें हमारे आदमियों के पास हैं। वहां का चेयरमैन एक बहुत सच्चरित सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति है। आज यह कोशिश की जाती है कि उस बोर्ड को सुपरसीड किया जाय। हम यह डंके के चोट पर कहते हैं कि अगर उस ईमानदार आदमी पर और उस

[श्री यशपाल सिंह]

बोर्ड पर सरकार की वक्र दृष्टि गयी या उनके विरुद्ध जाली केस बनाए गए तो हमारे लाखों आदमी होंगे, उनके सीने होंगे और इस कांग्रेस सरकार की गोलियां होंगी। हम यह कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे कि जो सौ फीसदी सीटें जीत कर आये हैं उनको बदनाम करके वहां के बोर्ड को सुपरसीड करने की कोशिश की जाय। मेरी दरख्वास्त आप से यह है कि हमें मौका दीजिये कि हम आगे बढ़ सकें। आप इस देश की शिक्षा को और उसके ढांचे को बदलिये। जहां बारा-होती के पास खतरा है वहां इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि ये टोपियां उड़ जायंगी। वहां ये धोतियां उलझ जायंगी। वहां ये आराम तलब लोग खड़े नहीं रह सकेंगे।

मेरा निवेदन है कि प्रदेश का निर्माण कीजिये और मिलिटरी ट्रेनिंग दीजिये।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं इसलिये इसका समर्थन करता हूं कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने सारी बातें कह दी हैं। वह सार्वजनिक बातें हैं और उनमें प्रदेश की तरक्की के कार्यक्रम का चित्र चित्रित है। इन तमाम बातों में एक सच्चाई है और इस राज्य ने जो तरक्की की है उसका भी जिक्र किया गया है। उन्होंने सरकार के कामों से संतोष प्रकट किया है और सरकार ने प्रदेश की तरक्की के लिये बहुत से कार्य किये हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सरकार के कार्य-क्रम में कोई भी संशय नहीं हो सकता है कि सरकार ने प्रदेश की तरक्की नहीं की। ऐसी हालत में सरकार के पास प्रदेश की हुकूमत की बागडोर आई जबकि स्थिति बहुत नाजुक थी और बहुत दिनों तक देश के परतंत्र रहने के कारण लोगों में दूषण आ गये थे और हमारे यहां असमानता तथा नाना प्रकार की खराबियां फैली हुई थीं। उन खराबियों को दूर करने का श्रेय इसी सरकार को है। इसने १२-१३ साल की थोड़ी अवधि में बहुत से काम करके दिखाये हैं और कर रही है। इसकी योजनायें एक से एक बढ़ कर हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य हुये हैं, उनको यदि निष्पक्षता से देखा जाय तो हम क्या शिक्षा, क्या उद्योग यानी हर बात में आगे बढ़े हैं।

इसके अलावा आज यह कहा जाता है कि हम कृषि में पीछे हैं। यह मानने योग्य बात नहीं है। सिंचाई का क्षेत्र भी पहले से बहुत बढ़ गया है। आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको भलीभांति साबित कर दिया है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इतने थोड़े समय में इतनी तरक्की की हो। कोई उदाहरण इसका नहीं दिया जा सकता है। यह बात दूसरी है कि जरा देर के लिये यह कहा जाय कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया और छोटी-छोटी बातें लेकर आलोचना और समालोचना करना मामूली सी बात है और काम करना बड़ी भारी बात है।

विरोध पक्ष से यह कहा जाता है और ऐसे शब्द प्रयोग किये जाते हैं कि यह सरकार निकम्मी है यह बात कहने योग्य नहीं है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपकी अगर सरकार हो और आपका प्रयत्न सफल हो तो यह जो बीज आप बो रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर भी यही कहा जायगा। अपनी भलाई करने वालों के साथ यह जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या इससे और अच्छी सरकार बनने की आशा है? मुझे तो यह आशा नहीं है क्योंकि हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि यह जो खराबियां हैं यह आज की नहीं हैं बहुत दिनों से हैं। इस देश के अन्दर हरिजन अछूत बनाये गये। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इसी प्रकार कई बातें इस देश में बिगड़ी हुई हैं। उनको सम्हालने के लिये, जब शासन की बागडोर हमारे हाथ में आयी तो जिन बातों से हमारे अन्दर खराबियां आ रही थीं, कमजोरियां आ रही थीं, दरारें पड़ रही थीं, उन दरारों का इलाज किया। उन हरिजनों को अपने में लेने

का प्रयत्न किया। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उससे वह इस देश के, इस राष्ट्र के शत्रु बनने के लिये तैयार थे और अब भी ऐसी भावना उनके अन्दर है जिसको ठीक करना आवश्यक है। तो सरकार ने सबसे पहला इलाज उसका यह किया कि सामाजिक असमर्थता कानून बनाया। उनके साथ समानता का व्यवहार शुरू हुआ। यह पुराना बीज जो बोया हुआ था उससे जो खराबी आ गई थी उसको बहुत अंशों में निकाल दिया गया है और बहुत से अंशों में अभी निकालना बाकी है। अभी भी हमारा काम बहुत बाकी है क्योंकि यह नहीं हो सकता कि हजारों वर्षों से जो खराबियां आकर जमा हो गई थीं उनको एक दम से दूर कर दिया जाय।

बेकारी के लिये यह कहा जा रहा है--बेकारी का बहुत-सा सवाल तय हो चुका और बहुत-सा अभी तय करना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब का सब मामला तय हो गया है। अभी बहुत कुछ करना है। राज्यपाल महोदय ने भी यह कहा है--जितना काम सरकार ने किया उससे सन्तोष प्रकट करते हुये यह कहा कि आगे के लिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और वह हमको और आपको सबको मिलकर करना है। केवल आलोचना और समालोचना से कोई काम नहीं हो सकता। इसलिये मेरा सुझाव यही है कि यह देश के सुधार का काम कोई मामूली काम नहीं है, इसमें सबका सहयोग होना अनिवार्य है, तभी यह काम हो सकता है।

अन्त में मुझे यही कहना है कि यह जो प्रस्ताव इस वक्त में पेश है वर्मा जी का, उसकी मैं हृदय से ताईद करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। महामान्य राज्यपाल को धन्यवाद दिया जावे और आगे जो काम करने हैं उनको करने के लिये हम सब मिलकर कोशिश करें, तभी हम सफल हो सकते हैं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--मान्यवर, महामान्य राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जो प्रस्तुत हुआ उनकी ओर से, उसमें नीति कांग्रेसी मंत्रिमंडल की है और अभिभाषण राज्यपाल महोदय का है। उस अभिभाषण के सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कई विरोधी पक्ष के सदस्यों ने उस पिछले ४,५ वर्षों के अभिभाषण को प्रोग्रेस रिपोर्ट करके कहा है। मैं यह समझता हूं कि यदि यह बात होती तब भी कम से कम कुछ संतोष होता किन्तु मुझे यह बात कहते हुये और यह बात महसूस करते हुये बड़ा खेद होता है कि पिछले ५,७ वर्षों में, जो अरबों रुपया इस प्रदेश के विकास के लिये मंत्रिमंडल की ओर से और सरकार की ओर से खर्च किया गया है, उसका कुछ भी प्रभाव आर्थिक जीवन पर और प्रदेश की प्रगति पर नहीं पड़ा है। आमतौर पर आज से ५,७ वर्ष पहले से जब से पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई उनमें अर्थात् पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी मंत्रिमंडल ने यह दावा किया था कि हम इस प्रदेश की कृषि समस्या का समाधान करेंगे और अन्न की स्थिति में इस प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि तैयार करते हुये राज्यपाल महोदय ने जो उस सम्बन्ध में बातें कही हैं उनमें भी यह दावा किया गया है कि कृषि का विकास किया जायगा और औद्योगिक विकास की नींव रखी जायगी। यानी पूरे १५ वर्ष के उपरान्त भी यह प्रदेश आर्थिक और औद्योगिक विकास की दृष्टि से केवल नींव भर रख रहा है और विकास के लिये जो आर्थिक पिछड़ापन है वह ज्यों का त्यों बना रहेगा।

मैं आपकी सेवा में यह तथ्य अपनी बातों में सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के द्वारा ही प्रस्तुत करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर सन् १९५३ से लेकर सन् १९५९ तक यानी आज से एक वर्ष पहले तक अन्न के उत्पादन पर सब से ज्यादा जोर इस सरकार की ओर से लगाया गया। सन् १९५३ में ९,६८५ हजार टन पैदा होता था। वही सन् १९५४ में आकर १०,४९२ हुआ। सन् १९५५ में आकर वह ११,१७८ हुआ। सन् १९५६ में वह ९,९२९ टन हुआ। सन् १९५७ में १०,१६७ हुआ, सन् १९५८ में ९,८९७ हुआ और सन् १९५९ में आकर वह ११,३६० हो गया। इन वर्षों में हमारे प्रदेश का इतना उत्पादन हुआ। इतने दिनों तक ७ वर्षों में जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

हम अन्न की दृष्टि से इस प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की कोशिश करते रहे वहां पिछले इन ७ वर्षों में यह रिकार्ड हमारे सामने मौजूद है, किसी प्रकार से भी अन्न की दृष्टि में यह प्रदेश अरबों रुपया खर्च करके भी आत्मनिर्भर नहीं हो सका। कृषि का विकास ज्यों का त्यों है। जहां पर हम ७ वर्ष पहले थे करीब-करीब वहीं पर आज भी हैं।

इसी दृष्टि से अगर प्रति व्यक्ति की आय को देखा जाय तो सन् १९५३ में जहां प्रति व्यक्ति की आय २५९ रुपया थी वहां सन् १९५९ में भी २५९ रुपया ही रही। सन् १९५३ में वह आय २५९ रुपया थी। सन् १९५४ में २५७ रुपये हुई। सन् १९५५ में २६९ हुई। सन् १९५६ में वह २६५ हुई। सन् १९५७ में २५८ हुई। सन् १९५८ में २५८ हुई और पिछले साल सन् १९५९ में वही २५९ रुपये आमदनी रही। जहां पर हम ७ वर्ष पहले थे वहीं पर आज भी हैं। इसी तरह से अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रति व्यक्ति की आमदनी को देखा जाय तो उसमें यह गिरावट और भी बढ़ गई है। सन् १९५३ में ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की आमदनी १९४ रुपये थी। सन् १९५४ में १९७ रुपये हुई। सन् १९५५ में वह २१० हुई। सन् १९५६ में वह १८९ हुई। सन् १९५७ में वह १९४ हो गई। सन् १९५८ में वह १८३ हुई और सन् १९५९ में आकर वह १९३ रुपये ही रह गई।

इसी दृष्टि से औद्योगिक पैदावार है और उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी संख्या को देखा जाय। इस औद्योगिक क्षेत्र में भी कृषि की तरह से अरबों रुपया खर्च करने के बाद हम उसी जगह पर खड़े हैं। इससे अधिक और क्या किसी सरकार की विफलता हो सकती है और उसके ऊपर राज्यपाल महोदय ने एक भी शब्द नहीं कहा है यानी मंत्रिमंडल की विफलताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख न करके आगे बढ़ने के विषय में कुछ नहीं कहा है। मैं सिवाय इसके क्या कहूं कि प्रदेश की जनता को धोखे में रखा और इस सदन को गलतफहमी में रखा। इसके सिवाय दूसरा उद्देश्य इस सरकार का नहीं हो सका।

इसी तरह मैं आप के जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक साधनों के विकास के लिये १०,२० साल पहले कुछ काम हुआ था, वह आज ज्यों का त्यों है या खत्म होने जा रहा है और उसको बढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं विशेषतौर पर मेरठ और मुजफ्फरनगर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि जो एरिया था उसमें लगातार कमी होती जा रही है। और इस साल तो यह बात बिलकुल स्पष्ट है सरकारी सूत्रों से भी कि इन तीन चार जिलों में, चाहे वह नलकूप की सिंचाई हो अथवा नहरों की, वह कम हुई है और उसका परिणाम यह होगा कि उनकी पैदावार में कमी होगी।

इसके अलावा कृषि के सुधार के लिये आपने कृषि में सहकारी नीति को अपनाया और उस के लिये इतना ढोल पीटा कि उस सहकारी खेती के खिलाफ तमाम शक्तियां इकट्ठी हो गयीं और सरकार उस नीति को खत्म करके अपने प्रति विश्वासघात कर रही है। उसने इस नीति के बारे में जो दावे किये हैं वे खोखले साबित हो रहे हैं और जब तक वह प्रोग्राम ठीक से अख्तियार नहीं किया जायगा तब तक इस देश की व्यवस्था में उन्नति नहीं हो सकती और ऐसा न होने से यह आर्थिक सारे और सारे प्रोग्राम नष्ट-भ्रष्ट होते चले जायेंगे।

इसी तरह से चकबंदी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। चकबंदी के पुराने ऐक्ट में काफी त्रुटियां थीं और नया ऐक्ट आने के बाद उनमें काफी सुधार हुआ है। समय कम है इसलिये मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चकबंदी के बारे में समय-समय पर जो विवाद होता रहा है उसकी तरफ वह ध्यान दे और उसे ध्यान में रख कर इस नये कानून में वह आवश्यक सुधार करे। दो या ढाई एकड़ वाले किसानों का लगान माफ किया जाय यह बात बार-बार यहां कही गयी, लेकिन सरकार ने बार-बार उसको ठुकराया है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा गया। यह ठीक है कि इस बार नीचे वर्ग के कर्मचारियों की तनख्वाह में ५ रुपये की वृद्धि की गयी है, लेकिन सेंट्रल के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उसे जिस तरह से कुचला गया है और उसे कुचलने के लिये जो वार लाइक प्रेवरेशन्स की गयी थीं वह किसी प्रकार भी सराह-

नोय नहीं है और यह ५ रुपये की तरक्की किसी प्रकार भी हमारे कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती और इस बात को सरकार को लाजमी तौर पर स्वीकार करना होगा ।

इसी प्रकार जिला पंचायतों और नगरमहापालिकाओं के बारे में जो कानून पास हुये थे उन पर विवाद के समय सारे सदन ने कहा था कि अधिकारियों के हाथों में इन जनता की संस्थाओं को सौंपने की कोशिश की जा रही है । नगरमहापालिकाओं का अनुभव लोगों को हो चुका है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कठपुतली बना दिये गये हैं और सारी ताकत अधिकारियों के हाथ में दे दी गयी है । जहां तक अन्तरिम परिषदों का सम्बन्ध है, सम्मानित प्रतिनिधियों ने तो उनमें जाना बन्द कर दिया है और सारी शक्ति नौकरशाही के हाथ में वहां भी है । यही हाल पंचायतों का है । जहां विरोधी पक्ष के प्रतिनिधि चुन कर इन संस्थाओं में गये हैं उनके साथ पक्षपात का व्यवहार किया जाता है । अभी-अभी एक माननीय सदस्य शामली के बारे में कह रहे थे और वह बात अपनी जगह पर सही है । वहां १६ सदस्यों में एक भी कांग्रेस पार्टी का नहीं चुना जा सका और इसलिये उसे डिजाल्व करने के लिये साजिशें रची जा रही हैं । यह निन्दनीय बात है । मैं यह जरूर कहूंगा कि जो हमारे प्रादेशिक सरकार के मंत्री हैं उन्होंने कभी ऐसे सदस्यों की बातों को प्रोत्साहन नहीं दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी विरोधी पक्ष के निर्वाचित सदस्य हैं उनके साथ पक्षपात नहीं किया जायगा, लेकिन अगर पक्षपात किया जायगा तो जनता उसका विरोध करेगी ।

इसी तरह मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । जहां तक पुलिस के व्यवहार का सम्बन्ध है, प्रशासन में शिथिलता है । डकैतियों को चोरी बना कर लिखा जाता है और चोरी की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है । आई० जी०, डी० आई० जी० तथा अन्य अधिकारियों की तरफ से यह हिदायतें दी जाती हैं कि अपराधों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिये । होता क्या है ? वे अपराधों की संख्या अपराधों को रोक कर कम नहीं करते, वे उनकी संख्या उनको छिपा कर कम करते हैं । उन आदेशों की पूर्ति वे अपराधों को छिपा कर करते हैं । मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले करीब १०–१२ वर्षों में अरबों रुपया खर्च करके भी इस प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिये जो साधन जुटाने चाहिये थे वह हम नहीं जुटा पाये हैं और न ही हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाये हैं । इसके लिये जब तक यह सदन निश्चित रूप से कोई आदेश नहीं देता, तब तक मैं समझता हूं कि जनता के अपार साधनों का दुरुपयोग ही होता रहेगा और उससे देश का कोई लाभ होने वाला नहीं । इन शब्दों के साथ मैं आपको, जो आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

***श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण हिन्दी में दिया उसके लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं । भारतवर्ष में सांस्कृतिक एकता का उन्होंने प्रमाण दिया है और जिसे वे बनाना चाहते हैं उसके लिये वे अवश्य काबिले तारीफ हैं । दूसरी बात यह है कि उन्होंने भारतवर्ष की परिस्थितियों का जो गहन अध्ययन किया है उसके लिये भी वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

आज हमें भारतवर्ष को केवल भारतवर्ष के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना है, बल्कि जो हमारे सामने इण्टरनेशनल परिस्थितियां हैं उनको भी देखना है । जो आदमी समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आगे चलने को तैयार नहीं है, हम उसकी पुकार कतई सुनने को तैयार नहीं हैं, भगवान भी उनकी पुकार नहीं सुनेगा । जो हमारे बड़े-बड़े नेता हैं, मुमकिन है, उन्हें अपनी ताकत और बुद्धि पर भरोसा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी बुद्धि और मुल्क की परिस्थितियों में आज कितनी विषमता है । इसलिये आज हमें दूसरे दृष्टिकोण से मुल्क की परिस्थितियों पर विचार करना होगा । जो हमारी प्रणाली रही है हमें उसे गुड-बाई करना चाहिये । हमको अपनी आज की बदली हुई परिस्थितियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

को देखना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि हमारा देश कितना शक्तिशाली बनने जा रहा है। हमारे जितने साधन उत्पादन के और विकास के हैं हमें देखना चाहिये कि उनका हमने कहां तक उपयोग किया है। मैं मानता हूं कि यह साधन कम हैं, लेकिन जो अन्य देशों से साधन हमें उपलब्ध हुये उसे लेकर और जो हमारे पास थे, उन दोनों को मिला कर अगर देखा जाय तो वे बहुत काफी साधन हो जाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सब काफी साधन इस मुल्क में बिखेरे गये हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस सब के लिये आपको आंखें खोल कर देखना पड़ेगा। अगर आपको मुल्क की हालत को देखना है तो उसके लिये आपको किताबों को नहीं देखना होगा, किताबों में दिये हुये आंकड़ों को नहीं देखना होगा, उसके लिये तो आपको मुल्क की हालत को देखना होगा, वहां के लोगों की हालत को देखना होगा। अगर मानवता के विकास को देखना है तो वह आपको उनके घरों में जाकर देखने से मिलेगा, किताबों में नहीं।

मैं यह अवश्य जानता हूं कि हमारे मुल्क का विकास हुआ है। परन्तु जिन मदों पर हमने खर्चे किये हैं जब उनको देखते हैं तो जो अकल का अन्धा हो, दिमाग न रखता हो वह समझ सकता है कि जितना हमने खर्च किया उसकी उपलब्धियां विकास के रूप में कितनी हुई हैं। वह बहुत कम हुई हैं, इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। जो आज भी उसे देखने के लिये तैयार नहीं है, मैं समझता हूं कि उसके लिये क्या कहा जाय सिवाय इसके कि मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं। मुल्क को आंकड़े से जो आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके ऊपर ३६ करोड़ भारत के इनसानों की जिम्मेदारी है वह व्यक्ति जिम्मेदारी से बात न करे तो मैं समझता हूं कि उसको हिन्दुस्तान के अन्दर रहने का अधिकार नहीं है, बेहतर है कि वह मुल्क को छोड़ कर बाहर चला जाय, यह अच्छा है।

हमको यह देखना होगा कि हमारी दुनिया में आज बड़ा भारी कम्पीटीशन है, वादों का कम्पेटीशन है। आप समाजवाद चाहते हैं, आप एकतंत्रवाद चाहते हैं, आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं और इसी प्रकार से अलग अलग वाद एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। दुनियां के देशों में शासन प्रणालियां एक दूसरे से मुख्तलिफ चलती हैं और हर एक देश का जीवन विकास की सीढ़ियों पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन हम जम्हूरियत के गीत इसलिये गायें कि उसके अन्दर स्वतंत्रता सबको है तो यह देश के साथ गद्दारी होगी। हम लोगों को काम से स्वतंत्र कर देते हैं। इस देश के लोग आराम तलब बहुत हो गये। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि हमारे नेताओं को आज की बदलती हुई परिस्थितियों में इस पर विचार करना होगा कि इस देश के कांस्टीट्यूशन में बहुत जल्दी तबदीली हो। अगर आपने यह नहीं किया तो न आप होंगे और न आपका कांस्टीट्यूशन होगा, यह हम आपको बता देना चाहते हैं। आज की परिस्थितियां हमको इसके लिये मजबूर करती हैं कि हमारे देशवासियों को, नौजवानों को काम से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिये। हम समझते हैं कि भाषण देने से हमने मुल्क का काम कर दिया। कान्स्टीटुयेंसी में दौरा करके हमने उसकी दशा बदल दी और आपके गेहूं के खेत लहलहा उठेंगे यह जादू किसी कौम ने किसी देश में नहीं किया। बिना काम किये किसी देश ने कभी तरक्की की है, इसका साक्ष्य कोई नहीं दे सकता। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं। अपने छापेखानों पर, अपनी कलम पर और अपने कागजों पर विश्वास करते हैं कि उनके जरिये इतनी तरक्की हो गयी तो मुझे खेद होगा यह कहते हुये कि आपने अपने मुल्क के विकास को ठीक ढंग से स्टडी करने की न कोशिश की है न देखने की कोशिश की है।

दूसरी बात यह कि आज १२ वर्ष हमारे विकास के होने जा रहे हैं परन्तु इसका मुझे बड़ा खेद है, मैं आज भी इस ओर अपने देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने जो स्कीम इस देश के ऊपर चालू की हैं, विकास की जितनी स्कीमें जनता के ऊपर थोपी हैं वह बिलकुल फ्रूटाइल नहीं हैं, वह निकम्मी रही हैं, अनसक्सेसफुल रही हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी आंखें देखने के लिए हों इंसानियत की आंखें न हों तो इसके लिए मैं किसी को दोष दे नहीं सकता। अगर प्रकृति ने वह आंखें दी हैं जो कि इंसानों की न हों तो

दुनियां का दूसरा नकशा, या हिन्दुस्तान का दूसरा नकशा दीख सकता है। आप इस देश के ऊपर ऐसी स्कीमें थोपना चाहते हैं जैसे कि रुद्रपुर की रूरल यूनिवर्सिटी की है। आज नहीं, उस रोज भी हमने कहा था कि इस प्रकार की जितनी स्कीमें आपने विदेशों से उधार खाते में ले रखी हैं वह अवश्य फेल होंगी, सक्सेसफुल हो नहीं सकतीं। हमारे समाज का वातावरण, वे आफ थिंकिंग, सभ्यता और संस्कृति, हमारी आदत, तौर तरीके और सारा समाज उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार से आप अपनी स्कीमों को पनपाना चाहते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि अगर आप विकास करना चाहते हैं तो कांस्टीट्यूशन में तबदीली करनी होगी, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपको लोगों से जबरदस्ती काम लेना होगा। किसी आजाद मुल्क की स्वतंत्रता क्या इसी प्रकार की होती है जिससे देश तबाह होता चला जाय। आज सरकारी नौकर चाय और काफी हाउसेज की तरफ मंडराया करते हैं। हमारी जो कमियां हैं उनको हम छिपा नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण के स्वागत में जो प्रस्ताव आया है, बड़े दुख के साथ उसका मुझे विरोध करना पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि इस सदन के हर समझदार आदमी को उसका विरोध करना चाहिये। मैं क्यों विरोध करना चाहता हूं उसकी बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, केवल मैं मोटी बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय राज्यपाल के भाषण से मुझको लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राज्यपाल में बड़ा गहरा मतभेद है। यह मैं इस बात से सिद्ध करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल का जब भाषण हुआ उसके केवल ५-६ दिन पूर्व ही माननीय मुख्य मंत्री ने पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने इतना महत्वपूर्ण भाषण दिया जितना महत्वपूर्ण भाषण उनके मुख्यमंत्रित्व-काल में आज तक कभी भी नहीं सुना गया, लेकिन उसका कोई जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में नहीं किया। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण भाषण का, जो कि सरकार के जीवन और सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्व रखता है, का कोई जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में क्यों नहीं किया। माननीय राज्यपाल का यह भाषण ऐसे वक्त पर हुआ जब कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त होने जा रही हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है। तो जब एक ऐसा भाषण नीति के सम्बन्ध में होता है, मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्य मंत्री का वह भाषण इस प्रदेश की नीति निर्धारण के लिये कुछ मददगार होगा या नहीं होगा, पंचवर्षीय योजनाओं में उसका कुछ स्थान होगा या नहीं होगा, लेकिन देश की एकोनामी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्यपाल के मुंह से मालूम नहीं कितनी व्यर्थ की बातें कहलवाईं और जो जरूरत की बात थी उसको कहलवाने में कोताही की, उसको छिपाया। जानबूझ कर छिपाया या अनजान में ऐसा हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों ही तरह से यह बात आपत्तिजनक है।

दूसरी तरफ मैंने इस बात को भी बड़ी हैरत की निगाह से देखा जब उन्होंने कहा कि जब देश पर बादल मंडरा रहे हों तो जातीयता और बहुत-सी चीजों से ऊपर हमको उठना चाहिये। वह बादल क्या हैं, यह उन्होंने बतलाने की कृपा नहीं की। इसका केवल संकेत ही नहीं बल्कि स्पष्ट कहा जाना चाहिये था कि हमारे देश की उत्तरी सीमा पर एक बड़ी दुर्घटना घटी है। उस दुर्घटना के लिये सारे देश को आह्वान करना चाहिये और कहना चाहिये कि उसका सामना करने के लिये प्राणापण से जुटो। इन बातों को भाषण से बचाया जाना मैं ऐसा समझता हूं कि इस भाषण में ज्यादा विचार करने लायक फिर कोई चीज नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

श्रीमन्, मुझे शिकायत इस वजह से भी रही है अपने राज्यपाल जी से कि उन्होंने जिन व्यक्तियों की चर्चा की है कि उनके कार्यकाल में यह प्रदेश बहुत फूला-फला है, तो पन्तजी तो इस समय यहां मौजूद नहीं हैं । वह हैं भारत सरकार के गृह मंत्री । लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी कहते है कि नहीं, हम फूले-फले नहीं हैं, पिछले १० वर्षों के शासन में जहां थे वहीं रह गये । अगर कुछ बच्चे ज्यादा पैदा हो गये, तो यह शिकायत उनको जरूर है कि इसलिये हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी । लेकिन, श्रीमन्, आप कभी बैठकर मुख्य मंत्री को यह तो समझा देते कि प्लानिंग कमीशन ने जन-संख्या की वृद्धि को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आय के बढ़ने का स्वप्न देखा है और उत्तर प्रदेश में उससे अधिक संख्या नहीं बढ़ी है । संसार के कुछ ऐसे देश हैं कि जिनकी संख्या हमसे ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वे बड़ी तेजी से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ रहे हैं । सन् १९४८-४९ में २७६.४ रुपये हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति की आमदनी थी । ५८-५९ में २९३ रुपये है । नहीं, मैं गलत कह गया । २७६.४ की सन् १९५८-५९ में अब हो गई वह हमारी २५९ । २७६ से २५९ हुई । तो इसमें गवर्नर साहब ने कैसे कहा कि पन्त जी के कार्यकाल में और डाक्टर सम्पूर्णानन्द के कार्यकाल में हमारा प्रदेश फला-फूला है ? फलना-फूलना उसको तो नहीं कहेंगे कि सन्तान न हो और उसके बाद हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़े । कोई आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके औलाद होना बन्द हो जाय, लेकिन उसे ४ पैसे ज्यादा मिल जावें । कोई आदमी लाऔलाद मरना पसन्द नहीं करेगा और धर्म-प्रधान तो गया में पिन्डदान देने के लिये बिना औलाद मरना पसन्द ही नहीं करेगा ।

श्रीमन्, दो एक बातें और कहना चाहता हूं । सरकार की बुद्धि पर हमको भरोसा कुछ कम हो गया है । इसलिये कि वह अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानने में ठीक विवेक से काम नहीं ले रही है । उसके दोस्त जो आजकल देश को गहरे गढ़े में ले जाने वाले हैं वे हैं और उसके बनाने वाले जो यहां हैं वे सरकार की निगाह में नहीं हैं । हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस बात की चर्चा क्यों नहीं राज्यपाल जी के भाषण में कराई गई कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा क्या होगी और क्या उसमें भीख मांगने वालों के लिये कुछ उपाय किया जायगा या देश में रहनेवालों के लिये विषमता दूर करने के लिये कुछ किया जायगा या नहीं जिसके लिये डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ़ स्टेट पालिसी भी कहता है । तो सरकार का साथ दोस्तों से छूटकर दुश्मनों के साथ हुआ है । अगर कोई यह कहे कि सरकार ग़लती कर रही है तो उसके लिये वह घर में से घराऊ डंडा निकाल कर उसका सिर तोड़ने के लिये तैयार हो जाती है । भारत सरकार के कर्मचारियों ने यह कह दिया कि विषमता दूर करने के लिये हम १५ वें सम्मेलन के मुताबिक अपनी मांग करते हैं और अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की गयी तो हम हड़ताल करेंगे । इस पन्द्रहवें सम्मेलन में सरकार, एम्प्लायर और एम्प्लाई के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था कि हर एक आदमी की आमदनी १२५ रुपया कम से कम मानी जायगी । उन्होंने कहा कि अगर वह हमें नहीं मिलेगी तो हम हड़ताल करेंगे । उसके बाद सरकार ने एक भी कदम उठा नहीं रखा जो कुछ उसको इसके विरुद्ध करना था । हम चाहते थे कि उसमें सरकार हारे । लेकिन यहां तो जनतंत्र हार रहा है और जीत रहे हैं डंडे वाले, पीटने वाले, और जेलखाने भेजने वाले । क्या इसी प्रकार से उस जनतंत्र को मजबूत किया जा रहा है जिस पर आप बैठे हुए हैं ?

मैंने सेण्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा । उसमें जो बड़े पूंजीवादी मुल्क हैं उनके आंकड़े इकट्ठे किये हुए हैं । उसमें बताया गया है कि भिन्न-भिन्न देशों में आमदनी की कितनी विषमता है । मैं इस समय किसी सोशलिस्ट कन्ट्री की बात नहीं करना चाहता । मैं पूंजीवादी देशों का ही उदाहरण देना चाहता हूं और ऐसे देशों का जिनमें महात्मा गांधी जैसा महापुरुष भी पैदा नहीं हुआ । उस रिपोर्ट के ८१ वें पेज पर यह दिया हुआ है । अमेरिका में विषमता का रेशियो १:५ है, कनाडा में १:६, आस्ट्रेलिया में १: १३.६ और जापान में १ : ४.७ । अब भारत को देखा जाय । यहां की हालत बहुत खराब है । निचली श्रेणी के असेम्बली के मेंबरों को और मिनिस्टरों को ही देख लिया जाय । मिनिस्टर लोग हम लोगों की बिरादरी के न सही तो उनके पीछे बैठने वालों और राजबिहारी जी की बिरादरी के तो हैं । उनमें देख लिया जाय

कितना अंतर है । राजबिहारी जी को अन्दर-अन्दर कुछ दे देते हों तो बात दूसरी है । अब आगे चलिये । नीची श्रेणी का जो आदमी है उसको ८ रुपया मिलता है जो गांव का एक गरीब आदमी है और सबसे ऊपर जो है उसको १० हजार रुपया मिलता है । अब यह कितना फर्क हो गया इसका हिसाब लगाकर देख लें । मुझे खुशी है कि रशा से लौटकर हमारे राष्ट्रपति ने अपनी तनख्वाह ढाई हजार कर ली है और साढ़े सात हजार छोड़ दिये हैं । हो सकता है यंसाली साहब के अनशन से उन्होंने ऐसा किया हो । लेकिन जब हम कहें कि इस विषमता को दूर कीजिये तो हम पर प्रहार होता है । मैं कहता हूं कि हम पर और कहीं से हमला नहीं होगा, अगर होगा तो वह विषमता से ही होगा । वैसे हमारे देश का मारल इतना ऊँचा है कि उसको कोई भी हथियार वाला आदमी नहीं जीत सकता । परन्तु उसके लिये हथियार भी चाहिये । लेकिन किसान को आपने निहत्था कर दिया है । जिसके ऊपर यह सरकार बैठी हुई है उस सरकार के ऊपर इसका भरोसा है नहीं । श्रीमन्, आपको याद होगा कि हम लोगों ने हमेशा यह नारा लगाया कि गांव वालों को हथियार तो रखने दें । आज देश के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा गवर्नर महोदय ने कहा है, लेकिन हमसे कहा जाता है कि तुम अपने हाथों में ढेलवांस ले लो और ऊपर से कोई बम गिराने लगे तो उसे ढेलवांस से मार कर गिरा दो । क्या आप समझते हैं कि इस तरह से देश का काम चल सकता है ? हम कहते हैं कि गांव के जो किसान हैं, जो देहात के लोग हैं उनको हथियार रखने दें, लेकिन बिना लाइसेंस के वे बन्दूक नहीं रख सकते । जहां तक लाइसेंस की बात है, यह पूछा जाय कि सूबे भर के गांव के कितने लोगों के पास लाइसेंस हैं ।

एक बात मैं सरकार से जरूर कहना चाहता हूं कि वह सब कुछ करे लेकिन एक काम मत करे---इस देश की प्रजातंत्र की बुनियाद को मत खोदे । उस वक्त प्रजातंत्र की बुनियाद खुद जायगी जिस वक्त आन्दोलन की भावना मर जायगी हम लोगों में । अगर इस देश में प्रतिरोध करने की ताकत नहीं रही तो इस देश में प्रजातंत्र मर जायगा । यह निश्चित है कि यह सरकार प्रतिरोध करने वालों और सरकार का विरोध करने वालों को यह नहीं समझती कि दो तरह के विरोधी होते हैं । एक विरोधी तो वह होता है जो सचमुच राष्ट्र विरोधी हो और दूसरा सरकार का विरोधी होता है । लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री को हमें भी राष्ट्र विरोधी कहने में कोई संकोच नहीं लगा । जिस वक्त मैं समझता हूं कि हमारे जैसे लाखों आदमी हैं जिनको देश द्रोही कहा जाता है उस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर इस देश के गरीबों की वकालत करने पर, इस देश से विषमता दूर करने की बात करने पर, इस देश से भूखमरी दूर करने की बात करने पर, इस देश से इन सारी चीजों को करने के लिये पसीना बहाने पर और सचमुच देशभक्ति का काम करने पर और वह भी रात को नहीं बल्कि दिन में बहादुरी के साथ काम करने पर भी हमें देशद्रोही कहा जाय तो मैं जरूर आपके सामने देशद्रोही हूं । ऐसी देशद्रोहिता से अगर इस देश में प्रजातंत्र जिन्दा रहे और अगर इस सरकार को भी जिन्दगी मिलती है तो वह जिन्दा रहे, इसमें कोई एतराज नहीं है ।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हमारे समक्ष हिन्दी में भाषण दिया जिसकी सब ओर से प्रशंसा की गयी और इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत बतलायी गयी । सम्भव है कि पिछले दिनों हिन्दी में भाषण नहीं हुए थे और उसके बाद यह भाषण हुआ, इसकी वजह से इसकी विशेष प्रशंसा की गयी हो । हिन्दी में भाषण करने की तारीफ की गयी । मैं भी उसमें अपने को सम्मिलित करता हूं और मैं समझता हूं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसमें भाषण करना हमारे लिये अत्यन्त गौरव की बात है । आज हमारे प्रदेश में जो-जो समस्यायें व्याप्त हैं उन सारी समस्याओं को हल करने के लिये सरकार की ओर से चौतरफा प्रयास जारी है । हर दिशा में आज भी हमारी ओर से प्रयास हो रहा है । इन प्रयासों का बड़े ही अच्छे तरीके से गवर्नर महोदय ने जिक्र अपने भाषण में किया । कोई भी ऐसी बात मेरी समझ से सरकार की ओर से होने वाली नहीं दिखाई पड़ी जिसका जिक्र कि उस भाषण में न किया गया हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है उस विषय में जो-जो कार्यवाहियां सरकार की तरफ से हो रही हैं उनका भी जिक्र किया गया । शिक्षा का कितना प्रसार हुआ है और किस किस तरह से उसका आगे प्रसार करने की चेष्टा की जा रही है इस ओर उनके भाषण में संकेत मिला । अधिक अन्न उत्पादन करके लोगों की अन्न की समस्या को हल करने के लिये क्या प्रयास हुआ है और हम उसमें कहां तक कामयाब हुये हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिये हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या तरकीबें सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इसकी ओर भी हमको इसमें संकेत मिलता है । हमारी कपड़े की समस्या जो एक बड़ी अहम समस्या है उसको हल करने में हम कहां तक कामयाब हुये हैं और जो दिक्कतें बीच बीच में आती रही हैं उनको दूर करने का हमने क्या प्रयास किया और आगे हम क्या क्या प्रयास करने जा रहे हैं उसका भी जिक्र इस भाषण में है ।

साथ ही साथ जो नया सहकारी आन्दोलन हमारे यहां आरम्भ हुआ है, राज्य के उत्थान के लिये जिसको सब दलों के लोगों ने उपयोगी माना है, कतिपय दलों को छोड़कर, उसको लेकर यह सरकार कितना आगे बढ़ी है उसकी क्या-क्या अभी मंजिल और लक्ष्य है इन तमाम बातों का इस भाषण में जिक्र किया गया है । हमारी जानमाल की रक्षा के लिये पुलिस के साथ जनता का कितना सहयोग हमें मिल पा रहा है, जनता का सहयोग हम किस तरह से लेने की चेष्टा कर रहे हैं, कितनी इसमें कामयाबी हुई है इस विषय में भी हमें इस भाषण में संकेत मिलता है । लेकिन इस बात की खिल्लियां भी उड़ाते हुये हमने अपने साथियों को सुना जिन्होंने बताया कि जनता का और पुलिस का सहयोग बिलकुल नहीं हो रहा है बल्कि दोनों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है । मैं नहीं जानता कि वह दोनों कौन सी पल्टनें या क्लास हैं कि जिनके भीतर लड़ाई है ? जहां तक इस राज्य की पुलिस का सम्बन्ध है वह तो इस प्रदेश की जनता की रक्षा करने वाली है । पुलिस अपने कर्तव्य-पालन में सफल रहे और जनता और पुलिस के बीच खाई खुदती जाय यह बात समझ में नहीं आती । हां जनता कितना सहयोग करती है और आगे कितना करेगी इसका संकेत तो इसी से मिलता है । मैं जानता हूं कि हमारे सूबे में जनता का बहुत काफी सहयोग पुलिस को मिल रहा है और इस माने में कि गांव-गांव में रक्षा समितियां बन रही हैं, हुत से नौजवान पुलिस की सहायता के लिये अपनी टोलियां बनाकर काम कर रहे हैं यह सहयोग नहीं तो और क्या है ?

इसी तरह से हमारा औद्योगिक उत्थान कितना हुआ है और अभी कितनी हमारी क्षमता है इस पर भी काफी प्रकाश इस भाषण में डाला गया है । और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन को ढूंढ़ कर निकाला जा सकता है । अगर यह कमियां, खामियां या त्रुटियां हैं जिनके लिये कि कहा गया है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इस भाषण में यह मौजूद है कि उन कमियों और खामियों पर किस तरह से क़ाबू पाया जा सकता है और उनका निराकरण किया जा सकता है । इस भाषण मे हमें आशा की किरण मिली, इस भाषण से हमें यह प्रतीत हुआ कि इस राज्य के निवासियों मे एक जीवन प्रदान करने वाली नवीन स्फूर्ति का संचार हो रहा है, पलायन मनोवृत्ति को भगाने वाली सारी बातें हमें इस भाषण में मिलीं । इस पलायन मनोवृत्ति और जो लोग सदा से शल्य वृत्ति धारण किये हैं, मन्थरा वृत्ति से काम करते हैं, जिनके सामने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण है हर बात का विरोध करने का, उनको इसमें कुछ भी नहीं मिल सकता । उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वह लोग शल्य वृत्ति, मन्थरा वृत्ति और पलायन वृत्ति का त्याग कर जनता के बीच उन्हीं बातों का प्रसार करें जिससे जनता में आशा का संचार हो और जो हमारी महत्वाकांक्षाएँ हैं उनकी पूर्ति होने में सहायता मिल सके । हम आगे कदम बढ़ाते हैं और एक आदमी सड़क पर खड़े होकर कहता है कि कहां जा रहे हो, हरगिज न जाना, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है, इससे तुम्हारा सुधार हरगिज नहीं हो सकता, इस तरह से देश का उत्थान करने वालों के मार्ग में बाधा पड़ती है ।

देश सेवा और देश द्रोह की व्याख्या करने का भी अवसर आज आया हुआ है । जब हमारा देश ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां किसी भी समय महाभारत छिड़ सकता है, युद्ध छिड़ सकता है,

उस समय हमारे राष्ट्र के भीतर किस प्रकार कार्य होना चाहिये, पार्टियों को किस तरह से काम करना चाहिए, हमारी शक्ति किस तरह से संगठित होनी चाहिए, इस ओर हमको कुछ सोचना पड़ेगा । अगर इस ओर न जाकर हम जनता के भीतर असन्तोष फैलाते हैं, निराशा की भावना फैलाते हैं, पलायन मनोवृति फैलाकर उसका नैतिक ह्रास एक तरह से करते हैं और आगे बढ़ने की चेष्टाओं से विरक्त करने की कोशिश करते हैं, तो यह देश सेवा नहीं कही जा सकती है । हो सकता है हमारे बहुत से भाइयों को यह बात भली लगे । हो सकता है उनकी समझ में यही देश सेवा हो, लेकिन यह देश सेवा कदापि नहीं कही जा सकती । आज मुल्क किस ओर जा रहा है, इस पर हमारे नेताओं को ध्यान देना होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि देश सबका है । अगर सभी लोगों की भावना एकत्र होकर सुदृढ़ नहीं बनेगी अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिये तो हमारी अलग-अलग भावना कभी भी हमारे राष्ट्र के उत्थान में सहायक नहीं हो सकती है बल्कि बाधक होगी ।

राज्यपाल महोदय ने ऐसे सुन्दर अवसर पर इस बात की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया कि आज संकीर्ण जातीयता को छोड़ने की आवश्यकता है, प्रान्त और भाषा के प्रश्न को छोड़कर हमें अपनी राष्ट्रीय भावना को आगे लाकर काम करने की आवश्यकता है । इन चीजों ने उन लोगों के दिल में तीर की तरह असर किया होगा जिनके दिल में इन भावनाओं का समावेश होगा और जनता के भीतर जाकर जो लोग इन भावनाओं का शोषण करके यहां आने की कोशिश करते हैं या राजनीतिक सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं उनको बहुत बुरा लगा होगा ।

बहुत सी सुन्दर बातें कही जाती हैं, लेकिन जब कार्य करने का अवसर आता है तो सारी बातें भूल जाते हैं । इस अवसर पर राज्यपाल जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया यह बड़ी अच्छी बात है । मैं समझता हूं कि इसका कुछ न कुछ हमारे भाइयों पर असर पड़ेगा । हमें आगे बढ़ने के लिये जिन जिन-बातों की आवश्यकता है वे कहां तक पूरी हो रही हैं, उनके लिये हम क्या कर रहे हैं, आज इसे अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है ।

आज तीन चीजें मुख्य हैं । औद्योगिक क्रान्ति की आवश्यकता है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जो-जो कार्यवाही की जा रही है उसमें अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिये क्या कारगर उपाय हो सकता है । किन्हीं भी विरोधी दल के नेताओं या अन्य साथियों की ओर से इस संबंध में नहीं कहा गया । आलोचना अवश्य की गई । भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की बातें कही गईं । हमेशा कही जाती हैं । इन्हीं बातों के आधार पर पुलिस कमीशन मुकर्रर किया गया और कचहरी के भ्रष्टाचार के निवारणार्थ हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया । प्लानिंग की निन्दा की जाती है । प्लानिंग की इवैलुएशन कमेटी स्थापित करके प्लानिंग के सारे कार्यों का निरीक्षण कराया गया, उद्योगों के सम्बन्ध में इवैलुएशन कमेटी बनाई गई जिसने सारी चीजों को देखा । यह सब इसीलिये किया गया कि मुमकिन है हमारे अन्दर कुछ गलतियां हों और जिन साधनों को लेकर के हम अपनी बुराई को दूर करना चाहते हैं वह साधन कारगर न हो रहे हों इसीलिये कमीशन और कमेटीज बनाई गईं । वन के लिये भी कमेटी बनी । सभी चीजों पर पूरी छानबीन करके कारगर उपाय निकालने की कोशिश की जाती है ।

हमारा देश अभी गरीब है और आगे बढ़ने में समय लगेगा । जो लोग सोचते हैं कि इसी समय सब दिक्कतें दूर हो जायं यह असम्भव है, कम से कम यह सरकार नहीं कर सकती है, मुमकिन है कोई दूसरी पार्टी कर सके ।

मैंने एक चीज राज्यपाल के भाषण में ढूंढ़ी जिसका कोई जिक्र उसमें नहीं मिला । बलिया जिला को गंगा और घाघरा दोनों तरफ से खाती चली जा रही हैं, वह जिला कट कर बिहार में जा रहा है । निरंतर खून और कत्ल होते हैं । उसको बहुत ही छोटा मसला समझा जा रहा है, लेकिन वह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है । लोगों के घर, जमीन-जायदाद बरबाद होती जा रही हैं, उनके रहने का स्थान चला गया, सरकार की तरफ से उनके लिये प्रयत्न जरूर जारी है, लेकिन उसका कोई फल अभी तक नजर नहीं आया । बहुत सी नई समस्यायें उस एक समस्या के हल

[श्री रामलक्षण तिवारी]

न होने से पैदा होती जा रही हैं । या तो वहां के गरीब लोगों को काम देने की कोशिश की जाय या जो भूमि उनकी उस पार बिहार में चली गई है प्रदेश की सरकार बिहार की सरकार से समझौता करके या जिस प्रकार मुनासिब हो वहां के लोगों को दिलाये । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मान्यवर, मैं तीन दिन से इस वादविवाद को सुन रहा हूं । १३ साल के बाद जब सरकारी पक्ष के लोग यह दावा करते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, पैदावार बढ़ रही है तो मुझे दुख होता है । जैसा श्री यशपाल सिंह जी ने कहा आज भी हमको विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ रहा है । करीब २० अरब का गल्ला हमारे देश में आया और १५ अरब उसके बांटने में खर्च हुआ । तो फिर इतनी तरक्की करने के बाद यह ३५ अरब रुपया विदेशों को क्यों दिया गया ? जरूर कहीं खराबी है । अरबों रुपया कृषि, उद्योग, सिंचाई, आदि योजनाओं पर खर्च करके भी गल्ला बाहर से क्यों मंगाना पड़ रहा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा ।

मैं समझता हूं कि आज इसका सम्बन्ध भूमि सुधार से बहुत कुछ है । माननीय तिवारी जी ने कहा कि विरोधी पक्ष ने कोई सुझाव नहीं दिये । सुझाव देने की कोई बात नहीं है । जब कांग्रेस शासन में नहीं थी तो जब-जब उसके सम्मेलन हुये तो उसने ऐसे-ऐसे प्रस्ताव पास किये कि हमारे देश की जनता उन प्रस्तावों को देख कर झूम उठती थी । फैजपुर कांग्रेस में आपने यह प्रस्ताव पास किया था कि अलाभकर जोतों का लगान माफ होगा । क्यों नहीं माफ किया गया ? इसी प्रकार हदबन्दी करने का एक नारा था और बहुत दिनों से किसान ख्वाब देखता था । पहली तारीख को वह बिल पेश होगा । आप देखेंगे कि उससे किसान को कितनी भूमि मिलने वाली है ।

महामहिम राज्यपाल ने भूमि सुधार का बहुत बखान किया । हम सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद और उससे पहले जो किसान से लगान लिया जाता था क्या उसमें कोई कमी हुई ? जरा तिवारी जी देखें कि आज वह लगान कम हुआ है या बढ़ा है । इसी तरह सीरदारी का कानून बहुत अच्छा था, लेकिन क्या सरकार ने कभी गौर किया कि किसानों को कितनी जमीन मिली और उसके बाद कितने किसानों से झूठे इस्तीफे दाखिल करा लिये गये ? हमारे सूबे में ५६ लाख शिकमी खाते थे और २४ लाख किसान उसके जोतने वाले थे । लेकिन कागज उठा कर देखिये तो मालूम होगा कि मुश्किल से २-३ लाख किसान मिलेंगे जिन्होंने उस कानून से फायदा उठाया और बाकी से नाजायज और झूठे इस्तीफे दाखिल करा दिये गये । इसका भी बहुत कुछ हमारी खाद्य समस्या पर असर पड़ा । इसलिये सरकार को अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ेगा कि उसमें कहां खामी है ।

सिंचाई का भी जिक्र राज्यपाल जी ने अपने भाषण में किया । अभी कल एक सवाल था तो मंत्री जी ने कहा कि लोग पानी नहीं ले रहे हैं । क्यों नहीं ले रहे हैं इस पर भी कभी आपने गौर किया ? असल में सिंचाई विभाग को आपने एक व्यापारिक संस्था बना रखा है । सन् १९५३ के बाद सिंचाई का रेट तीन गुना कर दिया गया । किसान इसलिये पानी नहीं लेता ट्यूबवेल में बिजली ज्यादा खर्च होती है जिससे पानी महंगा पड़ता है ।

विभाग जी कहते हैं कि हम श्रम शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते । अरे, कम से कम किसानों के अन्दर कोई उत्साह तो हो कि आप उन्हें कुछ देने वाले हैं तब तो लोग उसमें साथ दें । अभी तक तो उनको यही मालूम है कि देने के बजाय आप कुछ छीनने वाले ही हैं । इसीलिये कोई साथ नहीं देता ।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । सन् १९४४–४५ में जहां सिंचाई से १८२ लाख रुपये आमदनी थी वहां सन् १९५७–५८ में वह बढ़कर ८२१ लाख हो गई, लेकिन सिंचाई का रकबा जहां १९५१–५२ में ७१ लाख एकड़ था वहां सन् १९५५–५६

में वह सिर्फ ६३ लाख एकड़ रह गया। यानी दिन पर दिन सिंचाई का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। इसलिये सरकार को इन सब बातों पर गौर करना चाहिये। इसका सम्बन्ध बहुत कुछ पैदावार से है। हमारे यहां की पैदावार तभी बढ़ सकती है जब सिंचाई के रेट्स कम किये जायेंगे। आप किसानों को कुछ नहीं देते हैं और न भारत सरकार ही कुछ देती है। सड़ा हुआ गला गल्ला मंगाया जा सकता है, लेकिन किसानों को रुपया मुफ्त या सूद पर नहीं दे सकते हैं। अगर वह तकावी लेने तहसील में जाय तो वह परेशान हो जायगा और उसके मकान वगैरह के लिये उसको कर्जा नहीं मिल सकेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि आप अपने नियमों में संशोधन करें ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

आज अफसरों के बारे में बहुत ढोल पीटा जाता है कि हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं। अभी माननीय नवलकिशोर जी ने क्या कहा था ? एक-एक योजना को देखिये, माताटीला, खटीमा और टांडा पम्प कैनाल आदि को लीजिये और देखिये कि इनमें आपके अफसरों ने क्या किया? उन्होंने प्लान बना दिया और आपने उसको मंजूर कर दिया और खर्चा सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ता चला गया। कभी आपने चेकिंग भी किया ? तिवारी जी कह रहे थे कि कमेटियां बना दी हैं। ठीक है, लेकिन कमेटियों ने जो सिफारिशें की हैं क्या सरकार ने कभी उन पर ध्यान दिया है, कभी उन्हें माना है ? मैं आलोचना के लिये नहीं कर रहा हूं बल्कि जो कमेटियों के लोगों ने कहा है उसी को कह रहा हूं। आखिर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि कहां खराबी है और उसको कैसे दूर किया जाय।

कहा यह जाता है कि विरोधी पक्ष से सुझाव नहीं मिलते हैं, लेकिन हम कहते हैं विरोधी पार्टी के लोगों के साथ बैठा जाय और वहां सोचा जाय कि किस तरह से इन खराबियों को दूर किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके अफसर जो कह देंगे वही सही है और जो हम कहेंगे वह कभी सही नहीं माना जायगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि रिहन्द बांध से ४५ हजार आदमी भाग रहे हैं। उसके लिये भी पी० ए० सी० की टुकड़ी लगाई गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया और गाड़ियों में भर कर लोगों को जंगलों में छोड़ा गया और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग मर भी गये।

आप देखेंगे कि कितनी ज्यादती हो रही है। इनके अफसरों ने रिहन्द बांध के बारे में जो रिपोर्ट दी है वह देखने के काबिल है। उन्होंने रिपोर्ट दी कि १९५८ में इसकी डूब में ५ गांव आयेंगे, १९५९ में ७६ गांव आयेंगे और १९६० में कहते हैं कि १०६ गांव आयेंगे। मैं श्रीमन्, सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इन अफसरों के ऊपर क्या कार्यवाही की ? आज सरकार जांच कराये क्योंकि ४५ हजार आदमियों का सवाल है। कांग्रेस के प्रेसीडेंट को अनशन करना पड़ा इसलिये कि सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। यहां के किसानों को मुआवजा कम दे रही है। मध्य प्रदेश के कुछ गांव भी इसमें आ गये हैं। वहां के माल मंत्री ने किसानों से कहा है कि जितना तुम मांगोगे उतना मुआवजा हम देंगे और उसको उत्तर प्रदेश की सरकार से वसूल करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कितना मुआवजा लिया है और यहां के किसानों को कितना देने जा रहे हैं। यहां के किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है यदि वह वहां के किसानों से कम होगा तो मैं समझता हूं कि आप यहां के इंसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ठंडे दिल से गौर करें।

दूसरी बात गुप्ता जी ने कही कि पुलिस के और जनता के संबंध बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने बढ़ने चाहिये थे उतने नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है, वह पुलिस कमीशन के मेम्बर हो गये हैं, उन्हें शायद इसलिये दिखाई पड़ रहा हो। उनको कुछ दिखाई दे रहा हो। उन्होंने कहा कि आई० जी० के दफ्तर से आंकड़े उनको मिले हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे क्या पता लगता है। दस-बीस अपराधों का घटना कोई घटना नहीं कहा जा सकता, यह कोई अपराधों में कमी नहीं कही जा सकती। उसमें आमूल सुधार होने

[श्री ऊदल]

की जरूरत है। आप ४६ से आज तक के आंकड़े उठा कर देखें तो दुगनी, चौगुनी, दसगुनी तक चोरियां और डकैतियां बढ़ गई है, पूरे सूबे में। इसको रोकने के लिये क्या उपाय आपने किया? यह मैं मानता हूं कि आपने कुछ कार्यवाही की है, कुछ सुधार किये हैं और मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने कुछ सुधार के काम किये, कुछ योजनायें बनाईं, उन पर कुछ काम भी हुआ, लेकिन जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, उनकी तरफ जब हम इशारा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ठंडे दिल से उन पर विचार करें तो उन पर विचार करने का कम से कम रास्ता तो निकालिये, कुछ उन पर गौर तो करिये। लेकिन वह न करके आप बदले की भावना से कहते हैं कि विरोधी पार्टी के लोग आलोचना करते हैं प्रोपोगेंडा की वजह से। मैं कहता हूं कि प्रोपोगेंडा करने के लिये आलोचना नहीं की जाती है। हमारा उद्देश्य प्रोपोगेंडा नहीं होता है।

इसी तरह से आप देखेंगे श्रीमन्, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइमरी एजूकेशन है, छोटे-छोटे बच्चों को देखिये, अंग्रेजों के जमाने में उनके लिये मकान थे, प्राइमरी स्कूल था, आज वह क्या हो गया? स्कूल पर नजर डालिये। बच्चों के बैठने के लिये न टाट है, न मास्टरों के बैठने के लिये कुर्सी है, न तख्ता है। पहले दर्जा तीन और चार के लड़कों को बैठने के लिये चौकियां दी जाती थीं, आज वहां टाट भी नहीं है। लोग अपने घरों से बोरे लेकर जाते हैं। कुछ इस पर और कीजिये। इन बच्चों की जिन्दगी आप क्यों खराब कर रहे हैं। मैं आपके जरिये इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर सोचे और गम्भीरता से सोचे।

पुलिस की मार के बारे में अभी माननीय पब्बरराम जी कह रहे थे और अखबारों में भी छपा है। चन्दगांव थाना जो है गाजीपुर जिले में वहां पुलिस की मार से एक स्त्री अपने शरीर में आग लगाकर जल गई। इसी तरह की एक मृत्यु और हुई है, एक हरदोई में मरा है पुलिस की मार से। अभी इसी मई के महीने में वाराणसी जिले के देवापुर गांव में जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, एक भग्गल लोहार को जलालपुर थाना, जिला जौनपुर की पुलिस ने इतना मारा इतना मारा कि ३ तारीख को लाया गया और ६ तारीख को जौनपुर जेल में उसकी मृत्यु हो गई। इतने पर भी अगर आप यह मानते हैं कि पुलिस और जनता का सम्बन्ध अच्छा हो रहा है, तो आप मान सकते हैं, हम तो इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

इसलिये मान्यवर, आपकी आज्ञा से, माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर जो हमारी तरफ से संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने पूर्वी जिलों की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय गवर्नर महोदय के सम्बोधन में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिससे यह मालूम हो सके कि हमारे पूर्वी जिलों की बेकारी को दूर करने के लिये कोई ध्यान दिया गया है। लेकिन श्रीमन्, जो खास-खास बातें है जिनकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद अवश्य देना चाहता हूं। छोटे कर्मचारियों के वेतन के बारे में उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं वह अवश्य धन्यवाद के योग्य हैं।

यह जो कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो सरकार ने क्या-क्या किया, इस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं अपने यहां के बारे में बता देना चाहता हूं। मेरे यहां बस्ती जिले में नाथनगर एक ब्लाक है जहां मुबलिसपुर की नहर आई हुई है। वहां के किसानों ने मार्च के महीने में नहर से पानी लेकर धान की फसल बो दी थी और इधर जून और जुलाई के महीने में उन्होंने धान की पैदावार कर ली। इस तरह से हर एक ब्लाक के किसान और ब्लाक वाले काम करना शुरू करें तो काफी खेती की पैदावार में वृद्धि हो सकती है। लेकिन उसके बरअक्स हमारे यहां कई ऐसी भी नहरें हैं जिनमें पानी नहीं दिया गया।

बल्कि मैं यह कहूंगा कि हमारी बान गंगा से ४५ लाख रुपया खर्च करके सरकार की तरफ से जो नहर बनाई गई है उस नहर से पानी नहीं दिया जाता है । अगर उस नहर से पानी दिया जाय तो लाखों मन धान की पैदावार बढ़ सकती है । मैं अपनी सरकार का ध्यान सिंचाई विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२८ जुलाई, १९६० ई० ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

गत ५ अप्रैल, १९६० को शाम के ५ बजे घनघोर वर्षा, आंधी, तूफान व उपलवृष्टि से प्रदेश में हुई हानि का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम		प्रभावित ग्रामों की संख्या	मनुष्यों की संख्या जो मृत — घायल हुए	मर गये	पशुओं की संख्या	प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	अनुमानित मूल्यांकन
१	२		३	४	५	६	७	८
१	एटा	..	७	५	२	२	९९	७०,३९२
२	बरेली	..	८	१	१	..	३१	३६,०२२
३	बदायूं	..	१४	..	१४	५०	३४२	२,९७,३८०
४	पीलीभीत	..	४	..	२	२	..	२४,५२०
५	सीतापुर	..	२२६	..	..	..	..	..
६	प्रतापगढ़	..	२९	..	..	..	११०	२,०५०
७	बाराबंकी	..	१९	..	..	..	..	..
८	शाहजहांपुर	..	५०	..	९६	४०४	२,११०	१८,८५,७८७
	योग	..	३५७	६	११५	४५८	२,६९२	२३,१६,१५१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

रेगुलर तथा कलेक्शन नायब तहसीलदारों के दौरों का विवरण

तहसील का नाम	रेगुलर तथा कलेक्शन नायब तहसीलदार जिन्होंने दौरे किये	ग्रामों की संख्या											
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		५९	५९	५९	५९	५९	५९	५९	५९	५९	६०	६०	६०
सदर ..	रेगुलर ..	१	२	२	१	१	२	२	२	३	१६	–	२६
	रेगुलर ..	४	६	८	६	११	१३	१२	१०	८	१८	१६	१२
	रेगुलर ..	..	५	४	३	६	४	३	–	–	–	१	१५
	कलेक्शन ..	२६	३८	४९	७८	६८	३४	५	४	–	१२	४१	३०
	कलेक्शन ..	–	१३	२७	२८	२२	१७	–	–	–	१३	२०	१५
बांसगांव ..	रेगुलर ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	१	२८	४४
	रेगुलर ..	–	–	–	–	१६	१७	१६	१०	१४	१५	१२	३१
	कलेक्शन ..	१५	२३	३०	२८	३५	२४	–	–	–	१०	२३	३५
	कलेक्शन ..	२१	२३	३०	३२	३७	३७	–	–	–	११	२७	१९
	कलेक्शन ..	१६	२५	३२	२९	३६	२५	–	–	–	४	१०	२५
महराजगंज ..	रेगुलर ..	–	–	–	–	–	–	–	१४	२३	–	१८	३०
	कलेक्शन ..	१७	२१	१३	२४	३०	२५	५	–	४	२८	३८	४६
	कलेक्शन ..	–	–	–	१५	१२	१०	२	–	–	१५	१७	१२
फरेन्दा ..	रेगुलर ..	२	४	२	३	५	४	१	–	–	३	५	३२
	कलेक्शन ..	५	२०	१५	११	१३	१२	२	–	२	५	२३	२७
	कलेक्शन ..	५	१७	२२	४०	१५	२६	३	–	२	९	२४	२३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५-६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर।)

तालिका "क"

झांसी जिले में समाज कल्याण योजनाओं पर वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में इस प्रकार धनराशि व्यय की गई—

मद	१९५८--५९	१९५९-६०
१--कर्मचारियों के वेतन	१३,४२७.३४	१२,९६२.६९
२--कर्मचारियों के महंगाई, सिटी तथा यात्रिक भत्ते और प्रवैतनिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक	१०,५१५.७७	१४,००४.५८
३--प्रासंगिक व्यय	२,२०३.८६	२,९६६.४३
४--ग्रामीण युवक शिविर	१,२००.००	..
५--दीन एवं अनाथों के अन्तिम संस्कार ..	६४९.३७	४३७.३२
६--बाल दिवस समारोह	३८५.००	४००.००
७--धर्मार्थ अनुदान	३,६५०.००	२,६९५.२६
८--विभिन्न संस्थाओं को अनुदान ..	७,०००.००	३,०००.००
९--नगर समाज कल्याण समितियों को अनुदान	..	४,३००.००
योग ..	३९,०३१.३४	४०,७६६.२८

महिला मंगल केन्द्रों के अतिरिक्त झांसी शहर के निम्नलिखित मुहल्लों में समाज कल्याण समितियां स्थापित की गई हैं--

(१) वार्ड नं० २
(२) वार्ड नं० ३ (प्रथम)
(३) वार्ड नं० ३ (द्वितीय)
(४) वार्ड नं० ४ (नई बस्ती)
(५) वार्ड नं० ४ दतिया दर्वाजा
(६) वार्ड नं० ५ (प्रथम)
(७) वार्ड नं० ५ (द्वितीय)
(८) वार्ड नं० ६
(९) वार्ड नं० ७ (प्रथम)
(१०) वार्ड नं० ७ (द्वितीय)
(११) वार्ड नं० ८
(१२) वार्ड नं० १०
(१३) वार्ड नं० ११
(१४) वार्ड नं० १२
(१५) वार्ड नं० १३
(१६) वार्ड नं० १४
(१७) वार्ड नं० १५
(१८) मुहल्ला समाज कल्याण समिति लालकुर्ती बाजार।

तालिका 'ख'

झांसी जिले में महिला मंगल योजना पर वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में क्रमशः २१,१७८.३९ रु० और २२,८३८.१९ रु० व्यय हुए जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है--

मद	१९५८-५९	१९५९-६०
१--कर्मचारियों के वेतन	१०,१५८.१८	९,१८९.०९
२--कर्मचारियों के महंगाई सिटी तथा यात्रिक भत्ते	४,८२७.०६	७,०३६.९१
३--अवैतनिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक ..	४,११८.०७	४,६०४.४१
४--प्रासंगिक व्यय	२,०७५.०८	२,००७.७८
योग ..	२१,१७८.३९	२२,८३८.१९

इस योजना के अन्तर्गत झांसी जिले के निम्नलिखित ९ ग्रामों में महिला मंगल केन्द्र स्थापित किये गये हैं:--

(१) समथर
(२) पन्डवाहा
(३) खिल्ली
(४) लावनी
(५) स्यावनी
(६) घिसौली
(७) भदरवारा
(८) करगुवां
(९) बरुआसागर

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

सूची मिसिलों की दफाओं सहित

क्रम-संख्या	दफा	मिसिलों की संख्या
१	सीमा २५ दुरुस्ती कागजात	२१
२	२४० बी अधिवासी	२
३	२०९ बेदखली	१
४	कुल्यात	२०
५	मिसिल जुडीशियल मौजा बरेठी बाबत सन १८६०	१
६	११३ तबादला लगान	१
७	१६३ बेदखली	१
८	४९ लैन्ड एक्वीजीशन	१
९	१७ तकाबी	४
१०	सीमा २३ हजराये डिग्री	४
	योग ..	५६

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१७ पर)

संलग्न सूची

मूक वधिर विद्यालय

राजकीय—

१—मूक वधिर विद्यालय, आगरा ५४
२—मूक वधिर विद्यालय, बरेली ४४

प्रशासकीय—

१—मूक वधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ ७६
२—नन्हीं दुनिया, मूक बधिर विद्यालय, देहरादून १४
३—हिन्दू अनाथालय का मूक वधिर स्कूल, कानपुर .. ४८
४—मूक वधिर विद्यालय, मेरठ १४
५—मूक वधिर विद्यालय, इलाहाबाद ४५
६—मूक वधिर विद्यालय, गोरखपुर ४६
७—मूक वधिर विद्यालय, सहारनपुर ४८
८—मूक वधिर विद्यालय, झांसी १७
९—मूक वधिर विद्यालय, डी० जी० बाजार पीलीभीत .. २५
१०—मूक वधिर विद्यालय, वाराणसी ४२

राजकीय—अन्ध विद्यालय

१—अन्ध विद्यालय, लखनऊ ५३
२—अन्ध विद्यालय, गोरखपुर ४१

अशासकीय—

१—अन्ध विद्यालय, नेहरू नगर, कानपुर ५१
२—स्कूल एण्ड होम फार ब्लाइन्ड चिल्ड्रन, नैनी, इलाहाबाद .. ८
३—शार्प मेमोरियल ब्लाइन्ड स्कूल, देहरादून ४८
४—मदर्सा नवीना, नगीना, बिजनौर १२
५—सीतापुर अस्पताल से सम्बन्धित अन्ध विद्यालय .. १४
६—काशी सेवा समिति अंध विद्यालय, वाराणसी .. २०
७—अहमदी स्कूल, अलीगढ़ ३१
८—ट्रेनिंग सेन्टर फार एडल्ट ब्लाइन्ड, देहरादून २२
९—अन्ध विद्यालय, हरिहरनाथ शास्त्री लेन खलासी लाइन, कानपुर ३०
१०—कुंवर लालसिंह मानसिंह अन्ध विद्यालय, मैनपुरी .. ६
११—अन्ध विद्यालय भदैनी, वाराणसी ३१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१–३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

अनुसूची

जिला अलीगढ़ के उन ग्रामों की अनुसूची जिनमें रबी १३६६ फसली में ओलावृष्टि के कारण फसल को अधिक हानि हुई है

तहसील इगलास	तहसील सिकन्दराराव
ग्राम का नाम	ग्राम का नाम
१--महुआ	१--हसौना जगमोहनपुर
२--रामनगर	२--कासिमपुर
३--जरौठ	३--शाहगढ़
४--उदैपुरा	४--कटेहरा
५--जरौठ	५--आलमपुर
६--अलिआसपुर भौरा	
७--हसतपुर	
८--बौहरा गौर्वा	

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२५ पर)

जिला आजमगढ़ में सितम्बर, १९५९ से मार्च, १९६० तक खोले गये टेस्ट वर्क्स तथा प्रत्येक पर किये गये व्यय की तालिका

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	व्यय की धनराशि रु०
१	बिलरियागंज-महराजगंज ..	१५,५९८.५७
२	अजमतगढ़-अमिला	३,२९०.९६
३	जयगहा-बिदवल-कंधहरापुर ..	१२,७३०.११
४	रजादपुर-भिम्भबार	६२२.८४
५	लाटघाट-मदनापार	२,२४४.००
६	अंजानसीद टैंक	४९९.६३
७	बिजनवा टैंक ..	१,३१६.४१
८	अजमतगढ़-नदवासरायं	६३७.६१
९	करहा-जहानागंज	१७,२३५.०९
१०	बधुवा गोदाम-पिपराडीह ..	१३,९३५.९४
११	सरसेना-फतेहपुर	२९,८१०.३६
१२	जहानागंज-जिगरासंदी ..	१२,७९६.७८
१३	कप्तानगंज-गौरा	१३,१८०.५६
१४	अंजी गोदाम-सहाकहाजुरा ..	५,२७९.७८
१५	निजामाबाद-मुदियार	७,१३७.६७
१६	टीकापुर-रैयसिंघापुर	६,२३३.४२
१७	संजारपुर-चौन. .	१,४४४.३१
१८	गम्भीरपुर-गोथावान	३१०.६४
१९	लालगंज-तरवा	२२,४८३.४९
२०	मोहनागार-पलहाना	१३,७१८.३४
२१	कमरिया-रासेपुर	१४,६०७.८९
२२	अहिरौली-गोराहारा	१६,२१३.९१
२३	रासेपुर-चितरा	११,७८०.२०
२४	हरीबंद ..	२,३७९.८३
२५	पवई-मिट्ठूपुर ..	१९,८०३.६८
२६	फूलपुर-दुरहासा	६,३३५.६०
२७	सिकरौर-मार्टिनगंज	९८२.४७
२८	कप्तानगंज-अहिरौला	११,१२१.३२
२९	फूलपुर-कोरासन	५८.२४
३०	अतरौलिया-हरियांव	२५१.९४
३१	मार्टिनगंज-लसरा	४,६२४.२८
३२	सुराजपुर-दोहरियाघाट	१६,६८३.९७
३३	कोपागंज-कारियापार	४२७.२२
३४	मधुबन-दुबारी. .	२,९१८.२२
३५	बालबंदरपुर-पीवा	५,४९५.५५
३६	कमालसागर- टैंक	१,३९२.६१
	योग ..	२,९५,६२३

नत्थी 'ज

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नुक्सान (आनों में)
१	टहरौली खास	२
२	गढ़ीकरगांव	२
३	धुरैया	२
४	भसनेह	२
५	मधुपुर	२
६	सिलोरी	२
७	मवई	२
८	सेमरी अहीरान	२
९	सेमरी काछियान	२
१०	महेवा	२
११	कोटरा	२
१२	सौनकपुरा	२
१३	रानापुर	२
१४	विजौरा	२
१५	भगवतपुरा	२
१६	ढिपकरी	२
१७	विक्रमपुरा	२
१८	इटौरा	२
१९	बिटौरा	२
२०	सुजवा	२
२१	पुरातनी	२
२२	अतरौनी	२
२३	बगरौनी	२
२४	लिघौरा	२
२५	खलीलपुरा	२
२६	एवनी	२
२७	टोडी फतेहपुर	२
२८	इटवा	२
२९	वगरा	२
३०	सिमरथा	२
३१	निमगइना	२
३२	विरौना	२
३३	जलालपुरा	२
३४	दुगारा	२
३५	करी	२
३६	धनाविलगांव	२
३७	अतिनिया	२
३८	फटौरा	२
३९	विरहसगुपुरा	२
४०	इमलौट	२
४१	वरौटा	२
४२	सपुरा खुर्द	२
४३	पडवाहा	२
४४	विकरमपुरा सानी	६ १/२ से ८
४५	पसौरा	६ १/२ से ८
४६	वडवार	६ १/२ से ८
४७	छिरौ बुजुर्ग	६ १/२ से ८
४८	जोनिया	६ १/२ से ८
४९	गढ़ा	६ १/२ से ८
५०	तुरका लहचूरा	६ १/२ से ८
५१	डावर	६ १/२ से ८
५२	वसुवाहा	६ १/२ से ८
५३	रावतपुरा	६ १/२ से ८
५४	गोरपुरा	६ १/२ से ८
५५	देवरा खुर्द	६ १/२ से ८
५६	लठवारा	८
५७	वसारी	८
५८	सिरिया	८
५९	रनयारा	८
६०	मजराताई	८
६१	पुछी	८
६२	घाटकुआ	८
६३	मऊकछयाऊ	८
६४	चतुरताई	८
६५	बेलाँ	१०
६६	केदाताई	१०
६७	धवारी	१०
६८	दुरवई	१०
६९	पसराई	१०
७०	गुदाहा	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		नुक्सान (आनों में)	क्रम-संख्या	नाम ग्राम		नुक्सान (आनों में)
७१	ताई	..	१०	७६	टहरोली किला	..	१२
७२	गाता	..	१२	७७	लुहर गांव	..	१२
७३	खंडोरा	..	१२	७८	मारकुआ	..	१२
७४	मथिनिया	..	१२	७९	खेरी	..	१४
७५	तेवुआ	..	१२	८०	गुढ़ा	..	१४

कृपाल सक्सेरा प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी ११० एल० ए—१९६०—८४५।